दृष्टि The Vision

मेन्स आंसर राइटिंग

(Consolidation)

अक्टूबर 2024

अनुक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-1 3

- इतिहास 3
- भारतीय समाज 5
- भूगोल 9
- भारतीय विरासत और संस्कृति 10

सामान्य अध्ययन पेपर-2 13

- राजनीति और शासन 13
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध 19
- सामाजिक न्याय 24

सामान्य अध्ययन पेपर-3 26

- अर्थव्यवस्था 26
- आंतरिक सुरक्षा 29
- जैवविविधता और पर्यावरण 31
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी 34

सामान्य अध्ययन पेपर-4 38

- केस स्टडी 38
- सैद्धांतिक प्रश्न 47

निबंध 58

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-1

इतिहास

प्रश्न : भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्त्व का आकलन कीजिये। इसकी मुख्य विशेषताएँ और परिणाम क्या थे? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्त्व का उल्लेख करते हुए उत्तर की भूमिका लिखिये।
- सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
- सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणामों पर प्रकाश डालिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

महात्मा गांधी के नेतृत्व में **सविनय अवज्ञा आंदोलन** भारत के स्वतंत्रता संग्राम की महत्त्वपूर्ण परिघटना थी। वर्ष **1930 में शुरू किये गए इस अहिंसक प्रतिरोध अभियान का उद्देश्य अन्यायपूर्ण कानूनों की शांतिपूर्ण अवहेलना** के माध्यम से ब्रिटिश शासन को चुनौती देना था।

मुख्य भाग:

सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्त्व:

- **राष्ट्रीय राजनीतिक संस्कृति का निर्माण:** इस आंदोलन ने सविनय अवज्ञा की संस्कृति को संवर्द्धित किया, **अहिंसक प्रतिरोध को संस्थागत रूप प्रदान किया** और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिये वैचारिक आधार निर्मित किया।
- **भविष्य के आंदोलनों के लिये मंच का निर्माण: इस आंदोलन ने भारत छोड़ो आंदोलन** जैसे आगामी अभियानों के लिये आधारशिला रखी।
  - इसने ब्रिटिश सत्ता को बड़े पैमाने पर चुनौती देने के लिये भारत के दृढ़ संकल्प और इच्छा को प्रदर्शित किया।
- **अंतर्राष्ट्रीय संकेंद्र:** इसने **भारत की स्वतंत्रता के लिये विश्व का ध्यान आकर्षित किया** तथा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इसका महत्त्वपूर्ण कवरेज किया गया, जिससे ब्रिटिश सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी तथा औपनिवेशिक अन्याय प्रकट हुआ।

सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य विशेषताएँ:

- **जन भागीदारी:** इस आंदोलन ने **भारतीय समाज के व्यापक वर्ग को सम्मिलित करके पहले के अभियानों से एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को चिह्नित किया**। इसने महिलाओं, छात्रों और ग्रामीण आबादी सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एक संयुक्त मंच प्रदान किया।
  - **दांडी मार्च, जिसने इस आंदोलन की शुरुआत की,** में हज़ारों लोगों ने **नमक कानून तोड़ने के लिये गांधीजी के साथ 240 मील की पदयात्रा की।**
- **अहिंसा:** गांधीजी का **अहिंसक प्रतिरोध का सिद्धांत** इस आंदोलन की आधारशिला थी।
  - **धरसना सत्याग्रह** के दौरान क्रूर पुलिस दमन का सामना करने के बावजूद, जहाँ नमक डिपो पर छापा मारने का प्रयास करते समय प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की गई थी, सत्याग्रही सामान्य तौर पर अहिंसक बने रहे।
- **अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन:** इस आंदोलन ने अन्यायपूर्ण माने जाने वाले विशिष्ट कानूनों का जानबूझकर और खुले तौर पर उल्लंघन करने के लिये प्रोत्साहित किया।
  - **महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांतों** में वन कानूनों की अवहेलना की गई।
  - उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत में **खान अब्दुल गफ्फार खान ने** औपनिवेशिक कानूनों के विरुद्ध अहिंसक खुदाई खिदमतगारों का नेतृत्व किया।
- **खादी और स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन: इस आंदोलन ने स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं** के उपयोग के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया।
  - **भारतीय घरों में चरखा चलाना एक सामान्य बात हो गई है** तथा कई प्रमुख नेताओं सहित कई लोगों ने स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने के लिये इसे दैनिक कार्यकलाप के रूप में अपना लिया।
- **कॉन्ग्रेस की प्रकृति में परिवर्तन:** कॉन्ग्रेस का अधिक उग्रवाद की ओर झुकाव, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव और कराची प्रस्ताव **जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि में स्पष्ट है,** जिसमें मूल अधिकार, समाजवादी आर्थिक नीतियाँ और ज़मींदारी उन्मूलन जैसे विचार प्रस्तुत किये गए।
  - वर्ष 1934 में, कॉन्ग्रेस के नेतृत्व में **कॉन्ग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी हुई, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया** जैसे **फैबियन समाजवादियों ने किया।**

नोट :

सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम:

- **गांधी-इरविन समझौता:** इस आंदोलन के कारण गांधीजी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच बातचीत हुई, **जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1931 में एक समझौता हुआ।**
  - समझौते के एक भाग के रूप में, सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने तथा तटीय गाँवों में घरेलू उपयोग के लिये नमक उत्पादन की अनुमति देने पर सहमत हुई।
- **अंतर्राष्ट्रीय ध्यान:** इस आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित किया।
  - अमेरिकी पत्रकार **वेब मिलर के** धरासन सत्याग्रह के प्रत्यक्षदर्शी विवरण **विश्वभर के 1,350 समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए**, जिससे ब्रिटिश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना।
- **राष्ट्रवादी आंदोलन का सुदृढ़ीकरण:** इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम के आधार को व्यापक बनाया और भविष्य के अभियानों के लिये आधारशिला निर्मित की।
  - **बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी ने** स्वतंत्रता आंदोलन के बाद के चरणों में उनकी बढ़ती भागीदारी के लिये एक उदाहरण प्रस्तुत किया।
    - **सरोजिनी नायडू** जैसी महिलाएँ प्रमुख नेता के रूप में उभरीं।
- **सुधारों में आंशिक सफलता:** यद्यपि तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई, परंतु आंदोलन ने क्रमिक संवैधानिक सुधारों में योगदान दिया।
  - इस आंदोलन ने **गोलमेज सम्मेलनों में विचार-विमर्श को प्रभावित किया** और अंततः **भारत सरकार अधिनियम 1935 के निर्माण में योगदान दिया,** जिसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की।

निष्कर्ष:

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन का व्यापक महत्त्व था। इसने **राष्ट्रवादी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य और सीमा को विस्तारित किया,** कई मोर्चों पर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी और **भविष्य के संघर्षों के लिये आधार निर्मित किया, जो अंततः वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता का कारण बने।**

प्रश्न : "सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासतों का एकीकरण आधुनिक भारत की संघीय चुनौतियों के समाधान हेतु महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।" क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग से उत्पन्न हालिया मुद्दों के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- किस प्रकार सरदार वल्लभभाई पटेल ने तनावों को नियंत्रित करते हुए रियासतों का प्रभावी एकीकरण भारत में सुनिश्चित किया। तर्क सहित उत्तर दीजिये।
- इस बात पर तर्क प्रस्तुत कीजिये कि पटेल का दृष्टिकोण वर्तमान क्षेत्रीय स्वायत्तता के मुद्दों को हल करने के लिये किस प्रकार उपयोगी सबक प्रदान करता है या ये मुद्दे वर्तमान में किस प्रकार हल किये जा रहे हैं?
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्रता के पश्चात् लगभग 560 रियासतों का एकीकरण कर **विविधता, विभाजन और सुरक्षा खतरों** की चुनौतियों के बीच एक संगठित भारत की नींव रखी।

- वर्तमान में, क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग और संघीय तनाव के बीच, पटेल का दृष्टिकोण इस बात की गहन समझ प्रदान करता है कि कैसे **विविधता में एकता का संतुलन बनाए रखा जा सकता है।**

मुख्य भाग:

- **विविधता में एकता:** पटेल ने सांस्कृतिक विशिष्टता का सम्मान करते हुए एकीकरण को प्रोत्साहित किया तथा स्थानीय विविधता के साथ राष्ट्रीय पहचान की भावना को सशक्त बनाया।
  - उदाहरण के लिये, उन्होंने जोधपुर के महाराजा से **स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अकाल राहत और रेल संपर्क का वादा किया**, जिससे क्षेत्रीय हितों की रक्षा करते हुए भारत की एकता में विश्वास का निर्माण हुआ।
  - वर्तमान में, क्षेत्रीय भाषाओं **(मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता देकर)** और संस्कृतियों को मान्यता देना, विविधता के प्रति सम्मान के माध्यम से एकजुट करने की पटेल की पद्धति को प्रतिबिंबित करता है।
- **लचीला संघवाद:** पटेल ने आवश्यकता पड़ने पर कूटनीति को रणनीतिक बल के साथ जोड़ा। हैदराबाद के मामले में, जब सभी वार्ताएँ असफल हो गईं, तब उन्होंने एकीकरण सुनिश्चित करने के लिये **"ऑपरेशन पोलो" को अधिकृत किया।**
  - **अन्यत्र, उन्होंने शांतिपूर्वक प्रिवी पर्स** जैसी रियायतों का सहारा लिया।

नोट :

- इस लचीलेपन ने क्षेत्रीय शासन का सम्मान करते हुए सहज एकीकरण को संभव बनाया, एक सिद्धांत जो आज **मणिपुर** जैसे **उग्रवाद के मामलों से निपटने में प्रतिबिंबित होता है।**

- **सुरक्षा और स्वायत्तता में संतुलन:** पटेल सीमावर्ती राज्यों में सुरक्षा जोखिमों के प्रति सतर्क थे। कश्मीर के संदर्भ में, उन्होंने संचार को सुरक्षित किया और खतरे के समय सुरक्षा की व्यवस्था की। **1947 के आक्रमण के खिलाफ उनकी त्वरित सैन्य प्रतिक्रिया ने भारत के रुख को सुदृढ़ किया।**
  - **वर्तमान में, यह दृष्टिकोण जम्मू और कश्मीर जैसे क्षेत्रों** में संतुलन को दर्शाता है, जहाँ **अनुच्छेद 370 को हटाने में** कानूनी एवं प्रशासनिक रणनीतियों का संयोजन शामिल था।
- **आर्थिक समावेशिता:** पटेल ने रियासतों को आर्थिक रूप से आत्मसात करने हेतु प्रयास किये, जिससे असमानताएँ कम हुईं। **प्रिवी पर्स के उनके आश्वासन ने संक्रमण को सहज बनाया,** जबकि **जूनागढ़ में** उन्होंने स्थानीय भावनाओं का उपयोग कर शांतिपूर्ण विलय सुनिश्चित किया।
  - वर्तमान में, आर्थिक समावेशिता की मांगें, जैसे कि **बिहार और आंध्र प्रदेश की विशेष मांग,** क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं, जैसा कि पटेल ने एकता को प्रोत्साहित करने हेतु किया था।
- **संवैधानिक अखंडता:** पटेल ने यह सुनिश्चित किया कि सभी विलय भारत के संविधान का सम्मान करें तथा संघवाद के भीतर राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जाए।
  - **जब जोधपुर के महाराजा** जैसे शासकों ने इसमें संकोच किया, तो पटेल ने संवैधानिक अनुपालन के साथ गारंटी को संतुलित किया।
  - **नागा शांति वार्ता** का वर्तमान मामला **भारतीय राज्य की संप्रभुता** सुनिश्चित करते हुए स्वायत्तता को समायोजित करने में संवैधानिक ढाँचे के महत्त्व को रेखांकित करता है।
- **बल की अपेक्षा कूटनीति:** पटेल मुख्य रूप से कूटनीति पर निर्भर थे तथा उन्होंने बल का प्रयोग हैदराबाद जैसे असाधारण मामलों के लिये सुरक्षित रखा था।
  - पूर्वोत्तर राज्यों में आज की स्वायत्तता की मांग बलपूर्वक उपायों के बजाय सक्रिय कूटनीति की आवश्यकता को उजागर करती है।
  - आज की क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांगें, जैसे कि **महाराष्ट्र (मराठा आरक्षण से संबंधित)** या **बोडोलैंड** (असम), **राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ क्षेत्रीय पहचान को संतुलित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।**

निष्कर्ष:

सरदार पटेल के रियासतों के एकीकरण के दृष्टिकोण ने एक **सुसंगत संघीय ढाँचे की नींव रखी,** जो एकता को बनाए रखते हुए विविधता को समायोजित करता है। **लचीले संघवाद, आर्थिक समावेशिता और सीमित बल का उनका व्यावहारिक उपयोग** भारत में समकालीन क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांगों के प्रबंधन के लिये मूल्यवान सबक प्रस्तुत करता है।

भारतीय समाज

प्रश्न : 'सामाजिक उद्यमिता' की अवधारणा पर चर्चा कीजिये। यह भारत में सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने में कैसे योगदान दे सकती है? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- सामाजिक उद्यमिता को परिभाषित करते हुए परिचय लिखिये।
- सामाजिक उद्यमिता के प्रमुख पक्ष बताइए।
- भारत में सामाजिक चुनौतियों से निपटने में इसके योगदान पर प्रकाश डालिये।
- इससे संबंधित चुनौतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

सामाजिक उद्यमिता एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सामाजिक उद्देश्यों के साथ व्यावसायिक सिद्धांतों को संबद्ध करता है ताकि सामाजिक मुद्दों के लिये अभिनव समाधान निर्मित किये जा सकें। इसका उद्देश्य वित्तीय व्यवहार्यता बनाए रखते हुए स्थायी सामाजिक प्रभाव प्राप्त करना है।

मुख्य भाग:

सामाजिक उद्यमिता के प्रमुख पक्ष:

- **मिशन-संचालित दृष्टिकोण:** सामाजिक उद्यमी लाभ अर्जित करने से अधिक सामाजिक मूल्य निर्मित करने को प्राथमिकता देते हैं। उनका प्राथमिक लक्ष्य सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना और व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाना है।
  - **डॉ. गोविंदप्पा वेंकटस्वामी** द्वारा स्थापित **अरविंद आई केयर सिस्टम का** उद्देश्य अनावश्यक अंधेपन को समाप्त करना है।
- **नवप्रवर्तन:** सामाजिक उद्यमी प्राय: दीर्घकालिक समस्याओं से निपटने के लिये नवीन दृष्टिकोण विकसित करते हैं एवं प्रौद्योगिकी, नए व्यापार मॉडल या रचनात्मक साझेदारी का लाभ उठाते हैं।

नोट :

- **बंकर रॉय द्वारा स्थापित बेयरफुट कॉलेज़**, ग्रामीण महिलाओं को सौर अभियंता बनने के लिये प्रशिक्षण देता है।
- यह नवोन्मेषी दृष्टिकोण **दूरदराज़ के गाँवों में ऊर्जा निर्धनता और महिला सशक्तीकरण दोनों को संबोधित करता है।**

- **मापनीयता और संवहनीयता:** सफल सामाजिक उद्यमों का लक्ष्य प्राय: अर्जित आय कार्यनीतियों के माध्यम से वित्तीय संवहनीयता सुनिश्चित करते हुए अपने प्रभाव को बढ़ाना होता है।
  - सहकारी डेयरी उद्यम **अमूल ने पूरे भारत में अपने मॉडल का विस्तार किया है** तथा एक सफल ब्रांड का निर्माण करते हुए **लाखों छोटे डेयरी किसानों को सशक्त बनाया है।**
- **हितधारक सहभागिता:** सामाजिक उद्यमी समाधानों की अभिकल्पना और कार्यान्वयन में अपने लाभार्थियों और अन्य हितधारकों को सक्रिय रूप से सम्मिलित करते हैं।
  - **SEWA (स्व-रोज़गार महिला एसोसिएशन)** अपने सदस्यों-निर्धन, **स्व-रोज़गार महिलाओं**- को निर्णयन की प्रक्रियाओं में सम्मिलित करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि हस्तक्षेप उनकी वास्तविक ज़रूरतों को पूर्ण करे।

भारत में सामाजिक चुनौतियों से निपटने में योगदान:

सामाजिक उद्यमिता भारत में विभिन्न सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है:

- **निर्धनता उन्मूलन:** आर्थिक अवसर उत्पन्न करके और वंचित समुदायों को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करके।
  - **रंग दे, अ पीर-टू-पीर लेंडिंग प्लेटफार्म, ग्रामीण उद्यमियों** को कम लागत पर सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है, जिससे उन्हें लघु व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने और निर्धनता से बाहर निकलने में सहायता मिलती है।
- **शिक्षा:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक अभिगम्यता में सुधार, विशेष रूप से हाशिये पर अवस्थित समूहों के लिये।
  - **एक गैर सरकारी संगठन (NGO) से सामाजिक उद्यम बने प्रथम** ने भारत भर के सरकारी स्कूलों में अधिगम के प्रतिफल को बेहतर बनाने के लिये नवीन, कम लागत वाली शिक्षण पद्धतियाँ विकसित की हैं।
- **महिला सशक्तीकरण**: महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण के लिये अवसर सृजित करना।
  - **महिलाओं की सहकारी संस्था लिज्जत पापड़ ने** पापड़ उत्पादन और वितरण में रोज़गार के अवसर प्रदान करके हज़ारों महिलाओं को सशक्त बनाया है।
- **वित्तीय समावेशन:** बैंकिंग सेवाओं से वंचित और अल्प बैंकिंग सुविधा वाले लोगों तक वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना।
  - **ईको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज** शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिये छोटे दुकानदारों के नेटवर्क का उपयोग करती है, जिससे वंचित समुदायों को वित्तीय रूप से समावेशित किया जा सके।
- **कृषि एवं ग्रामीण विकास:** कृषि उत्पादकता एवं ग्रामीण आजीविका में सुधार।
  - **डिजिटल ग्रीन** छोटे और सीमांत किसानों के बीच कृषि संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करने के लिये वीडियो-आधारित उपागम का उपयोग करता है, जिससे फसल की पैदावार और आय में सुधार होता है।
- **कौशल विकास एवं रोज़गार:** कौशल अंतर को कम करना तथा रोज़गार के अवसर सृजित करना।
  - **लेबरनेट** अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण और नौकरी की सेवाएँ प्रदान करता है, जिससे उनकी रोज़गार क्षमता और आय क्षमता में सुधार होता है।
- **आपदा प्रबंधन एवं समुत्थानशीलता:** आपदा तत्परता एवं प्रतिक्रिया के लिये नवीन समाधान विकसित करना।
  - **गूंज की "क्लॉथ फॉर वर्क"** पहल सामुदायिक विकास कार्यों के लिये दान की गई सामग्रियों के विनिमय के माध्यम से आपदा प्रभावित समुदायों को सम्मानजनक पुनर्वास प्रदान करती है।

यद्यपि सामाजिक उद्यमिता में अपार संभावनाएँ हैं, फिर भी भारत में इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

- **सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का अभाव:** वित्तपोषण, मार्गदर्शन और विनियामक सहायता तक सीमित अभिगम्यता।
- **सामाजिक प्रभाव और वित्तीय स्थिरता में संतुलन:** सामाजिक मिशन और वित्तीय व्यवहार्यता पर दोहरा ध्यान बनाए रखना।
- **प्रभाव संवर्द्धन:** गुणवत्ता और प्रभाव को संधारित करते हुए विकास की बाधाओं पर नियंत्रण।
- **प्रभाव का मापन और संप्रेषण:** सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन और प्रदर्शन करने के लिये सुदृढ़ मीट्रिक का विकास

निष्कर्ष:

भारत की सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने में सामाजिक उद्यमिता की पूरी क्षमता को प्रकट करने के लिये, प्रमुख कदमों में **सहायक नीतियाँ स्थापित करना, पूंजी तक अभिगम्यता सुनिश्चित करना तथा प्रशिक्षण और परामर्श के माध्यम से क्षमता निर्माण करना सम्मिलित है। सामाजिक उद्यमों, सरकार, निगमों और गैर सरकारी संगठनों** के बीच सहयोग आवश्यक है, साथ ही अनुसंधान

नोट :

एवं ज्ञान साझाकरण को प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है। एक सक्षम वातावरण के साथ, सामाजिक उद्यमिता भारत में समावेशी विकास और सतत् विकास को अग्रेषित कर सकती है।

प्रश्न : भारत में सामाजिक असमानताओं को दूर करने में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण कीजिये? क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम अपने उद्देश्यों को पूर्णत: प्राप्त कर सका है? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- सामाजिक असमानताओं को दूर करने में शिक्षा की भूमिका के समर्थन में तर्क दीजिये।
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम के सामाजिक समावेशन के उद्देश्यों का मूल्यांकन कीजिये।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम की सीमाओं की चर्चा कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

शिक्षा **सामाजिक विषमताओं को समाप्त करने में एक परिवर्तनकारी साधन है**, विशेषकर भारत में जहाँ जाति, वर्ग और लैंगिक असमानताएँ आवश्यक हैं। बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE अधिनियम) का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना तथा सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना है।

मुख्य भाग:

सामाजिक असमानताओं को दूर करने में शिक्षा की भूमिका:

- **आर्थिक सशक्तीकरण: शिक्षा व्यक्तियों को बेहतर रोज़गार के अवसरों और आर्थिक स्वतंत्रता** के लिये आवश्यक कौशल एवं ज्ञान से समृद्ध करती है।
  - **उदाहरण: कल्पना सरोज** की सफलता की कहानी **'स्लमडॉग मिलियनेयर'** से मिलती जुलती है, क्योंकि वह एक **दलित बालिका वधू** से **करोड़पति** बन गई है।
- **सामाजिक गतिशीलता:** शिक्षा **ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के अवसर प्रदान करती है, जिससे वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को** अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने का अवसर मिलता है।
  - **उदाहरण: डॉ. बी.आर. अंबेडकर** की कहानी, जो दलित पृष्ठभूमि से संबंधित थे, आगे चलकर भारत के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक और **भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार** बन गए, एक उदाहरण है कि शिक्षा कैसे सामाजिक गतिशीलता को सुगम बना सकती है।
- **लैंगिक समानता:** महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में शिक्षा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - **उदाहरण: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना** ने हाशिये के समुदायों की लड़कियों के लिये आवासीय विद्यालय स्थापित किये हैं, जिससे उनकी शिक्षा तक पहुँच में सुधार हुआ है।
- **जातिगत बाधाओं को पार करना:** शिक्षा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच समन्वय और समझ को बढ़ावा देकर जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने में मदद करती है।
  - **उदाहरण:** स्कूलों में **मध्याह्न भोजन योजना जातिगत बाधाओं को समाप्त करने में सफल** रही है, क्योंकि विभिन्न जातियों के बच्चे एक साथ भोजन करते हैं।
- **जागरूकता और सशक्तीकरण:** शिक्षा अधिकारों, सामाजिक मुद्दों और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाती है तथा हाशिये पर पड़े समुदायों को अपने अधिकारों का दावा करने के लिये सशक्त बनाती है।
  - **उदाहरण: सूचना का अधिकार अधिनियम** आंशिक रूप से शिक्षा के माध्यम से बढ़ी जागरूकता का परिणाम है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सामाजिक समावेशन के उद्देश्यों का मूल्यांकन:

- **नामांकन में वृद्धि:** RTE अधिनियम ने स्कूल नामांकन दरों में उल्लेखनीय सुधार (**आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की** रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्कूलों में **26.52 करोड़ छात्र** और उच्च शिक्षा में **4.33 करोड़ छात्र**) किया है, विशेष रूप से वंचित समूहों के लिये।
- **बुनियादी अवसंरचना का विकास: इस अधिनियम के कारण स्कूल के बुनियादी अवसंरचना में सुधार (90% से अधिक स्कूलों में पीने योग्य नल-जल उपलब्ध** है, **95.5%** सरकारी स्कूलों में लड़कों के लिये शौचालय हैं और **97.4% स्कूलों में लड़कियों के लिये शौचालय हैं**) हुआ है, जिससे **शिक्षा अधिक सुलभ** हो गई है।
- **वंचित समूहों का समावेशन:** निजी स्कूलों में **आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों और वंचित समूहों के लिये 25% आरक्षण** ने सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया है।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान:** अधिनियम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्त्व पर ज़ोर देता है, जिसमें **छात्र-शिक्षक अनुपात और शिक्षक योग्यता के मानदंड शामिल हैं। (UDISEPlus 2021-22 के** आँकड़ों से पता चलता है कि भारत का छात्र-शिक्षक अनुपात **प्राथमिक स्तर के लिये औसतन 26:1, उच्च प्राथमिक के लिये 19:1, माध्यमिक के लिये 17:1** और **उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये 27:1** है)

नोट :

सीमाएँ:

- **गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ:** यद्यपि नामांकन में सुधार हुआ है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी, विशेष रूप से सरकारी स्कूलों में चिंता का विषय बनी हुई है। (**ASER रिपोर्ट- 2023** से पता चलता है कि **14-18 आयु वर्ग के लगभग 25% युवा** अभी भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 स्तर की पाठ्य सामग्री को धाराप्रवाह ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं)
- **कार्यान्वयन में अंतराल:** राज्यों में अधिनियम के असमान कार्यान्वयन के कारण इसकी प्रभावशीलता में असमानताएँ आई हैं। (जबकि **केरल जैसे राज्यों ने लगभग सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर ली है, बिहार** जैसे अन्य राज्य **अभी भी उच्च ड्रॉपआउट दरों से जूझ रहे** हैं)।
- **शिक्षकों की कमी:** कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। (**शिक्षा मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, देश भर के सरकारी स्कूलों में 10 लाख** से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं)।
- **कुछ समूहों का बहिष्कार:** सुधारों के बावजूद, दिव्यांग बच्चों और प्रवासी बच्चों जैसे कुछ समूहों को बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। (भारत में **दिव्यांग बच्चों में से 75%** स्कूल नहीं जाते हैं: **यूनेस्को**)
  - इसके अलावा, माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9 और 10) में लैंगिक असमानता बढ़ती जा रही है, जहाँ **नामांकित बच्चों में लड़कियों की संख्या घटकर 47.9% रह गई है।**
- **निजी स्कूलों का विरोध:** कुछ निजी स्कूलों ने **वित्तीय बाधाओं का हवाला देते हुए 25% आरक्षण खंड का विरोध किया है। (वर्ष 2020 में, दिल्ली के कई निजी स्कूलों ने EWS छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति** न होने के कारण बंद होने की धमकी दी थी)

निष्कर्ष:

सामाजिक असमानताओं को दूर करने में शिक्षा की क्षमता का सही अर्थ में उपयोग करने के लिये भारत को **शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने, सभी राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के अनुरूप RTE अधिनियम, 2009 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने** और सबसे वंचित समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। **तभी शिक्षा भारतीय समाज में** सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अंतर को समाप्त करते हुए एक वास्तविक समानता लाने वाला घटक बन सकती है।

प्रश्न : "ऐप-आधारित गिग इकॉनमी के उदय से शहरी भारत में सामाजिक वर्गीकरण के नए स्वरूप उत्पन्न हुए हैं।" इस कथन का उभरती वर्ग संरचनाओं के संदर्भ में विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- ऐप-आधारित गिग इकॉनमी के उदय और समाज पर पड़े इसके समग्र प्रभाव का विश्लेषण कीजिये।
- शहरी भारत में सामाजिक वर्गीकरण के नए रूपों को प्रोत्साहित करने वाली गिग इकॉनमी के समर्थन में तर्क दीजिये।
- नए वर्गीकरण के बावजूद, गिग इकॉनमी आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तर्क सहित उत्तर दीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि भारत फ्लेक्सी-स्टाफ़िंग या गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिये एक अग्रणी देश के रूप में उभरा है।

- भारत में ऐप-आधारित गिग इकॉनमी का तेज़ी से विकास हो रहा है, जिसके वर्ष **2030 तक गिग कार्यबल के 23.5 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है,** जिससे शहरी रोज़गार की रूपरेखा परिवर्तित हो गई है और सामाजिक वर्गीकरण के नए स्वरूप निर्मित हुए हैं।
- यद्यपि इसने नौकरियों तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाया है, लेकिन इसने **अस्थिर आय**, सामाजिक सुरक्षा की कमी और अवसरों तक असमान पहुँच के कारण असमानताओं में भी वृद्धि हुई है।

मुख्य भाग:

गिग इकॉनमी और शहरी भारत में सामाजिक वर्गीकरण के नए रूपों का सृजन:

- **अनिश्चित 'गिग वर्कर' वर्ग का निर्माण:** गिग वर्करों को **आय अस्थिरता का सामना करना पड़ता है** तथा वेतनभोगी कर्मचारियों के विपरीत, उन्हें स्वास्थ्य बीमा या सवेतन अवकाश जैसी सुविधाओं का अभाव रहता है।
  - इससे एक **"कामकाजी गरीब" वर्ग का निर्माण होता है,** जो आर्थिक अस्थिरता के प्रति संवेदनशील होता है। उदाहरण के लिये, **स्विगी और ज़ोमैटो के डिलीवरी पार्टनर** मांग के आधार पर कमाते हैं, जिससे अप्रत्याशित आय होती है।

नोट :

- **वेतन असमानता और आर्थिक भेद्यता:** गिग इकॉनमी ने **"उच्च-कौशल" (जैसे- आईटी फ्रीलांसर)** और **"कम-कौशल" (जैसे- डिलीवरी ड्राइवर)** श्रमिकों के बीच वेतन अंतर को बढ़ा दिया है।
  - जबकि उच्च कौशल वाले श्रमिकों को अधिक स्वायत्तता और बेहतर वेतन मिलता है, वहीं **निम्न कौशल वाले श्रमिकों को कम वेतन** और सीमित सौदेबाज़ी शक्ति का सामना करना पड़ता है।
- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव और बढ़ती असमानता: वेतनभोगी श्रमिकों** के विपरीत, गिग श्रमिकों के पास **भविष्य निधि और पेंशन** जैसी सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप, वे आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति अतिसंवेदनशील हो जाते हैं।
  - **कोविड-19 लॉकडाउन ने इस कमज़ोरी को उजागर कर दिया**, जिससे कई गिग श्रमिकों को प्रतिपूरक सहायता के बिना आय से वंचित होना पड़ा।
- **एल्गोरिदम नियंत्रण और शोषण:** गिग श्रमिकों को एल्गोरिदम द्वारा प्रबंधित किया जाता है जो उनके कार्यक्रम, कार्य और आय को निर्धारित करते हैं।
  - प्लेटफॉर्मों द्वारा नीतियों में बार-बार परिवर्तन से **मनमाने ढंग से वेतन समायोजन और नौकरी की असुरक्षा हो सकती है,** जिससे श्रमिक-नियोक्ता संबंधों में तनाव एवं शक्ति असंतुलन उत्पन्न हो सकता है।
    - **उदाहरणस्वरूप,** एक **24 वर्षीय गिग कार्यकर्त्ता को** यह शपथ दिलाई गई कि जब तक **छह बड़े ट्रकों से सभी सामान उतार नहीं दिये जाते, तब तक वह शौचालय और पानी पीने हेतु ब्रेक नहीं लेगा।**
- **रेटिंग-आधारित वर्ग प्रणाली:** 4.5+ रेटिंग वाले श्रमिकों को बेहतर समय स्लॉट मिलते हैं, जिससे **उच्च रेटिंग वाले श्रमिकों का एक "कुलीन वर्ग" बनता है।**
  - बेहतर रेटिंग वाले श्रमिकों को प्रीमियम इलाकों तक पहुँच मिलती है और वे परिधीय क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक कमाते हैं।
  - **उदाहरणस्वरूप, दक्षिण मुंबई में खाद्य वितरण कर्मचारी** उपनगरीय समकक्षों की तुलना में अधिक कमाते हैं।

नए वर्गीकरण के सृजन के बावजूद, गिग इकॉनमी निम्नलिखित रूप में महत्त्वपूर्ण रही है:

- आर्थिक अवसरों और सामाजिक गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा पारंपरिक कम वेतन वाले रोज़गार की तुलना में **प्लेटफॉर्म श्रमिकों की औसत आय वर्ष 2023 में 48% बढ़ जाएगी।**
- **28% महिलाओं** के लिये लचीले कार्य विकल्प उपलब्ध हैं। **(टास्कमो गिग इंडेक्स)**
- **नीति आयोग ने कहा कि 47%** गिग कार्य मध्यम कुशल नौकरियों में करते हुए शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाना।
  - इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में **प्रवासी श्रमिकों को** गिग इकॉनमी के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में त्वरित रोज़गार प्राप्त हुआ है।
- आय असमानता को दूर करने और बेरोज़गारी को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना, जिससे भारत को वर्ष **2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुँचने में मदद मिलेगी।**

निष्कर्ष:

ऐप-आधारित गिग इकॉनमी के उदय ने निस्संदेह शहरी भारत में नौकरी के अवसरों का विस्तार किया है, लेकिन इसने **विभिन्न सामाजिक वर्गीकरण भी उत्पन्न किये हैं। इन उभरती असमानताओं को संबोधित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के सख्त कार्यान्वयन** और गिग इकॉनमी के भीतर निष्पक्ष श्रम प्रथाओं की आवश्यकता है।

भूगोल

प्रश्न : अपक्षय की प्रक्रिया की अवधारणा का वर्णन कीजिये। विभिन्न अपक्षय प्रक्रियाएँ विविध भूदृश्यों और मृदा प्रकारों के निर्माण में किस प्रकार योगदान करती हैं? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- अपक्षय को परिभाषित करते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- प्रमुख अपक्षय प्रक्रियाओं को बताइये।
- भू-दृश्य निर्माण पर अपक्षय के प्रभाव की गहनता बताइये।
- मृदा निर्माण में प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

अपक्षय भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से भू-पर्पटी पर या उसके समीप **शैल/चट्टानों** तथा **खनिजों** के **विखंडन एवं वियोजन** है। यह चट्टानों के न्यूनीकरण चक्र का एक महत्त्वपूर्ण घटक है जो **भू-परिदृश्यों को आकार देने और मिट्टी निर्माण में महत्त्वपूर्ण** भूमिका निभाता है।

नोट :

मुख्य भाग:

प्रमुख अपक्षय प्रक्रियाएँ:

- **भौतिक (यांत्रिक) अपक्षय:** भौतिक अपक्षय में शैलों की संरचना में परिवर्तन किये बिना उनका विखंडन होता है।
- प्रमुख प्रक्रियाओं में **तुषार वेजिंग** (शैलों के रंध्रों एवं दरारों में बार-बार हिमकरण एवं पिघलन), **तापीय विस्तारण** (गर्म होना और ठंडा होना), **लवण अपक्षय** (नमक क्रिस्टल दबाव) और **अपशल्कन** (जलयोजन के कारण खनिजों के आयतन में परिवर्तन/ परतों का हटना) शामिल हैं।
- **उदाहरण: योसेमाइट नेशनल पार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका** जैसे स्थानों में एक्सफोलियेशन डोम
- **रासायनिक अपक्षय:** रासायनिक अपक्षय से शैल के खनिज परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें आमतौर पर जल शामिल होता है।
- प्रमुख प्रक्रियाओं में **हाइड्रोलिसिस/जलअपघटन** (जल अणु आयनों को प्रतिस्थापित करता है), **ऑक्सीकरण** (ऑक्सीजन द्वारा अवयवों का अपक्षय), **कार्बोनीकरण** (कार्बोनिक अम्ल द्वारा खनिजों, विशेष रूप से चूना पत्थर के साथ अभिक्रिया, विलयन) और **जलयोजन** (खनिज जल को अवशोषित कर विस्तारित हो जाते हैं) शामिल हैं।
- **उदाहरण:** तीव्र ऑक्सीकरण के कारण **उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली लाल लैटेराइट मिट्टी**
- **जैविक अपक्षय:** जैविक अपक्षय में जीवों द्वारा शैलों का विखंडन शामिल है। मुख्य प्रक्रियाओं में **जड़ द्वारा अपक्षय क्रिया** (पौधों की जड़ें दरारों को चौड़ा करती हैं), **कार्बनिक अम्ल** (सड़ने वाले पौधों एवं जीवों के कारण खनिजों का क्षरण, घुलन) और **लाइकेन/मॉस वृद्धि** (शैल सतह का विखंडन) शामिल हैं।
- **उदाहरण:** समशीतोष्ण और आर्कटिक क्षेत्रों में **लाइकेन से आच्छादित चट्टानें**

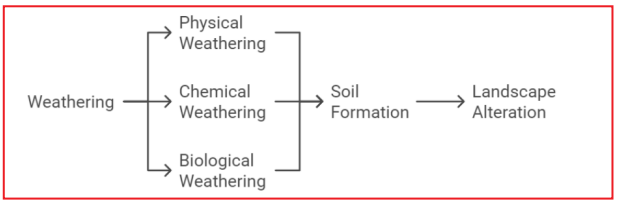

भू-दृश्य निर्माण पर प्रभाव:

- **विभेदक अपक्षय:** कठोर चट्टानें अपक्षय का प्रतिरोध करती हैं तथा कटक या शिखर का निर्माण करती हैं।
  - नरम चट्टानें तेज़ी से अपक्षयित होती हैं, जिससे घाटियाँ या खड्ड बनते हैं।
- **कार्स्ट स्थलाकृति:** चूना पत्थर जैसी घुलनशील शैलों के रासायनिक अपक्षय से निर्मित।
  - इसमें सिंकहोल, गुफाएँ और भूमिगत जल निकासी तंत्र शामिल हैं। **(थाईलैंड में थाम लुआंग गुफा तंत्र)**
- **मरुभूमि परिदृश्य:** अत्यधिक तापमान परिवर्तन के कारण भौतिक अपक्षय से प्रभावित।
  - **मशरूम चट्टानें** और **पेडेस्टल चट्टानें** जैसी संरचनाएँ विभिन्न अपक्षय के कारण बनती हैं।
- **तटीय भू-आकृतियाँ:** अपक्षय के साथ मिलकर लहरों की क्रिया समुद्री गुंबद और ढेरों जैसी आकृतियाँ बनाती है। **(ग्रेट ओशन रोड के समीप ट्वेल्व अपोज़ल्स, ऑस्ट्रेलिया)**

मृदा निर्माण पर प्रभाव:

- **अवशिष्ट मृदा:** मृदा निर्माण में मूल शैल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मूल शैल कोई भी स्वस्थाने या उसी स्थान पर अपक्षयित शैल मलवा (अवशिष्ट मृदा) हो सकती है। विशेषताएँ- मूल चट्टान और स्थानीय जलवायु पर निर्भर करती हैं। (टेरा रोसा मिट्टी)
- **स्थानांतरित मिट्टी:** पवन, जल या बर्फ द्वारा लाए गए निक्षेप (परिवहनकृत मृदा) से निर्मित।
- **मृदा संस्तर:** अपक्षय की तीव्रता मृदा परतों (संस्तरों) के विकास को प्रभावित करती है।
  - अधिक तीव्र अपक्षय के कारण **मृदा की संरचना अधिक जटिल एवं अधिक विकसित** हो जाती है।
- **मृदा गठन और संरचना:** भौतिक अपक्षय मृदा कण आकार को प्रभावित करता है।
  - रासायनिक अपक्षय से खनिज संरचना और पोषक तत्त्वों की उपलब्धता प्रभावित होती है। (तीव्र रासायनिक अपक्षय के कारण **आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिट्टी समृद्ध होती है**)

निष्कर्ष:

अपक्षय प्रक्रियाएँ भू-पर्पटी को आकार देने और विविध भू-परिदृश्य एवं मृदा के प्रकार के गठन में मौलिक हैं। विश्व भर में पाए जाने वाले भू-आकृतियों और मृदा संसाधनों की विशाल श्रृंखला, स्थलाकृतिक विशेषताओं, जलवायवीय एवं समय के साथ भौतिक, रासायनिक व जैविक अपक्षय की अंत:क्रिया का परिणाम है।

भारतीय विरासत और संस्कृति

प्रश्न : आधुनिक भारतीय चित्रकला के विकास में बंगाल चित्रकला शैली के प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

नोट :

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- बंगाल चित्रकला शैली के उद्भव पर प्रकाश डालते हुए उत्तर दीजिये।
- आधुनिक भारतीय चित्रकला के विकास पर बंगाल चित्रकला शाखा के प्रभाव का वर्णन कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

बंगाल चित्रकला शैली का उदय 20वीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू **पश्चिमी कलात्मक शैलियों के प्रभुत्व के प्रतिक्रिया स्वरूप** हुआ। **अबनिंद्रनाथ टैगोर जैसी हस्तियों के नेतृत्व में**, इसका उद्देश्य स्वदेशी कलात्मक परंपराओं को पुनर्जीवित करना और आधुनिक कला में एक विशिष्ट भारतीय पहचान स्थापित करना था।

मुख्य भाग:

आधुनिक भारतीय चित्रकला के विकास पर बंगाल चित्रकला शैली का प्रमुख प्रभाव:

- **भारतीय कलात्मक परंपराओं का पुनरुद्धार:** बंगाल चित्रकला शैली ने पारंपरिक भारतीय कला रूपों, विशेषकर **मुगल और राजपूत लघु चित्रकला में रुचि को पुनर्जीवित** किया।
  - इसमें स्वदेशी तकनीकों, कंटेंट और विषयों के उपयोग पर ज़ोर दिया गया।
  - **उदाहरण: अबनिंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पेंटिंग 'भारत माता' (वर्ष 1905)** में अजंता गुफा चित्रकला और मुगल लघुचित्रों के तत्त्व शामिल थे।
- **एक विशिष्ट भारतीय शैली का विकास:** कला की **इस शाखा ने पूर्वी और पश्चिमी कलात्मक तत्त्वों** का एक अनूठा मिश्रण बनाया, जिससे एक नई भारतीय कलात्मक पहचान स्थापित हुई।
  - इसने यूरोपीय तैल चित्रकला परंपराओं से हटकर **जलरंगों में वॉश तकनीक के प्रयोग** को बढ़ावा दिया।
  - **उदाहरण: नंदलाल बोस की पेंटिंग्स**, जैसे **'सती' (1907)**, शैलियों के इस सम्मिश्रण का उदाहरण हैं।
- **राष्ट्रवादी विषय-वस्तु और कल्पना:** बंगाल चित्रकला शैली के कलाकार प्राय: **भारतीय पौराणिक कथाओं, इतिहास और रोज़मर्रा की जीवन के विषयों को चित्रित करते थे**, जिससे राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा मिला।
  - इस दृष्टिकोण ने व्यापक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया।
- **कला शिक्षा पर प्रभाव: वर्ष 1919 में रवींद्रनाथ टैगोर** द्वारा **शांतिनिकेतन में कला भवन की स्थापना** ने कला शिक्षा के प्रति बंगाल चित्रकला शैली के दृष्टिकोण को संस्थागत रूप दिया।
  - इस मॉडल ने पूरे भारत में कला पाठ्यक्रमों को प्रभावित किया तथा भारतीय कलात्मक परंपराओं के महत्त्व पर ज़ोर दिया।
  - **उदाहरण: कलकत्ता (अब कोलकाता) स्थित गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट ने ई.बी. हैवेल** के नेतृत्व में बंगाल चित्रकला शैली के कई सिद्धांतों को अपनाया।
  - **अखिल एशियाई कलात्मक आदान-प्रदान:** बंगाल चित्रकला शैली ने अन्य एशियाई देशों, विशेष रूप से **जापान के साथ कलात्मक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया**, जिससे एशियाई सांस्कृतिक एकता की भावना को भी प्रोत्साहन मिला।
    - इससे भारतीय चित्रकला में पूर्वी एशियाई कलात्मक तकनीकों का समावेश हुआ।
    - **उदाहरण: जापानी कलाकार अराई काम्पो ने** नंदलाल बोस जैसे कलाकारों को प्रभावित किया।
- **पश्चिमी शैक्षणिक यथार्थवाद की आलोचना:** इस कला शाखा ने भारतीय कला संस्थानों में पश्चिमी शैक्षणिक यथार्थवाद के प्रभुत्व को चुनौती दी।
  - **इसने प्रतिनिधित्व के लिये** अधिक शैलीगत, प्रतीकात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया।
  - **उदाहरण:** अबनिंद्रनाथ टैगोर की **'द पासिंग ऑफ शाहजहाँ' (1902)** ने अधिक **भावनात्मक, शैलीगत चित्रण के पक्ष में फोटोग्राफिक यथार्थवाद का खंडन किया।**
- **पारंपरिक शिल्प का संरक्षण और संवर्द्धन:** बंगाल कला शाखा का ज़ोर स्वदेशी कला रूपों पर था, जो पारंपरिक शिल्प तक विस्तारित था, जिससे इन प्रथाओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में मदद मिली।
  - **उदाहरण: बंगाल में परंपरागत अल्पोना डिज़ाइन को पुनर्जीवित करने के लिये नंदलाल बोस का प्रयास।**
    - इंद्र दुगर की कृतियाँ **ग्रामीण बंगाली दृश्यों** और **भारतीय पौराणिक कथाओं** को दर्शाती हैं। उनकी कुछ सबसे उल्लेखनीय कृतियाँ **'द फेरी'** और **'विलेज सीन'** हैं।

निष्कर्ष:

बंगाल चित्रकला शैली का **आधुनिक भारतीय चित्रकला के विकास पर गहरा और स्थायी प्रभाव** पड़ा। इसने **पश्चिमी कलात्मक प्रभुत्व** को सफलतापूर्वक चुनौती देते हुए स्वदेशी कला रूपों में रुचि को पुनर्जीवित किया और **एक विशिष्ट भारतीय कलात्मक पहचान बनाई।** हालाँकि इसका प्रत्यक्ष शैलीगत प्रभाव कम हो गया है, लेकिन

नोट :

आधुनिकता को अपनाते हुए परंपरा से जुड़ने के इसके व्यापक सिद्धांत भारतीय कला को आयाम देना जारी रखते हैं।

प्रश्न : "प्राचीन भारत की स्तूप स्थापत्यकला न केवल धार्मिक विश्वासों का प्रतिबिंब है, बल्कि यह अपने समय की राजनीतिक और सामाजिक गतिशीलता को भी उजागर करती है।" साँची के स्तूपों के संदर्भ में विशेष चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- स्तूप वास्तुकला के महत्त्व का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- प्राचीन भारत की धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिशीलता को समझने में इसकी भूमिका बताइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

प्राचीन भारत की स्तूप वास्तुकला उस **समय के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य** के लिये एक गहन प्रमाण के रूप में कार्य करती है। ये स्मारकीय संरचनाएँ, विशेष रूप से जिनका उदहारण **साँची के स्तूप हैं, बौद्ध धर्मशास्त्र, राजसी संरक्षण और सामाजिक मानदंडों** के बीच जटिल अंतर्संबंध में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।

मुख्य भाग:

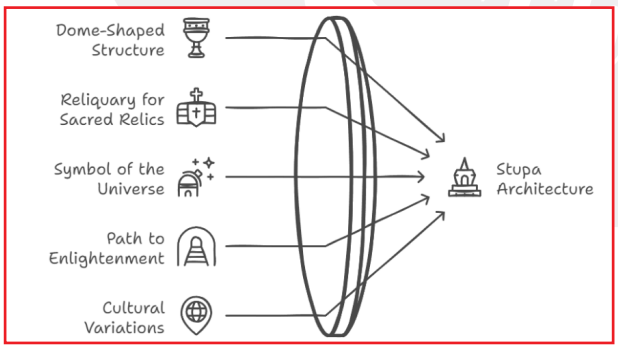

स्तूप- प्राचीन भारत की धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिशीलता की झलक:

- **धार्मिक महत्त्व:** इसका विकास बौद्ध प्रथाओं और विश्वासों के विकास को दर्शाता है:
  - **अनिकोनिक निरूपण: मौर्य काल** की साँची की प्राचीनतम कला में बुद्ध को मानव रूप के बजाय प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है।
    - **यह बुद्ध को आलंकारिक रूप में चित्रित करने** के प्रति प्रारंभिक बौद्धों की अरुचि को दर्शाता है।
  - **जातक कथाएँ: प्रवेशद्वार (तोरण)** बुद्ध के जीवन के दृश्यों और जातक कथाओं से सुसज्जित हैं, जो बौद्ध धर्म में कथात्मक परंपराओं के बढ़ते महत्त्व को दर्शाते हैं।
  - **अवशेष:** साँची के स्तूप 3 में बुद्ध के प्रमुख शिष्यों **सारिपुत्र और मौद्गल्यायन** के अवशेष हैं।
    - इससे पता चलता है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म में अवशेष पूजा कितनी महत्त्वपूर्ण थी।
- **राजनीतिक गतिशीलता:** सदियों से साँची का विकास बदलते राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाता है:
  - **मौर्य संरक्षण:** सम्राट अशोक द्वारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इस स्थल की स्थापना बौद्ध धर्म के प्रसार में मौर्य साम्राज्य की भूमिका को दर्शाती है।
    - **साँची स्थित अशोक स्तंभ** बौद्ध मूल्यों से जुड़ी शाही शक्ति का प्रतीक है।
  - **शुंग विस्तार:** शुंग राजवंश (दूसरी-पहली शताब्दी ईसा पूर्व) के दौरान स्तूप 1 का विस्तार, शुंगों की **ब्राह्मणवाद के पक्षधर** होने के बावजूद, **निरंतर शाही संरक्षण** को दर्शाता है।
  - **सातवाहन योगदान: सातवाहन काल (प्रथम शताब्दी ई.) के दौरान बनाए गए अलंकृत प्रवेशद्वार** इस राजवंश की बढ़ती हुई संपदा और कलात्मक परिष्कार को दर्शाते हैं।
- **सामाजिक गतिशीलता:** साँची की कला और वास्तुकला प्राचीन भारतीय समाज की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है:
  - **साँची के शिलालेखों से भिक्षुओं, भिक्षुणियों, आम लोगों और संघों** सहित विभिन्न सामाजिक समूहों से दान का पता चलता है। यह **बौद्ध धर्म के व्यापक सामाजिक आधार** और स्तूप निर्माण की सहभागितापूर्ण प्रकृति को दर्शाता है।
  - प्रवेशद्वारों पर बनी नक्काशी में **शहरी जीवन के दृश्य** दर्शाए गए हैं, जो **प्राचीन भारत में बढ़ते शहरीकरण** और शहरी आबादी के लिये बौद्ध धर्म के आकर्षण को दर्शाते हैं।
  - **गैर-स्थानीय कलात्मक प्रभावों (जैसे कि अकेमेनिड-प्रेरित सिंह शीर्ष)** की उपस्थिति, साँची के व्यापक व्यापार नेटवर्क से संबंध का सुझाव देती है।

निष्कर्ष:

प्राचीन भारत की स्तूप वास्तुकला, जिसका विशेष उदाहरण साँची का परिसर है, एक **बहुआयामी सांस्कृतिक कलाकृति का रूप** है। यह न केवल मूल बौद्ध सिद्धांतों को दर्शाता है, बल्कि **शासकों की राजनीतिक आकांक्षाओं, समुदायों की सामाजिक गतिशीलता** और उस समय की कलात्मक व तकनीकी उपलब्धियों को भी दर्शाता है।

■■■

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-2

राजनीति और शासन

प्रश्न : लोक सेवाओं में विशेषज्ञों की लेटरल एंट्री को शासन में नए दृष्टिकोण और विशेषज्ञता लाने के तरीके के रूप में देखा जाता है। इस दृष्टिकोण के गुण और दोष पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- लेटरल एंट्री क्या है, इसका उल्लेख करते हुए उत्तर की भूमिका लिखिये
- लेटरल एंट्री के गुण और दोष पर विचार कीजिये
- द्वितीय ARC को उद्धृत करते हुए संतुलित तरीके से निष्कर्ष लिखिये

परिचय:

लेटरल एंट्री, मध्य-स्तर और वरिष्ठ पदों को भरने के लिये सिविल सेवा के बाहर से विशेषज्ञों को नियुक्त करने की प्राविधि, तेज़ी से परिवर्तित होते विश्व में शासन की चुनौतियों का एक संभावित समाधान प्रस्तुत करती है।

- यद्यपि इससे **नए दृष्टिकोण** और **विशेष ज्ञान प्राप्त हो सकता है**, परंतु इससे नौकरशाही पदानुक्रम में व्यवधान उत्पन्न होने की चिंता भी उत्पन्न होती है।

मुख्य भाग:

लेटरल एंट्री के गुण:

- **विशिष्ट विशेषज्ञता:** लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश पाने वाले लोक सेवक क्षेत्र-विशिष्ट ज्ञान और कौशल को प्रस्तुत करते हैं, जिनकी मौजूदा लोक सेवकों में भारी कमी है।
  - **यह विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, वित्त और स्वास्थ्य सेवा** जैसे क्षेत्रों में मूल्यवान हो सकता है, जहाँ तीव्र प्रगति के लिये विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
  - **वर्ष 2002 में आर.वी. शाही की विद्युत सचिव के रूप में नियुक्ति से** महत्त्वपूर्ण विद्युत सुधार हुए।
    - विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र का उनका अनुभव जटिल क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने में अमूल्य सिद्ध हुआ।
- **नवीन उपागम:** बाह्य विशेषज्ञ नीतिगत मुद्दों पर भिन्न उपागमों को प्रस्तुत कर सकते हैं, **यथास्थिति को चुनौती दे सकते हैं तथा नवाचार को संवर्द्धित कर सकते हैं।**
  - **राजकोषीय सुधारों में विजय केलकर के अनुभव ने** महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला।
    - **अप्रत्यक्ष कर सुधारों पर केलकर टास्क फोर्स ने** राष्ट्रीय स्तर पर GST को कार्यान्वित करने का सुझाव दिया था, जिसे लागू कर दिया गया है।
- **दक्षता में वृद्धि:** लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश पाने वाले लोक सेवक **परिणाम-उन्मुख वातावरण में कार्य करने के अधिक अभ्यस्त होते है,** जिससे सरकारी विभागों में दक्षता और निर्णयन में सुधार करने में सहायता मिल सकती है।
  - **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** में लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश पाने वाले लोक सेवकों द्वारा **एआई कार्यान्वयन या साइबर सुरक्षा उपायों** पर उपागमों का प्रयोग किया जा सकता है, जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हैं, जिससे संभावित रूप से प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और दक्षता में सुधार करने में सहायता मिलेगी।
- **शीर्ष प्रतिभा को आकर्षित करना:** लेटरल एंट्री **उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने का एक तरीका हो सकता है, जो अन्यथा लोक सेवा में करियर पर विचार नहीं करते हैं।**
  - इससे शासन की गुणवत्ता को संवर्द्धित करने और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करने में सहायता मिल सकती है।
  - **अगस्त 2024** तक, विगत् 5 वर्षों में लेटरल एंट्री के माध्यम से कुल **63 नियुक्तियाँ की गई हैं, जिनमें 57 लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश पाने वाले लोक सेवक सक्रिय रूप से सेवारत हैं।**

लेटरल एंट्री के दोष:

- **नौकरशाही पदानुक्रम में व्यवधान: लोक सेवा के मध्य और वरिष्ठ पदों पर बाह्य विशेषज्ञों को** सम्मिलित करने से विद्यमान पदानुक्रम में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है तथा पारंपरिक लोकसेवकों और लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश पाने वाले लोक सेवकों के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है।

नोट :

- **पारंपरिक लोक सेवकों का प्रतिरोध,** जो लेटरल एंट्री को अपने करियर की प्रगति के लिये खतरा मानते हैं, **विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है,** जिसमें असहयोग से लेकर लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश पाने वाले लोक सेवकों द्वारा संचालित पहलों में सक्रिय अभिध्वंस तक शामिल है।

- **सांस्कृतिक बेमेल:** लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश पाने वाले लोक सेवकों को **नौकरशाही संस्कृति** और प्रक्रियाओं के अनुकूल होने में कठिनाई हो सकती है, जिसके कारण अकुशलता और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
  - **त्वरित निर्णयन के अभ्यस्त** एक लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश पाने वाले लोक सेवक को सरकार में आमतौर पर अंगीकृत की जाने वाली बहुस्तरीय अनुमोदन प्रक्रियाओं से जूझना पड़ सकता है।
  - इस सांस्कृतिक बेमेल के परिणामस्वरूप लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश पाने वाले लोक सेवकों के बीच **निराशा, प्रभावशीलता में कमी और संभावित रूप से उच्च आवर्तन दरें हो सकती हैं।**
- **हितों के गलत संरेखण की संभावना:** बाह्य विशेषज्ञों के **अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक हित हो सकते हैं** जो उनके निर्णयन को प्रभावित कर सकते हैं।
  - इससे हित संघर्ष हो सकता है और जनता का विश्वास कम हो सकता है।
- **समेकन में चुनौतियाँ:** मौजूदा टीमों और परियोजनाओं में लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश पाने वाले लोक सेवकों को समेकित करना कठिन हो सकता है, जिसके लिये सावधानीपूर्वक योजना तथा प्रबंधन की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष:

जैसा कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया है, लोक सेवाओं में लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश पाने वाले लोक सेवकों को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त, नौकरशाही के भीतर विशेषज्ञता विकसित करने के लिये एक केंद्रित प्रयास होना चाहिये। इसमें **प्रौद्योगिकी, वित्त और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों के लिये विशेष कैडर का निर्माण,** दस वर्ष की सेवा के बाद अनिवार्य क्षेत्र विशेषज्ञता शुरू करना और लोक सेवकों के निरंतर पेशेवर विकास के लिये अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी करना शामिल हो सकता है।

प्रश्न : हाल के दशकों में शासन में नागरिक समाज की भूमिका काफी विकसित हुई है। लोकतांत्रिक प्रणालियों में नीति निर्माण और कार्यान्वयन पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- शासन में नागरिक समाज की उभरती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उत्तर की भूमिका लिखिये
- लोकतांत्रिक प्रणालियों में नीति निर्माण और कार्यान्वयन में नागरिक समाज की भूमिका स्पष्ट कीजिये।
- इससे संबंधित चुनौतियों और विचारों पर प्रकाश डालिये
- आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष लिखिये

परिचय:

हाल के दशकों में शासन में **नागरिक समाज** की भूमिका काफी विकसित हुई है। **स्वतंत्रता के बाद के दौर** में **राष्ट्र निर्माण और अधिकार-आधारित वकालत पर ध्यान केंद्रित करने वाले** नागरिक समाज संगठन **1990 और 2000 के दशक में सेवा वितरण अंतराल को भरने और उत्तरदायित्व प्रोत्साहन की दिशा में प्रवृत्त हुए।**

- हाल ही में, उनकी भूमिका का विस्तार **डिजिटल सहभागिता, सहयोगात्मक शासन और डेटा-संचालित वकालत को सम्मिलित करने के लिये किया गया है, जो** लोकतांत्रिक भागीदारी और तकनीकी प्रगति के परिवर्तित होते परिदृश्य को प्रदर्शित करता है।

मुख्य भाग:

लोकतांत्रिक प्रणालियों में नीति निर्माण और कार्यान्वयन में नागरिक समाज की भूमिका

- **नीति निर्माण में जनता की भागीदारी में वृद्धि: नागरिक समाज संगठनों (CSO) ने** नीति निर्माण प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी में वृद्धि की है, जिससे जनता और सरकार के बीच के अंतराल को कम करने में सहायता मिली है।
  - भारत में, **मज़दूर किसान शक्ति संगठन (MKSS)** जैसे नागरिक समाज समूहों के नेतृत्व में **सूचना का अधिकार (RTI) आंदोलन के** परिणामस्वरूप वर्ष 2005 में RTI अधिनियम पारित हुआ।
- **वकालत और एजेंडा-निर्धारण: नागरिक समाज संगठन महत्त्वपूर्ण मुद्दों** को सार्वजनिक चर्चा और राजनीतिक एजेंडा में अग्रेषित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं।
  - मेधा पाटकर के नेतृत्व में **नर्मदा बचाओ आंदोलन** ने बड़े बांध परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

नोट :

- **नीति अनुसंधान और विशेषज्ञता:** नागरिक समाज प्राय: नीतिगत निर्णयन हेतु मूल्यवान अनुसंधान और विशेषज्ञ ज्ञान प्रदान करता है।
  - **नई दिल्ली स्थित नीति अनुसंधान केंद्र (CPR)** नियमित रूप से नीति दस्तावेज़ और सिफारिशें तैयार करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में विधायी बहसों और नीति निर्माताओं को जानकारी प्रदान करते हैं।
- **निगरानी कार्य:** नागरिक समाज संगठन निगरानीकर्त्ता के रूप में कार्य करते हैं, सरकारी कार्यों की निगरानी करते हैं तथा सार्वजनिक अधिकारियों को उत्तरदायी बनाते हैं।
  - **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)** भारत में चुनावी प्रक्रियाओं के लिये एक निगरानी संस्था के रूप में कार्य करता है (उदाहरण के लिये, हाल ही में ***एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य का* चुनावी बांड** पर मामला)।
- **सेवा वितरण:** कई मामलों में, नागरिक समाज संगठन सेवा वितरण में सरकारी प्रयासों की पूर्ति करते हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ राज्य की पहुँच सीमित है।
  - **भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन** सरकार के साथ साझेदारी में मध्याह्न भोजन योजना को कार्यान्वित करने के लिये कार्य करता है तथा लाखों स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराता है।
- **हाशिये पर स्थित समूहों का प्रतिनिधित्व:** नागरिक समाज प्राय: नीति प्रक्रिया में हाशिये पर स्थित या निम्न प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के हितों की वकालत करता है और उनका प्रतिनिधित्व करता है।
  - **दलित मानवाधिकार पर राष्ट्रीय अभियान (NCDHR)** दलित अधिकारों की वकालत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- **नीति कार्यान्वयन और प्रतिपुष्टि:** नागरिक समाज संगठन प्राय: नीति कार्यान्वयन में भाग लेते हैं और नीतियों की प्रभावशीलता पर मूल्यवान प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं।
  - शिक्षा पर केंद्रित एक गैर सरकारी संगठन **प्रथम, वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER)** तैयार करता है, जो ग्रामीण भारत में शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने और उसे सुधारने में एक महत्त्वपूर्ण उपकरण बन गया है।
- **जनमत संग्रह:** नागरिक समाज संगठन महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर जनमत संग्रह कर सकते हैं तथा जमीनी स्तर पर आंदोलनों के माध्यम से नीतिगत निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।
  - **भारत में अन्ना हज़ारे** के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके परिणामस्वरूप **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013** पारित हुआ।
- **सहयोगात्मक शासन:** सहयोगात्मक शासन की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है, जहाँ नागरिक समाज संगठन नीतियों के सह-निर्माण और कार्यान्वयन के लिये सरकारी निकायों के साथ साझेदारी में कार्य करते हैं।
  - **स्वच्छता ही सेवा अभियान** के तहत देश भर में स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकार और **सुलभ इंटरनेशनल** जैसे नागरिक समाज संगठनों के बीच व्यापक सहयोग देखा गया।

चुनौतियाँ और विचार:

- यद्यपि नागरिक समाज ने लोकतांत्रिक शासन को काफी हद तक विस्तारित किया है, तथापि कुछ **नागरिक समाज संगठनों की प्रतिनिधित्व क्षमता और उत्तरदायित्व को** लेकर चिंताएँ हैं।
- कुछ संदर्भों में, NGO के विदेशी निधियन और घरेलू नीतियों पर उनके संभावित प्रभाव के विषय में चिंताएँ हैं। (वर्ष 2020 में, विदेशी निधियन नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए, सरकार द्वारा अपने बैंक खातों को फ्रीज किये जाने के बाद **एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया** ने परिचालन बंद कर दिया था)
- **डिजिटल विभाजन (केवल 24% ग्रामीण भारतीय परिवारों के पास इंटरनेट तक पहुँच है)** नागरिक सहभागिता के नए रूपों में समाज के कुछ वर्गों की भागीदारी को सीमित कर सकता है।

निष्कर्ष:

शासन में नागरिक समाज की भूमिका के विकास ने **निस्संदेह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और गहन किया है**, जिससे नीति निर्माण और कार्यान्वयन अधिक **सहभागी, पारदर्शी और जनता की ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी बन गया है।** जैसे-जैसे लोकतंत्र विकसित होगा, **सरकार तथा नागरिक समाज के बीच सही संतुलन स्थापित करना और उत्पादक भागीदारी को प्रोत्साहित करना** प्रभावी एवं समावेशी शासन के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।

प्रश्न : भारतीय न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा के लिये आवश्यक है, फिर भी इसे महत्त्वपूर्ण प्रणालीगत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। न्यायिक सुधारों को प्रस्तावित कीजिये जो इन चुनौतियों का समाधान कर सकें और न्यायिक प्रणाली की दक्षता तथा पारदर्शिता को बढ़ा सकें। (250 शब्द)

नोट :

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में न्यायपालिका की भूमिका का संक्षेप में उल्लेख कीजिये।
- भारतीय न्यायपालिका के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- भारतीय न्यायपालिका में चुनौतियों का समाधान करने के लिये न्यायिक सुधारों को प्रस्तावित कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है, जिसका काम संविधान को बनाए रखना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और विधि का शासन सुनिश्चित करना है। यह कार्यपालिका और विधायिका शाखाओं पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है, लोकतांत्रिक प्रणाली में शक्ति संतुलन को बनाए रखता है।

मुख्य भाग:

अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, भारतीय न्यायपालिका को कई प्रणालीगत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

- **लंबित मामलों की संख्या:** भारतीय न्यायपालिका लंबित मामलों की भारी समस्या से जूझ रही है, जिससे ससमय न्याय मिलने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
  - सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में 80,000 से अधिक मामले लंबित हैं, जबकि उच्च न्यायालयों में 620,000 से अधिक मामले लंबित हैं तथा अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष 2023 के अंत तक 40 मिलियन से अधिक मामले अनसुलझे पाए गए।
- **न्यायिक रिक्तियाँ:** न्यायपालिका के सभी स्तरों पर न्यायाधीशों की कमी एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, जिससे लंबित मामलों की संख्या में बहुत वृद्धि हो रही है।
  - भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं जिनमें न्यायाधीशों के स्वीकृत पद 1,114 हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 782 पदों पर ही भर्ती हुई है, जिससे 332 न्यायाधीशों के पद रिक्त रह गए हैं।
- **न्यायिक दायित्व का अभाव:** न्यायिक दायित्व सुनिश्चित करने के लिये एक सदृढ़ तंत्र का अभाव चिंता का विषय रहा है, जिससे न्यायपालिका में जनता का विश्वास प्रभावित हो सकता है।
  - **कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)** के प्रस्ताव को वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
- **बुनियादी अवसंरचना और तकनीकी अंतराल:** आधुनिकीकरण के प्रयासों के बावजूद, कई भारतीय न्यायालयों में अभी भी पर्याप्त बुनियादी अवसंरचना और तकनीकी सहायता का अभाव है, जिससे कुशल न्याय सुनिश्चितता में बाधा उत्पन्न हो रही है।
  - ज़िला न्यायपालिका में न्यायाधीशों के स्वीकृत 25,081 पदों के लिये 4,250 न्यायालय कक्षों और 6,021 आवासीय इकाइयों की कमी है।
- **कार्यपालिका का हस्तक्षेप और न्यायिक स्वतंत्रता:** हाल के वर्षों में न्यायिक मामलों में कार्यपालिका के हस्तक्षेप के कई उदाहरण देखे गए हैं, जिससे न्यायिक स्वायत्तता के ह्रास के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।
- **सुगम्यता संबंधी मुद्दे:** कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलता, मुकदमेबाज़ी की उच्च लागत और कानूनी सहायता की कमी के कारण समाज के हाशिये पर पड़े वर्गों के लिये न्याय तक पहुँच कठिन हो जाती है।
- **ई-फाइलिंग और केस रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण:** 31 जुलाई 2023 तक 18,36,627 मामले ई-फाइल किये जा चुके हैं, जिनमें से 11,88,842 (65%) मामले ज़िला न्यायालयों में ई-फाइल किये गए। हालाँकि iJuris पर न्यायिक अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, केवल 48.6% ज़िला न्यायालय परिसरों में ही कार्यात्मक ई-फाइलिंग सुविधा है।

प्रस्तावित न्यायिक सुधार:

- **न्यायिक लंबित मामलों का समाधान:** भारत ई-कोर्ट परियोजना को पूर्ण रूप से क्रियान्वित और विस्तारित करके लंबित मामलों की संख्या को बहुत हद तक कम कर सकता है, जिसमें न्यायालय के अभिलेखों के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन केस फाइलिंग एवं AI- सहायता प्राप्त केस प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
- **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र:** मध्यस्थता, पंचनिर्णय और लोक अदालतों जैसे ADR तंत्रों को बढ़ावा देने तथा सुदृढ़ करने से औपचारिक न्यायालयों पर बोझ बहुत हद तक कम हो सकता है।
- **रिक्तियों की भर्ती:** न्यायिक रिक्तियों की भर्ती के लिये त्वरित प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
  - एक स्वायत्त और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (JAC) की स्थापना से न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ सकती है।
- **कानूनी सहायता और न्याय तक पहुँच:** न्याय तक पहुँच में सुधार के लिये कानूनी सहायता सेवाओं को बढ़ाना आवश्यक है।

नोट :

भारत नीदरलैंड की प्रणाली से प्रेरणा ले सकता है, जहाँ प्रत्येक नागरिक आय स्तर के आधार पर सब्सिडी वाली कानूनी सहायता पाने का अधिकारी है।

- **न्यायालय का बुनियादी अवसंरचना और संसाधन प्रबंधन:** कुशल न्याय वितरण के लिये न्यायालय के बुनियादी अवसंरचना में सुधार करना महत्त्वपूर्ण है।
  - ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिये केंद्र सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना (CSS), जिसका कुल परिव्यय 9,000 करोड़ रुपए है, एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में तेज़ी लाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

एक पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह न्यायपालिका न केवल लोकतांत्रिक समाज के कामकाज के लिये बल्कि विधि व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिये भी आवश्यक है। यदि न्यायिक सुधारों को अक्षरश: और भावना से लागू किया जाए, तो संवैधानिक मूल्यों एवं लोकतांत्रिक सिद्धांतों के एक दृढ़ संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका बढ़ेगी।

प्रश्न : आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने में भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग की भूमिका का परिक्षण कीजिये। विशेष रूप से, डिजिटल बाज़ारों को विनियमित करने में आयोग को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग के संक्षिप्त परिचय के साथ उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने में CCI की भूमिका बताइये।
- डिजिटल बाज़ारों को विनियमित करने में चुनौतियों पर गहन विचार कीजिये।
- आगे का रास्ता सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित **भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI)** भारत में आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका कार्य **निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करना, उपभोक्ता हितों की रक्षा** करना और **प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकना** है।

मुख्य भाग:

आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने में CCI की भूमिका:

- **प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकना:** CCI सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी समझौतों, जैसे कार्टेल, मूल्य-निर्धारण और बोली-धाँधली की जाँच करता है तथा उन्हें प्रतिबंधित करता है। ये प्रथाएँ प्रतिस्पर्द्धा को बाधित कर सकती हैं, उपभोक्ता विकल्प को कम कर सकती हैं और कीमतों को बढ़ा सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं व छोटे व्यवसायों के हितों को नुकसान पहुँच सकता है।
  - वर्ष 2022 में, **राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण** ने बीयर निर्माताओं पर CCI द्वारा लगाए गए 873 करोड़ रुपए के जुर्माने को बरकरार रखा।
- **विलय और अधिग्रहण का विनियमन:** CCI **प्रतिस्पर्द्धा पर उनके संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिये विलय और अधिग्रहण की समीक्षा** करता है।
  - प्रतिस्पर्धा-विरोधी विलयों को रोककर, CCI यह सुनिश्चित करता है कि बाज़ार प्रतिस्पर्द्धा योग्य बने रहें और उपभोक्ताओं को विभिन्न विकल्पों से लाभ मिले।
  - वर्ष 2023 में, CCI ने **कुछ शर्तों के साथ एयर इंडिया द्वारा 'विस्तारा' के अधिग्रहण को मंज़ूरी दी।**
- **प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकना:** CCI प्रभुत्वशाली फर्मों के व्यवहार पर नज़र रखता है, ताकि उन्हें अपनी बाज़ार शक्ति का दुरुपयोग करने से रोका जा सके।
  - ऐसी प्रथाओं में **प्रतिस्पर्द्धी मूल्य निर्धारण, अनुबद्ध और बंडलिंग** शामिल हो सकते हैं, जो छोटे प्रतिस्पर्द्धियों को नुकसान पहुँचा सकते हैं तथा उपभोक्ता के विकल्प सीमित कर सकते हैं।
  - **उदाहरण: गूगल के प्ले स्टोर बिलिंग नीतियों में प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम की धारा 4** के उल्लंघन की जाँच।

डिजिटल बाज़ारों को विनियमित करने में चुनौतियाँ:

- **डिजिटल बाज़ारों की वैश्विक प्रकृति:** डिजिटल प्लेटफॉर्म प्राय: वैश्विक स्तर पर काम करते हैं, जिससे **राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा प्रतिषेध प्राधिकरणों के लिये उन्हें प्रभावी रूप से विनियमित करना कठिन** हो जाता है।
  - सीमा पार प्रतिस्पर्द्धा के मुद्दों को सुलझाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय नियामकों के साथ समन्वय और सहयोग आवश्यक है।
- **तीव्र तकनीकी प्रगति:** डिजिटल अर्थव्यवस्था में तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति के कारण **CCI के लिये नवीनतम**

नोट :

विकास के साथ तालमेल बनाए रखना और संभावित प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

- **डेटा गोपनीयता चिंताएँ: व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति** जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा व्यक्तिगत डेटा का संग्रह और प्रयोग, गोपनीयता संबंधी चिंताओं को बढ़ाता है तथा छोटे प्रतिस्पर्द्धियों के लिये बाज़ार में प्रवेश में बाधाएँ उत्पन्न कर सकता है। गोपनीयता हितों के साथ प्रतिस्पर्द्धा संबंधी चिंताओं को संतुलित करना एक जटिल कार्य है।
- **नेटवर्क प्रभाव:** डिजिटल बाज़ार प्राय: **नेटवर्क प्रभाव** प्रदर्शित करते हैं, जहाँ उपयोगकर्त्ताओं की संख्या के साथ प्लेटफॉर्म का मूल्य बढ़ता है। यह **प्रवेश में बाधाएँ** उत्पन्न कर सकता है और प्रमुख प्लेटफॉर्म को महत्त्वपूर्ण बाज़ार शक्ति का उपयोग करने की अनुमति दे सकता है।
- **बाज़ार-शक्ति का आकलन:** डिजिटल बाज़ारों में, बाज़ार की शक्ति के पारंपरिक उपाय, जैसे कि **बाज़ार में हिस्सेदारी, उतने प्रभावी नहीं** हो सकते हैं। CCI को डिजिटल संदर्भ में बाज़ार की शक्ति का आकलन करने के लिये नए उपकरण और कार्यप्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

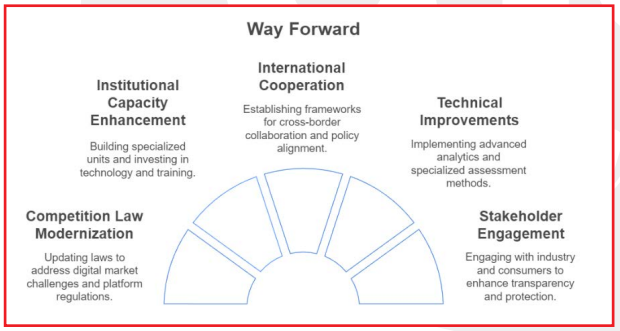

निष्कर्ष:

CCI समान अवसर सुनिश्चित करके और उपभोक्ता हितों की रक्षा करके आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करके, तकनीकी विशेषज्ञता में निवेश करके और **डिजिटल युग में बाज़ार की शक्ति का आकलन हेतु नए उपकरण विकसित करके,** CCI भारतीय उपभोक्ताओं एवं व्यवसायों के लाभ के लिये प्रतिस्पर्द्धी व समावेशी बाज़ार वातावरण को बढ़ावा देना जारी रख सकता है।

प्रश्न : भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के महत्त्व और उससे संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। भारत में CSR की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये कौन-कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- भारत में CSR गतिविधियों के महत्त्व और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।
- CSR प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) एक ऐसा व्यवसाय मॉडल है, जिसमें कंपनियाँ स्वेच्छा से **सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक विचारों को** अपने संचालन एवं हितधारकों के साथ संबंधों में शामिल करती हैं। भारत में, **कंपनी अधिनियम, 2013** की **धारा 135 के तहत CSR के अनिवार्य प्रावधान 1 अप्रैल, 2014** से लागू हुए।

मुख्य भाग:

भारत में CSR गतिविधियों का महत्त्व:

- **शैक्षिक अवसर और कौशल विकास: कंपनियों के** CSR व्यय के तहत शिक्षा तथा कौशल विकास पर **10,085 करोड़ रुपए खर्च किये गए,** जिससे यह प्रभाव का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है।
- **सामुदायिक बुनियादी ढाँचे में वृद्धि:** वेदांता के CSR प्रयासों, **'स्वस्थ गाँव अभियान'** के माध्यम से **1,000 गाँवों** में संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं, जिससे स्वच्छता में वृद्धि हो रही है और स्वास्थ्य जोखिम कम हो रहे हैं।
- **आर्थिक आत्मनिर्भरता और आजीविका कार्यक्रमों को बढ़ावा देना:** हिंदुस्तान यूनिलीवर की **'प्रभात'** पहल ग्रामीण महिलाओं को उद्यमीता कौशल प्रशिक्षण देकर उनके सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु कार्रवाई: महिंद्रा समूह हर साल दस लाख पेड़** लगा रहा है, जिससे एक सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार निगम के रूप में इसके ब्रांड मूल्य में वृद्धि हुई है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ा है।
- **सतत् विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण:** वर्ष 2023 तक, भारत में लगभग **60% CSR परियोजनाएँ सीधे सतत् विकास लक्ष्यों (स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण) को लक्षित करती हैं,** जो वैश्विक विकास लक्ष्यों को स्थानीय कार्रवाई के साथ एकीकृत करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

नोट :

भारत में CSR से संबंधित प्रमुख मुद्दे:

- **कार्यान्वयन अंतराल और परियोजना समय-सीमा का कुप्रबंधन: बोर्ड अनुमोदन** और बजट आवंटन में **देरी के कारण,** कंपनियाँ CSR परियोजनाओं को एक सीमित समय-सीमा के अंदर पूरा करने में जल्दबाज़ी करती हैं।
- **असमान भौगोलिक वितरण:** वर्ष 2023 के आँकड़ों के अनुसार, **महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक को कुल CSR फंड का** एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त हुआ।
  - सरकार द्वारा **आकांक्षी ज़िलों में CSR निवेश का समर्थन करने के बावजूद, वर्ष 2014-22 के दौरान कुल CSR का केवल 2.15% ही** इन ज़िलों में निवेश किया गया है।
- **निगरानी एवं मूल्यांकन चुनौतियाँ:** वर्तमान ढाँचा गुणात्मक प्रभाव आकलन की तुलना में मात्रात्मक मैट्रिक्स पर ज़ोर देता है।
- **प्रभाव से अधिक अनुपालन: नवीन समाधानों की अपेक्षा सुरक्षित और स्थापित परियोजनाओं को** प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति है, जिसमें CSR परियोजनाओं का एक छोटा हिस्सा नवीन दृष्टिकोण या जोखिम उठाने से संबंधित होता है।
  - यह **अनुपालन-केंद्रित दृष्टिकोण CSR के** परिवर्तनकारी सामाजिक प्रभाव की क्षमता को सीमित करता है।

भारत में CSR की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय:

- **रणनीतिक दीर्घकालिक योजना ढाँचा:** CSR परियोजनाओं को वार्षिक चक्र से अनिवार्य 3-5 वर्ष की प्रतिबद्धताओं में बदलना होगा, ताकि सतत् प्रभाव और उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- **डिजिटल एकीकरण और स्मार्ट निगरानी प्रणाली: सभी हितधारकों - कंपनियों, गैर-सरकारी संगठनों, लाभार्थियों और सरकारी एजेंसियों - को** एक ही इंटरफेस के माध्यम से जोड़ने के लिये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन।
- **व्यावसायिक प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण:** क्षेत्र के विशेषज्ञों के नेतृत्व में समर्पित CSR विभाग स्थापित करना तथा **डोमेन विशेषज्ञता वाले पेशेवर परियोजना प्रबंधकों द्वारा समर्थित होना।**
- **भौगोलिक एकीकरण और सामुदायिक स्वामित्व:** बिखरे हुए हस्तक्षेपों के बजाय विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के व्यापक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए **क्लस्टर-आधारित विकास दृष्टिकोण को** अपनाना।
- **प्रभाव मापन एवं स्थिरता ढाँचा: सामाजिक परिवर्तन के गुणात्मक आकलन को मात्रात्मक मीट्रिक्स के साथ मिलाकर** व्यापक प्रभाव मापन प्रणालियाँ विकसित करें।

निष्कर्ष:

CSR के प्रभाव को बढ़ाने के लिये भारत को दीर्घकालिक योजना, **डिजिटल एकीकरण, पेशेवर प्रबंधन, सहयोगात्मक कार्यान्वयन, भौगोलिक फोकस** और मज़बूत प्रभाव मापन की आवश्यकता है। इन मुद्दों को संबोधित करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि CSR सतत् विकास में सार्थक योगदान दे।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्न : शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में शामिल होने के भारत के सामरिक उद्देश्यों का विश्लेषण कीजिये। इसकी सदस्यता ने क्षेत्रीय भू-राजनीति को कैसे प्रभावित किया है? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- शंघाई सहयोग संगठन में भारत की सदस्यता पर प्रकाश डालते हुए उत्तर भी भूमिका लिखिये।
- SCO में शामिल होने के भारत के उद्देश्यों और क्षेत्रीय भू-राजनीति पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

वर्ष 2017 में प्राप्त **शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** में भारत की सदस्यता एक सामरिक कदम है, जो क्षेत्रीय संपर्क को सुदृढ़ करने और सुरक्षा सहयोग में संवर्द्धन के इसके व्यापक उद्देश्यों को प्रदर्शित करता है।

- मुख्य रूप से **चीन और रूस** द्वारा संचालित SCO, भारत को बहुध्रुवीय ढाँचे में अपने लक्ष्यों को अग्रेषित करने तथा **मध्य एशिया के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में प्रभाव डालने के लिये एक मंच प्रदान करता है।**

मुख्य भाग:

SCO में भारत का सामरिक उद्देश्य और क्षेत्रीय भू-राजनीति पर इसका प्रभाव:

- **आतंकवाद निरोध और सुरक्षा सहयोग**
  - **उद्देश्य: आतंकवाद, कट्टरपंथ और मादक पदार्थों की तस्करी** जैसे क्षेत्रीय खतरों से निपटने के लिये सुरक्षा पहलों पर सहयोग करना।
  - **प्रभाव:** भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर आतंकवाद के प्रत्यक्ष प्रभाव को देखते हुए, विशेष रूप से **पाकिस्तान से,** भारत खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद-रोधी समन्वय

नोट :

के लिये SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी ढाँचे (RATS) का उपयोग करता है।

- **SCO शिखर सम्मेलन 2024** से पूर्व **कराची हवाई अड्डे पर विस्फोट,** आतंकवाद के विरूद्ध सुदृढ़ SCO सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और भारत के हितों के लिये एक प्रमुख प्राथमिकता है।
- भारत **SCO के "शांति मिशन"** संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लेता है, जो व्यावहारिक सुरक्षा सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

- **ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक एकीकरण**
  - **उद्देश्य: भारत संसाधन संपन्न मध्य एशियाई देशों** से ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा अपने ऊर्जा आयात में विविधता प्राप्त करना चाहता है।
    - SCO ऊर्जा समझौतों पर वार्त्ता करने और **तापी (तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत) पाइपलाइन जैसी आधारिक संरचना परियोजनाओं में भागीदारी के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है।**
  - **प्रभाव:** भारत की SCO सदस्यता से ऊर्जा संसाधनों और क्षेत्रीय आधारिक संरचना तक उसकी अभिगम्यता में सुधार हुआ है।
    - **भू-राजनीतिक चुनौतियों के कारण तापी** जैसे पहल में विलंब होने के बावजूद, SCO बैठकों में भारत की भागीदारी ने वैकल्पिक मार्गों पर चर्चा को सुगम बनाया है।
    - **चाबहार पत्तन का विस्तार** और उसे **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे से जोड़ना** जैसे हालिया कार्य भारत की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा को संवर्द्धित करने में SCO की भूमिका को प्रदर्शित करते हैं।
- **चीन और रूस के साथ प्रभाव संतुलन**
  - **उद्देश्य:** भारत का लक्ष्य **SCO में चीन और रूस के साथ सामरिक संतुलन बनाए रखना है,** विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से मध्य एशिया में चीन की सुदृढ़ उपस्थिति को देखते हुए।
  - **प्रभाव:** भारत ने क्षेत्रीय अखंडता की वकालत करने के लिये SCO मंच का लाभ उठाया है और **SCO के भीतर BRI-संबंधित परियोजनाओं में शामिल होने से परहेज़ किया है, जो** इसके क्षेत्रीय सामरिक हितों को सुदृढ़ करते हुए प्रतिस्पर्द्धी दबावों से निपटने के प्रयासों को प्रदर्शित करता है।
- **अफगानिस्तान के साथ राजनय संलग्नतता और क्षेत्रीय स्थिरता का उद्यापन**
  - **उद्देश्य: अफगानिस्तान से संबंधित क्षेत्रीय अस्थिरता के** मद्देनजर, भारत SCO को तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद वार्ता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये एक प्रमुख मंच के रूप में देखता है।
    - भारत पड़ोसी क्षेत्रों के लिये खतरा बने आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और शरणार्थियों के प्रवाह को कम करने के लिये एक स्थिर, समावेशी अफगान सरकार की वकालत करता है।
  - **प्रभाव: SCO-अफगानिस्तान संपर्क समूह** में इसकी सक्रिय भागीदारी **क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग** की वकालत करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है ।
- **आर्थिक साझेदारी और व्यापार विस्तार**
  - **उद्देश्य: भारत मध्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं** के साथ व्यापार संबंधों का संवर्द्धन तथा निवेश के अवसरों का अन्वेषण करना चाहता है।
  - **प्रभाव:** SCO में भारत की भागीदारी से व्यापार चर्चाएँ संभव हुई हैं, यद्यपि मध्य एशिया में आर्थिक उपस्थिति के मामले में यह अभी भी चीन से पीछे है।
    - फिर भी, भारत ने मध्य एशियाई देशों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सूचना-प्रौद्योगिकी पर समझौतों को औपचारिक बनाने के लिये SCO का लाभ उठाया है।
    - **सूचना-प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उज्बेकिस्तान के साथ हाल में हुए समझौता ज्ञापन** इस बात का उदाहरण हैं कि SCO किस प्रकार विकास परियोजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहयोग और सद्भावना के वर्द्धन हेतु एक राजनय शृंखला के रूप में कार्य करता है।

निष्कर्ष:

भारत की SCO में सदस्यता **आतंकवाद से लड़ने,** ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करने, क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता को संतुलित करने और मध्य एशिया के साथ संपर्क संवर्द्धन के अपने सामरिक लक्ष्यों के अनुरूप है। SCO के माध्यम से, भारत प्रभावी रूप से **मध्य एशिया के भू-राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में एक प्रमुख अभिकर्त्ता के रूप में स्वयं को स्थापित करता है साथ ही** एक सहयोगी ढाँचे के अंतर्गत अपने हितों को भी अवलंबित करता है।

नोट :

प्रश्न : वैश्विक शक्ति गतिशीलता के लिये बढ़ती रूस-चीन सामरिक साझेदारी के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये। इस संदर्भ में भारत को इन दो शक्तियों के साथ अपने संबंधों को कैसे अग्रेषित करना चाहिये? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- बढ़ते रूस-चीन संबंधों का उल्लेख करते हुए उत्तर की भूमिका लिखिये
- वैश्विक शक्ति गतिशीलता के लिये बढ़ती रूस-चीन सामरिक साझेदारी के निहितार्थ बताइए
- बताइए कि रूस और चीन के साथ भारत अपने संबंध को कैसे अग्रेषित कर सकता है
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये

परिचय:

रूस और चीन के बीच बढ़ती **सामरिक साझेदारी** एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिसका वैश्विक शक्ति गतिशीलता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

- **जैसे-जैसे ये दो प्रमुख शक्तियाँ सैन्य, आर्थिक और राजनय क्षेत्रों** सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने सहयोग को गहन कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है।

मुख्य भाग:

वैश्विक शक्ति गतिशीलता के लिये बढ़ती रूस-चीन सामरिक साझेदारी के निहितार्थ:

- **अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था के लिये चुनौती:** रूस-चीन साझेदारी अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है, जो संभावित रूप से बहुध्रुवीय विश्व की ओर स्थित्यंरण को तीव्र कर सकती है।
  - **वर्ष 2017 में बाल्टिक सागर में रूस-चीन के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ने** उनके बढ़ते सैन्य सहयोग और अपनी सीमाओं से दूर शक्ति प्रदर्शन की इच्छा का संकेत दिया, **जिससे क्षेत्र में नाटो के प्रभाव को प्रत्यक्ष चुनौती मिली।**
- **आर्थिक एकीकरण और वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियाँ: रूस और चीन अमेरिकी डॉलर और पश्चिमी-प्रभुत्व वाली वित्तीय प्रणालियों** पर अपनी निर्भरता कम करने के लिये कार्य कर रहे हैं।
  - SWIFT के विकल्प के रूप में **चीन की क्रॉस-बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम (CIPS)** और **रूस की वित्तीय संदेशों के हस्तांतरण की प्रणाली (SPFS) का विकास,** पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रति कम संवेदनशील समानांतर वित्तीय संरचनाओं के निर्माण के उनके प्रयासों को प्रदर्शित करता है।
- **तकनीकी सहयोग: 5G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष अन्वेषण सहित उच्च तकनीक क्षेत्रों** में सहयोग बढ़ने से दोनों देशों में तकनीकी प्रगति में तेज़ी आ सकती है।
  - **रूस के 5G नेटवर्क के विकास में हुवावे की भागीदारी,** जबकि अमेरिका अपने सहयोगियों पर चीनी कंपनी को बाहर रखने का दबाव डाल रहा है, दोनों देशों के बीच गंभीर तकनीकी संबंधों को प्रदर्शित करता है।
- **ऊर्जा साझेदारी:** रूस और चीन के बीच सुदृढ़ ऊर्जा सहयोग वैश्विक ऊर्जा बाज़ार और भू-राजनीति को प्रभावित करता है।
  - **साइबेरिया पाइपलाइन की शक्ति** न केवल दोनों देशों के बीच ऊर्जा संबंधों को सुदृढ़ करती है, बल्कि **यूरोपीय बाज़ारों पर रूस की निर्भरता को भी कम करती है।**
- **राजनयिक संरेखण:** मंचों (जैसे **ब्रिक्स, एससीओ**) और वैश्विक मुद्दों पर समन्वय में वृद्धि से राजनयिक गतिशीलता को नया आकार मिल सकता है।

रूस और चीन के साथ भारत के संबंधों का मार्गनिर्देशन:

- **सामरिक स्वायत्तता का अनुरक्षण:** भारत को अपनी सामरिक स्वायत्तता की नीति जारी रखनी चाहिये तथा किसी भी गुट के साथ विशेष रूप से जुड़े बिना **रूस, चीन और पश्चिम के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखना चाहिये।**
  - **शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** और **चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड)** दोनों में भारत की भागीदारी, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिये, विरोधी प्रतीत होने वाले समूहों के साथ जुड़ने की इसकी क्षमता को प्रदर्शित करती है।
- **आर्थिक अवसरों का उद्यामन:** भारत को अपने हितों की रक्षा करते हुए दोनों देशों से आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहिये।
  - पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत द्वारा **रूस से तेल आयात जारी रखना तथा एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) जैसी चीन के नेतृत्व वाली पहलों में इसकी भागीदारी,** आर्थिक भागीदारी के प्रति इसके व्यावहारिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है।
- **रक्षा साझेदारी का सुदृढ़ीकरण:** सैन्य उपकरणों के स्रोतों में विविधता लाते हुए रूस के साथ रक्षा संबंधों का अनुरक्षण और संवर्द्धन करना चाहिये।
  - **रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली** की अधिप्राप्ति तथा अमेरिका के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग से भारत की रक्षा साझेदारी के प्रति संतुलित दृष्टिकोण का पता चलता है।

नोट :

- **क्षेत्रीय साझेदारी का संवर्द्धन:** अधिक संतुलित एशियाई शक्ति गतिशीलता के निर्माण हेतु अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संबंधों का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है।
  - **भारत की "एक्ट ईस्ट" नीति और जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम** जैसे देशों के साथ बढ़ती साझेदारी क्षेत्र में चीन के प्रभाव का प्रतिकार करने में सहायक है।

निष्कर्ष:

रूस-चीन के बीच बढ़ती सामरिक साझेदारी भारत के लिये चुनौतियाँ और अवसर दोनों प्रस्तुत करती है। अपनी **सामरिक स्वायत्तता का अनुरक्षण, आर्थिक अवसरों का उद्यामन, रक्षा साझेदारी का सुदृढ़ीकरण,** बहुपक्षीय मंचों में संलिप्तता, सीमा मुद्दों का संबोधन, क्षेत्रीय साझेदारी का संवर्द्धन, घरेलू क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए और जहाँ संभव हो, मध्यस्थता की भूमिका निभाते हुए, भारत इन दोनों शक्तियों के साथ अपने संबंधों को प्रभावी ढंग से मार्गनिर्देशित कर सकता है **और साथ ही विकसित हो रही वैश्विक व्यवस्था में अपने हितों को अग्रेषित कर सकता है।**

प्रश्न : लाल सागर संकट ने वैश्विक व्यापार और भारत के समुद्री हितों को किन कारकों द्वारा प्रभावित किया है? परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- लाल सागर संकट का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- लाल सागर संकट का वैश्विक व्यापार पर प्रभाव बताइये।
- लाल सागर संकट के भारत पर प्रभाव पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

महत्त्वपूर्ण समुद्री अवरोध बिंदु लाल सागर में हाल के वर्षों में तनाव में वृद्धि देखी गई है, **यमन में हौथी विद्रोहियों** ने वाणिज्यिक शिपिंग के लिये बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न किया है। इस संकट का वैश्विक व्यापार और भारत के समुद्री हितों पर दूरगामी प्रभाव पड़ा है।

मुख्य भाग:

- **वैश्विक व्यापार पर प्रभाव:**
  - **आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान:** लाल सागर वैश्विक व्यापार के लिये एक महत्त्वपूर्ण मार्ग है, विशेष रूप से **एशिया और यूरोप के बीच।**
    - वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमलों के कारण **विलंब हुआ है, परिवहन मार्ग बदलना पड़ा है, बीमा प्रीमियम में वृद्धि हुई है,** आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है और विश्व भर में व्यवसायों की लागत बढ़ गई है।
    - जनवरी 2024 में **Maersk** जैसी प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने अफ्रीका के **केप ऑफ गुड होप के आस-पास जहाज़ों का मार्ग बदल दिया,** जिससे यात्रा का समय 10-14 दिन बढ़ गया।
  - **माल ढुलाई दरों में वृद्धि:** शिपिंग के लिये बढ़ते जोखिम ने वाहकों को अधिक सतर्क उपाय अपनाने के लिये बाध्य किया है, जिसमें **धीमी गति और बढ़ी हुई सुरक्षा** शामिल है।
    - इसके परिणामस्वरूप **माल ढुलाई दरें बढ़ गई हैं,** जिसका बोझ बढ़ी हुई कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है।
    - इसके अलावा, **सितंबर 2024** की शुरुआत से **लाल सागर से होकर गुज़रने वाले जहाज़ का बीमा** कराने की लागत **दोगुनी से भी अधिक** हो गई है।
  - **ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** लाल सागर एक **प्रमुख तेल पारगमन मार्ग** है और इस क्षेत्र में व्यवधान वैश्विक ऊर्जा बाज़ार को प्रभावित कर सकता है।
    - कच्चे तेल या परिष्कृत उत्पाद ले जाने वाले टैंकरों पर हमले से आपूर्ति में कमी और मूल्य में अस्थिरता हो सकती है।
    - जनवरी 2024 में तेल टैंकर **'मार्लिन लुआंडा' पर हमला** हुआ, जिसके कारण कई प्रमुख तेल कंपनियों द्वारा शिपमेंट को अस्थायी रूप से लंबित कर दिया गया।
- **भारत के समुद्री हितों पर प्रभाव:**
  - **ऊर्जा सुरक्षा:** भारत तेल आयात पर बहुत अधिक निर्भर है तथा इसका कच्चा तेल का एक महत्त्वपूर्ण भाग लाल सागर से होकर गुज़रता है।
    - इस संकट के कारण **आपूर्ति में व्यवधान** और मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रति भारत की संवेदनशीलता बढ़ गई है।
  - **व्यापार मार्ग:** लाल सागर भारत के लिये एक प्रमुख व्यापार मार्ग है, जो इसे **यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व से जोड़ता है।**
    - इस क्षेत्र में व्यवधान से भारत के निर्यात और आयात, विशेषकर आवश्यक वस्तुओं के आयात पर प्रभाव पड़ सकता है।
    - वैश्विक शिपिंग व्यवधानों के कारण अगस्त 2024 में **भारतीय बंदरगाहों पर माल ढुलाई दरों में साल-दर-साल लगभग 70% की वृद्धि** हुई है।

नोट :

- **सुरक्षा चिंताएँ:** इस संकट ने भारत के लिये समुद्री सुरक्षा के महत्त्व को उजागर किया है।
  - भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती विरोधी प्रयासों को तेज़ कर दिया है तथा अपतटीय गश्ती पोत **INS सुमित्रा ने जनवरी 2024** में FV इमान पर समुद्री डकैती के प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया।

निष्कर्ष:

लाल सागर संकट का वैश्विक व्यापार और भारत के समुद्री हितों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, **माल ढुलाई दरों में वृद्धि और ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं** ने विश्व भर के **व्यवसायों एवं सरकारों के लिये महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ** खड़ी कर दी हैं। **भारत ने अपनी नौसेना की उपस्थिति बढ़ाकर, कूटनीतिक प्रयासों में शामिल होकर और अपने व्यापार मार्गों में विविधता लाकर इसका प्रत्युत्तर** दिया है।

प्रश्न : संयुक्त राष्ट्र (UN) शांति स्थापना की अवधारणा, वैश्विक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिये इसे "आवश्यक लेकिन अपूर्ण उपकरण" के रूप में कैसे प्रस्तुत करती है? इन शांति अभियानों को समर्थन देने में भारत की क्या भूमिका रही है? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना और उसके उद्देश्यों का संक्षिप्त परिचय दीजिये
- संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की आवश्यकता और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।
- संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत की भूमिका पर प्रकाश डालिये।
- शांति स्थापना मिशनों की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाते हुए निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना से तात्पर्य संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में **अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने या पुनर्स्थापित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा किये गए प्रयासों से है।** पिछले सात दशकों में, **1 मिलियन से अधिक पुरुषों और महिलाओं ने 70 से अधिक शांति अभियानों** में संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे अपनी सेवा दी है।

मुख्य भाग:

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की आवश्यकता और उपलब्धियाँ:
- **संघर्ष समाधान: संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों ने कंबोडिया, अल साल्वाडोर, मोज़ाम्बिक और सिएरा लियोन** जैसे देशों में संघर्षों को सफलतापूर्वक समाप्त किया है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 1945 के बाद से अंतर्राज्यीय संघर्षों में **40% की कमी आई है।**
- **मानवीय सहायता:** शांति सैनिकों ने **संघर्ष क्षेत्रों में 125 मिलियन से अधिक नागरिकों की रक्षा की है** और शरणार्थियों की वापसी एवं पुनर्वास में सहायता करते हुए मानवीय सहायता पहुँचाने में मदद की है।
- **राज्य निर्माण:** उन्होंने **75 से अधिक देशों में लोकतांत्रिक चुनावों का समर्थन किया है** और सुरक्षा क्षेत्र में सुधार तथा प्रशिक्षण में सहायता के साथ-साथ कार्यशील सरकारी संस्थाओं की स्थापना में सहायता की है।

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की कमियाँ और सीमाएँ:
- **सत्ता की राजनीति और वीटो का दुरुपयोग:** पी5 सदस्यों के बीच बढ़ते ध्रुवीकरण के कारण, **विशेषकर महत्त्वपूर्ण परिस्थितियों में, वीटो शक्ति का बार-बार उपयोग किया जाने लगा है।**
  - वर्ष 2011 से अब तक **रूस ने 19 बार अपने वीटो का प्रयोग किया है,** जिसमें से 14 बार सीरिया पर केंद्रित थे तथा शेष वीटो **यूक्रेन, स्त्रेब्रेनिका, यमन और वेनेजुएला पर केंद्रित थे।**
- **संसाधन की कमी और वित्तपोषण की चुनौतियाँ:** प्रमुख शक्तियों द्वारा वित्तपोषण में वृद्धि के लिये अनिच्छा के परिणामस्वरूप, मिशनों में कर्मचारियों की कमी हो गई है।
  - उदाहरण के लिये, **लेबनान में यूनीफिल** बढ़ते तनाव के बावजूद सीमित संसाधनों के साथ काम कर रहा है।
- **संघर्षों की बदलती प्रकृति:** आधुनिक संघर्षों में जटिल **शहरी युद्ध, साइबर तत्त्व और गैर-राज्यीय अभिनेता शामिल होते हैं,** जिनसे निपटने के लिये पारंपरिक शांति व्यवस्था सक्षम नहीं है।
  - गाजा संघर्ष इसका उदाहरण है, जहाँ **पारंपरिक बफर-ज़ोन शांति स्थापना दृष्टिकोण शहरी युद्ध स्थितियों के लिये अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं।**
- **विश्वसनीयता का संकट और अतीत की विफलताएँ:** ऐतिहासिक विफलताएँ संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की प्रतिष्ठा को लगातार नुकसान पहुँचा रही हैं।

नोट :

- रवांडा और **स्त्रेब्रेनिका में नरसंहार को रोकने में असमर्थता,** साथ ही समकालीन संघर्षों में हाल की निष्क्रियता ने वैश्विक विश्वास को क्षीण कर दिया है।

- **उभरते क्षेत्रीय विकल्प:** क्षेत्रीय संगठन, शांति स्थापना अभियानों में तेज़ी से अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
  - सोमालिया में, अफ्रीकी **संघ के शांति अभियान (ATMIS)** और क्षेत्रीय विवादों में अरब लीग की बढ़ती भूमिका क्षेत्रीय समाधानों की ओर बदलाव को दर्शाती है।

- **सुधार हेतु राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव:** संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सुधार के लिये अनेक प्रस्तावों के बावजूद, जिनमें **2015 की हिप्पो रिपोर्ट की सिफारिशें भी शामिल हैं,** कार्यान्वयन की गति धीमी बनी हुई है।
  - **भारत जैसे देशों को शामिल करने के लिये सुरक्षा परिषद** का प्रस्तावित विस्तार तथा वीटो शक्ति में सुधार अभी भी रुके हुए हैं।

शांति मिशनों में भारत का योगदान:

- **ऐतिहासिक नेतृत्व और कार्मिक योगदान:** भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का सबसे बड़ा **संचयी योगदानकर्त्ता रहा है,** जिसके 2,53,000 से अधिक **सैनिक 49 से अधिक मिशनों में भाग ले चुके हैं।**
- **चिकित्सा विशेषज्ञता:** भारत ने चिकित्सा विशेषज्ञों की दो टीमें गठित करने के लिये प्रयास तेज़ कर दिये हैं, जिन्हें कांगो और **दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशनों के अस्पतालों में तैनात किया जाएगा।**
- **विशिष्ट सैन्य क्षमताएँ: भारतीय विमानन टुकड़ी-I (IAC-I) को वर्ष 2003 में गोमा** में शामिल किया गया था **(जिसमें चार MI-25 हमलावर हेलीकॉप्टर और पाँच एमआई-17 उपयोगिता हेलीकॉप्टर शामिल थे)** जो महत्त्वपूर्ण हवाई सहायता प्रदान करते थे।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना** केंद्र **(CUNPK) के** पास 67,000 से अधिक कार्मिकों का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन्होंने 56 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में से 37 में भाग लिया है।
- **शांति स्थापना में महिलाएँ:** भारत ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और अबेई में **महिला संलग्नता दल** (एफईटी) तैनात किये हैं **(लाइबेरिया के बाद यह भारतीय महिलाओं का दूसरा सबसे बड़ा दल है)।**

निष्कर्ष:

शांति अभियानों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये, संयुक्त राष्ट्र को सुरक्षा परिषद में संरचनात्मक सुधारों को लागू करना चाहिये, त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र बनाना चाहिये और स्पष्ट जनादेश स्थापित करना चाहिये। अनिवार्य फंडिंग और सार्वजनिक-निजी भागीदारी जैसे वित्तीय संवर्द्धन को AI तथा निगरानी का उपयोग करके तकनीकी आधुनिकीकरण के साथ प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

सामाजिक न्याय

प्रश्न : भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग की निरंतरता पर चर्चा कीजिये। नमस्ते (NAMASTE) योजना इसके उन्मूलन में किस प्रकार योगदान दे रही है? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग के मुद्दे का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- भारत में मैनुअल स्कैवेंज की स्पेक्ट्रम पर चर्चा कीजिये।
- NAMASTE योजना और भारत में पांडुलिपि स्केचेंजिंग सीमेंट में इसकी भूमिका के बारे में बताया गया है और भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग का उन्मूलन करने में इसकी भूमिका के संदर्भ में चर्चा कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

मैनुअल स्कैवेंजिंग से तात्पर्य शुष्क शौचालयों, खुली नालियों और सीवरों से मानव मल व अन्य अपशिष्ट पदार्थों को हाथ से साफ करने, प्रबंधन एवं निपटान की प्रथा से है। वर्ष 1993 से आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित होने के बावजूद **हस्त सफाई कर्मियों के रोज़गार निषेध एवं उनके पुनर्वास संबंधित अधिनियम, 2013** के तहत मैनुअल स्कैवेंजिंग भारत में लंबे समय से एक मुद्दा रहा है।

मुख्य भाग:

भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग की व्यापकता के कारण:

- **कानूनों का अपर्याप्त कार्यान्वयन:** भारत ने मैनुअल स्कैवेंजिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कई कानून बनाए हैं, जिनमें **हस्त सफाई कर्मियों के रोज़गार निषेध एवं उनके पुनर्वास संबंधित अधिनियम, 2013** भी शामिल है। हालाँकि इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- **असुरक्षित शौचालयों को ध्वस्त करने में अक्षमता:** मैला ढोने का मूल कारण असुरक्षित शौचालय हैं, जो धीमी और अप्रभावी प्रशासनिक कार्रवाइयों के कारण अप्रबंधित रह जाते हैं।

नोट :

- **सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना (SECC), 2011** के अनुसार, भारत में दस लाख से अधिक असुरक्षित शौचालय हैं, जिनमें से कई शौचालयों से अभी भी खुले नालों में उत्सर्जन होता जाता है और मैन्युअल रूप से साफ (हस्त सफाई) किया जाता है।

- **आजीविका के वैकल्पिक अवसरों का अभाव:** मैनुअल स्कैवेंजिंग में संलग्न कई व्यक्तियों के पास वैकल्पिक रोज़गार के विकल्पों तक पहुँच का अभाव है, जिससे इस व्यवसाय में उनकी भागीदारी बनी रह जाती है।
- **आपराधिक न्याय प्रणाली तक पहुँच में बाधाएँ:** दलितों और हाशिये के समुदायों को न्याय पाने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पुलिस प्राय: मैनुअल स्कैवेंजरों के प्रति अपराधों की जाँच करने से इनकार कर देती है, विशेषकर जब अपराधी प्रभावशाली जातियों से हों।
  - यह प्रणालीगत पूर्वाग्रह कानूनी सुरक्षा को कमज़ोर करता है और पीड़ितों को निवारण प्राप्त करने से हतोत्साहित करता है।

नमस्ते (NAMASTE) योजना और उन्मूलन में इसकी भूमिका:

- **मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करना:** राष्ट्रीय **मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र (NAMASTE) योजना**, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की एक संयुक्त पहल है, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के उन्मूलन और सफाई कर्मचारी सुरक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
  - 349.70 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, NAMASTE योजना का लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक सभी 4800 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को शामिल करना है, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिये पूर्ववर्ती स्व-रोज़गार योजना (SRMS) का स्थान लेगी।
- **एकीकरण:** नई संशोधित योजना के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों (ULB) द्वारा नियोजित सीवर/सेप्टिक टैंक श्रमिकों (SSW) की प्रोफाइलिंग की जाएगी।
  - सितंबर 2024 तक, 3,326 ULB ने लगभग 38,000 SSW की प्रोफाइलिंग कर ली है।
- **व्यावसायिक प्रशिक्षण:** इन SSW को व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) किट प्रदान करने का प्रस्ताव है।
- **स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ में वृद्धि:** आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के अंतर्गत चिह्नित SSW और उनके परिवारों को।
- **वित्तीय सहायता** और अनुदान (पूंजी ब्याज) कार्य योजना, स्वच्छता कर्मचारियों से संबंधित उपकरणों के लिये वित्तीय सहायता और उद्यम विकास को बढ़ावा देने के लिये प्रदान किये जा रहे हैं।
- **IEC (सूचना शिक्षा और संचार) अभियान:** NAMASTE योजना के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने के लिये ULB और NSKFDC (राष्ट्रीय स्वच्छता कर्मचारी वित्त और विकास निगम) संयुक्त रूप से बड़े पैमाने पर अभियान चलाएंगे।

निष्कर्ष:

भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग (हाथ से मैला ढोने) की प्रथा का जारी रहना मानवीय गरिमा का एक बहुत बड़ा उल्लंघन है और गहरी जड़ें जमाए बैठी सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति है। मैनुअल स्कैवेंजिंग (हाथ से मैला ढोने) की व्यापकता को पूरी तरह से समाप्त करने के लिये निरंतर राजनीतिक इच्छा शक्ति, सख्त कानून प्रवर्तनऔर व्यापक पुनर्वास प्रयासों की आवश्यकता होगी, ताकि सभी नागरिकों के लिये सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हो सके।

■■■

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-3

अर्थव्यवस्था

प्रश्न : कृषि वस्तुओं के लिये मूल्य असमानताओं को न्यूनीकृत करने और बाज़ार एकीकरण में सुधार करने में e-NAM की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। इसके कार्यान्वयन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- e-NAM प्लेटफॉर्म का उल्लेख करते हुए उत्तर की भूमिका लिखिये
- मूल्य असमानताओं को कम करने और बाज़ार एकीकरण में सुधार करने में e-NAM की भूमिका बताइए
- इससे संबंधित चुनौतियों पर प्रकाश डालिये
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये

परिचय:

इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच है जिसे कृषि वस्तुओं के लिये एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण करने हेतु **अप्रैल 2016 में आरंभ किया गया था।**

- देश भर में विभिन्न **कृषि उपज बाज़ार समितियों (APMC) को एकीकृत करके, e-NAM का उद्देश्य मूल्य असमानताओं और खंडित बाज़ारों की दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करना है।**

मुख्य भाग:

e-NAM की भूमिका-

- **मूल्य असमानताओं का न्यूनीकरण:**
  - **पारदर्शिता और मूल्य निर्धारण: e-NAM वास्तविक समय मूल्य निर्धारण** के लिये एक मंच प्रदान करता है, जिससे किसानों को विभिन्न बाज़ारों में मूल्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिलती है।
    - यह पारदर्शिता बिचौलियों द्वारा मूल्य हेरफेर और शोषण की संभावना को कम करती है।
  - **विस्तारित बाज़ार अभिगम्यता:** देश भर के खरीदारों के साथ किसानों को जोड़कर, e-NAM **उनकी बाज़ार अभिगम्यता का विस्तार करता है,** जिससे वे अपनी उपज को सबसे अधिक बोली लगाने वालों को बेच सकते हैं।
    - इससे स्थानीय बाज़ारों पर निर्भरता कम हो जाती है, जो प्राय: सीमित प्रतिस्पर्द्धा और मूल्य निर्धारण से ग्रस्त रहते हैं।
  - **प्रतिस्पर्द्धा और दक्षता: e-NAM द्वारा वर्द्धित प्रतिस्पर्द्धा** व्यापारियों और प्रसंस्करणकर्त्ताओं के बीच दक्षता को प्रोत्साहित करती है, जिससे किसानों की लागत कम होती है और उन्हें उचित मूल्य प्राप्त होता है।
- **बाज़ार एकीकरण में सुधार:**
  - **एकीकृत बाज़ार: e-NAM कृषि वस्तुओं के लिये एक एकीकृत बाज़ार का निर्माण करता है,** जो विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच की बाधाओं को विखंडित करता है।
    - यह एकीकरण संसाधनों के अधिक कुशल आवंटन को प्रोत्साहित करता है और मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता करता है।
  - **विनिमय लागत में कमी:** व्यापार प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके और **भौतिक परिवहन की आवश्यकता को कम करके,** e-NAM किसानों और व्यापारियों के लिये विनिमय लागत को कम करता है।
    - इससे दोनों पक्षों को लाभ होगा तथा बाज़ार अधिक एकीकृत होगा।
  - **संशोधित रसद: रसद प्रदाताओं** के साथ मंचों का एकीकरण **कृषि उपज के कुशल संचलन की सुविधा प्रदान करता है,** अपव्यय को कम करता है और बाज़ारों में समय पर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है।

e-NAM कार्यान्वयन के समक्ष प्रस्तुत होने वाली चुनौतियाँ:

- **आधारिक संरचना की सीमाएँ:** कई APMC में **अपर्याप्त भंडारण (विगत् 5 वर्षों से, भंडारण की मांग** आपूर्ति से लगभग **40% अधिक हो गई है), ग्रेडिंग और परख सुविधाओं का अभाव है।**
- **डिजिटल साक्षरता और संयोजकता संबंधी मुद्दे:** किसानों में डिजिटल साक्षरता का अभाव (**ग्रामीण भारत में केवल 23.4% वयस्कों में** बुनियादी डिजिटल साक्षरता कौशल का भी अभाव है) और **ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट संयोजकता की स्थिति बहुत खराब है।**
- **बिचौलियों का प्रतिरोध:** पारंपरिक बिचौलिए और व्यापारी प्राय: e-NAM में परिवर्तन का विरोध करते हैं।

नोट :

- **निजी अभिकर्त्ताओं की सीमित भागीदारी:** e-NAM पारिस्थितिकी तंत्र में निजी क्षेत्र की अपर्याप्त भागीदारी है।
  - वर्ष 2020 तक उत्तर प्रदेश और गुजरात में केवल **1% और 3% किसान ही e-NAM मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे थे, जिससे प्रतिस्पर्द्धा और मूल्य निर्धारण सीमित हो गया था।**
- **गुणवत्ता मूल्यांकन संबंधी चुनौतियाँ:** समान गुणवत्ता मानकों का अभाव और त्वरित गुणवत्ता मूल्यांकन की सीमित क्षमता।
- **भुगतान एवं रसद संबंधी मुद्दे:** ऑनलाइन भुगतान में विलंब और एकीकृत रसद समाधानों का अभाव।

निष्कर्ष:

e-NAM **प्लेटफॉर्म ने मूल्य असमानताओं को न्यून करने और कृषि वस्तुओं के लिये** बेहतर मूल्य अन्वेषण, विस्तारित बाज़ार अभिगम्यता और वर्द्धित पारदर्शिता के माध्यम से बाज़ार एकीकरण में सुधार करने की क्षमता को प्रदर्शित किया है। इसके अतिरिक्त, **निजी अभिकर्त्ताओं की अधिक भागीदारी एवं रसद और वेयरहाउसिंग सेवाओं के साथ एकीकरण** वास्तव में एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाज़ार का निर्माण करने में प्लेटफॉर्म की प्रभावशीलता को संवर्द्धित कर सकता है।

प्रश्न : 'उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI)' पहल से संबंधित भारत के विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन कीजिये। विनिर्माण विकास को बढ़ावा देने हेतु किन चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में 'उत्पादन आधारित प्रोत्साहन' पहल की भूमिका का उल्लेख करते हुए परिचय दीजिये।
- PLI के अंतर्गत भारत के विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन मूल्यांकन कीजिये।
- उन चुनौतियों का उल्लेख कीजिये जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करना और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में भारत की क्षमता को बढ़ाना है।
- विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके, PLI का उद्देश्य **निवेश आकर्षित करना, रोज़गार सृजन करना** और **प्रौद्योगिकी समावेश को बढ़ावा** देना है।

मुख्य भाग:

PLI के अंतर्गत भारत के विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन मूल्यांकन:
- **निवेश में वृद्धि:** PLI योजना ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है।
  - मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में इस योजना ने **एप्पल और सैमसंग जैसी प्रमुख वैश्विक कंपनियों से निवेश प्राप्त किया है।**
  - **फॉक्सकॉन** जैसी एप्पल की अनुबंध निर्माता कंपनियों ने भारत में अरबों डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- **रोज़गार सृजन:** इस योजना से अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गारों का सृजन हुआ है।
  - टेक्सटाइल क्षेत्र के लिये PLI योजना से आगामी पाँच वर्षों में **7.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोज़गार का सृजन** होने की उम्मीद है।
- **निर्यात संवर्द्धन:** इस योजना से कई क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा मिला है।
  - भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात तेज़ी से वृद्धि कर रहा है, जो अब देश का पाँचवाँ सबसे बड़ा निर्यात वस्तु है, जो **23% वार्षिक दर** से बढ़ रहा है।
- **विनिर्माण आधार का विविधीकरण:** PLI योजना ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं में विविधता लाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
  - जून 2024 में, **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) ने** 4.2% की साल-दर-साल वृद्धि का संकेत दिया, जिसमें **विनिर्माण क्षेत्र में** विशेष रूप से **2.6% की वृद्धि** हुई।
- **तकनीकी उन्नति:** इस योजना ने विनिर्माण में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के समावेश को बढ़ावा दिया है।
  - ऑटोमोटिव क्षेत्र में, PLI योजना ने **इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों के उत्पादन को प्रोत्साहित** किया है, जिससे निर्माता उन्नत प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिये प्रेरित हुए हैं।

चुनौतियाँ जिनका समाधान आवश्यक है:
- **बुनियादी अवसंरचना की बाधाएँ:** अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना विनिर्माण विकास के लिये एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है।

नोट :

- **विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति की कमी** और **खराब लॉजिस्टिक्स अवसंरचना** (लॉजिस्टिक्स लागत वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 13-14 प्रतिशत है) **के कारण** उत्पादन लागत और विलंब दोनों बढ़ जाते हैं।

- **कौशल अंतर:** उद्योग द्वारा अपेक्षित कौशल और कार्यबल द्वारा प्राप्त कौशल के बीच असंतुलित स्थिति बनी हुई है, जिससे वित्त वर्ष 2025 के अंत तक **30-32 मिलियन लोगों में संभावित रूप से कौशल कमी** हो सकती है।
  - **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र** में उन्नत विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिये कुशल श्रमिकों की कमी है, जिससे संभावित रूप से PLI से जुड़े लाभों की पूर्ण प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है।
- **विनियामक बाधाएँ:** जटिल विनियमन और नौकरशाही प्रक्रियाएँ निवेश को बाधित कर सकती हैं तथा विनिर्माण विकास को धीमा कर सकती हैं।
  - **विनिर्माण इकाई स्थापित** करने के लिये विभिन्न विभागों से कई **अनुमोदन की आवश्यकता** होती है, जिससे विलंब हो सकता है तथा लागत बढ़ सकती है।
- **कच्चे माल की उपलब्धता:** कुछ क्षेत्रों के लिये आयातित कच्चे माल पर निर्भरता विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रभावित कर सकती है।
  - इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिये **महत्त्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उद्योग** को घरेलू चिप विनिर्माण क्षमताओं की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है (**भारत ने 5.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सेमीकंडक्टर उपकरणों का आयात** किया)
- **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा:** भारतीय निर्माताओं को अन्य विनिर्माण केंद्रों, विशेषकर दक्षिण-पूर्व एशिया से प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है।
  - **वियतनाम और थाईलैंड** जैसे देश इलेक्ट्रॉनिक्स तथा टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में श्रम लागत एवं स्थापित आपूर्ति शृंखलाओं के संदर्भ में प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ प्रदान करते हैं।
- **प्रौद्योगिकी को अपनाना:** कई लघु और मध्यम उद्योग (SME) वित्तीय बाधाओं के कारण नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में संघर्ष करते हैं।
  - ऑटो कम्पोनेंट क्षेत्र में, कई SME को **इंडस्ट्री 4.0 प्रौद्योगिकियों में निवेश करना चुनौतीपूर्ण लगता है,** जिससे संभवत: वे बड़ी कंपनियों की तुलना में कम प्रतिस्पर्द्धी हो जाते हैं।

विनिर्माण विकास को बढ़ावा देने के लिये सिफारिशें:

- **बुनियादी अवसंरचना के विकास** में निवेश की आवश्यकता है, विशेष रूप से **औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स** में।
- **आयरलैंड मॉडल के आधार पर** उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप **कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा** देने की आवश्यकता है।
- **सिंगल विंडो निकासी प्रणाली** के माध्यम से विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।
- भारत के लिये महत्त्वपूर्ण खनिजों की अधिसूचना के साथ आवश्यक कच्चे माल और घटकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना **सही दिशा में उठाया गया कदम** है।

निष्कर्ष:

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना ने **भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने में आशाजनक परिणाम** दिखाए हैं। हालाँकि देश में **विनिर्माण विकास को बनाए रखने और इसको गति देने** के लिये बुनियादी अवसंरचना, कच्चे माल, कौशल विकास, विनियमन तथा वैश्विक व्यापार से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है।

प्रश्न : भारत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) कल्याणकारी राज्य की जटिलताओं को कम करते हुए सामाजिक सुरक्षा के लिये आधार के रूप में कार्य कर सकती है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) का संक्षिप्त परिचय प्रदान कीजिये।
- (UBI) के लाभों पर चर्चा कीजिये।
- भारत में (UBI) की चुनौतियों और आलोचनाओं का उल्लेख कीजिये।
- उचित निष्कर्ष बताइये।

परिचय :

यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) एक सामाजिक कल्याण प्रस्ताव है जिसमें सभी लाभार्थियों को बिना शर्त हस्तांतरण भुगतान के रूप में नियमित रूप से गारंटीकृत आय प्राप्त होती है। तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार ने वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में इसे **"वैचारिक रूप से आकर्षक विचार" के रूप में वर्णित किया था।**

शरीर :

(UBI) के संभावित लाभ:

- **सामाजिक सुरक्षा फाउंडेशन:** यह सभी के लिये, विशेष रूप से सबसे कमज़ोर और हाशिये पर पड़े समूहों के लिये न्यूनतम आय

नोट :

की व्यवस्था करके गरीबी तथा आय असमानता को कम करता है।

- **सरलीकृत कल्याण प्रणाली:** विभिन्न लक्षित सामाजिक सहायता कार्यक्रमों को प्रतिस्थापित करके मौजूदा कल्याण प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। इससे प्रशासनिक लागत कम हो जाती है और साधन-परीक्षण, पात्रता आवश्यकताओं तथा लाभ से जुड़ी जटिलताएँ समाप्त हो जाती हैं।
- **संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तन:** (UBI) के कार्यान्वयन से कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी की सतत् समस्या का समाधान हो सकता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन को गति मिल सकती है।
- **कार्य और उत्पादकता को पुनर्परिभाषित करना:** बुनियादी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करके, यह वर्तमान में अपरिचित कार्यों को महत्त्व दे सकता है, जैसे- देखभाल कार्य, सामुदायिक सेवा, या कलात्मक गतिविधियाँ।
- **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण** के अनुसार, महिलाएँ प्रतिदिन 299 मिनट अवैतनिक घरेलू सेवाओं पर खर्च करती हैं, जबकि पुरुष केवल 97 मिनट ही खर्च करते हैं।
- **व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि:** (UBI) व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है और यह लोगों को उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने, जोखिम उठाने तथा रचनात्मक या सामाजिक रूप से लाभकारी गतिविधियों में संलग्न होने के लिये सशक्त बनाता है, जो अन्यथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकते हैं।

भारत में (UBI) की चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:

- **लागत और राजकोषीय स्थिरता:** (UBI) एक महँगी योजना है और इसे लागू करने के लिये सरकार को उच्च करों को बढ़ाना, व्यय में कटौती करना, या ऋण लेना पड़ सकता है।
  - उदाहरण के लिये, वर्तमान जनसंख्या अनुमान के आधार पर, सभी वयस्कों हेतु मात्र ₹1,000 प्रति माह की (UBI) की लागत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3-4.9% होगी।
- **अवसर लागत और विकास संबंधी समझौता:** सरकारी व्यय का एक बड़ा हिस्सा (UBI) को आवंटित करने से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश में कमी आ सकती है।
- **विकृत प्रोत्साहन उत्पन्न करता है:** काम करने की प्रेरणा कम करता है और उत्पादकता तथा दक्षता को कम करता है। यह निर्भरता, अधिकार एवं आलस्य की संस्कृति भी उत्पन्न कर सकता है।
- **लक्ष्य निर्धारण और समानता संबंधी चिंताएँ:** परिभाषा के अनुसार, एक सार्वभौमिक कार्यक्रम गरीब और गैर-गरीब दोनों को लाभ प्रदान करता है, जो समानता तथा सीमित संसाधनों के कुशल उपयोग पर प्रश्न खड़े करता है।
- **वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता:** (UBI) के कार्यान्वयन से भारत की वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से श्रम-प्रधान उद्योगों में।

निष्कर्ष:

हालाँकि (UBI) कोई रामबाण उपाय नहीं हो सकता, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से चरणबद्ध कार्यान्वयन और पीएम-किसान जैसी मौजूदा नकद हस्तांतरण योजनाओं का लाभ उठाकर अधिक समावेशी और लचीली अर्थव्यवस्था की ओर एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान किया जा सकता है। इसकी सफलता के लिये एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

आंतरिक सुरक्षा

प्रश्न : "भारत की साइबर सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ करने हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।" हाल की पहलों और चुनौतियों के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- साइबर सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकता है तथा इसमें निजी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- भारत की साइबर सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी को महत्त्व को बताइये।
- निजी भागीदारी को बढ़ावा देने वाली हालिया सरकारी पहलों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत की अर्थव्यवस्था के तेज़ी से डिजिटलीकरण ने **साइबर सुरक्षा को एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकता** बना दिया है। जबकि सरकारी एजेंसियाँ केंद्रीय भूमिका निभाती हैं, एक सुदृढ़ साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिये निजी क्षेत्र की भागीदारी तेज़ी से महत्त्वपूर्ण होती जा रही है।

मुख्य भाग:

भारत की साइबर सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी का महत्त्व:

- **तकनीकी विशेषज्ञता और नवाचार:** निजी कंपनियों के पास अत्याधुनिक तकनीकी क्षमताएँ और विशिष्ट प्रतिभाएँ होती हैं।

नोट :

- **टेक महिंद्रा** जैसी कंपनियों ने विशेष रूप से भारतीय संदर्भों के अनुरूप जोखिम पहचान की उन्नत प्रणालियाँ और सुरक्षा समाधान विकसित किये हैं।
- निजी कंपनियाँ सरकारी एजेंसियों की तुलना में **उभरते खतरों के प्रति अधिक तेज़ी से अनुकूलन कर सकती हैं**।

- **निवेश क्षमता:** निजी क्षेत्र साइबर सुरक्षा बुनियादी अवसंरचना में बहुत आवश्यक पूंजी निवेश प्रदान कर सकता है।
  - **निजी निवेश** परिष्कृत सुरक्षा प्रणालियों के निर्माण में वित्तपोषण की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं।
- **वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास:** निजी कंपनियाँ, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय अनुभव वाली कंपनियाँ, **वैश्विक साइबर सुरक्षा मानकों और अभ्यासों** को अपनाती हैं।
  - **बंगलुरु स्थित IBM का सुरक्षा कमांड सेंटर** वैश्विक साइबर खतरे के परिदृश्यों पर आधारित प्रशिक्षण और सिमुलेशन अभ्यास प्रदान करता है।

निजी भागीदारी को बढ़ावा देने वाली हालिया सरकारी पहल:

- **राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)** महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा के लिये निजी क्षेत्र के साथ मिलकर कार्य करता है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** के अनुसार व्यवसायों को डेटा संरक्षण बोर्ड और प्रभावित पक्षों को किसी भी डेटा उल्लंघन की सूचना देना आवश्यक है।
  - बोर्ड अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के लिये सुधारात्मक उपाय भी निर्देशित कर सकता है तथा **भारी जुर्माना (250 करोड़ रुपए तक)** लगा सकता है।
- संगठनों में **मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISO)** की अनिवार्य नियुक्ति।

चुनौतियाँ:

- **विश्वास और सूचना साझाकरण:** सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संवेदनशील सुरक्षा जानकारी साझा करने में अनिच्छा।
- **विनियामक अनुपालन बोझ:** जटिल विनियामक आवश्यकताएँ छोटे निजी भागीदारों को हतोत्साहित कर सकती हैं। **अनुपालन की लागत** प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रभावित कर रही है।
- **कौशल अंतर:** योग्य साइबर सुरक्षा पेशेवरों की कमी। मई 2023 में, प्रतिभा की कमी के कारण भारत में लगभग **40000 साइबर सुरक्षा पेशेवर नौकरी रिक्तियाँ** नहीं भरी गईं।
- **तेज़ी से विकसित हो रहा खतरा परिदृश्य: कई संगठन** तकनीकी प्रगति विकास और उससे संबंधित **साइबर खतरों के विकास के साथ तालमेल नहीं रख पा रहे** हैं।
  - उदाहरण के लिये, **परिष्कृत रैनसमवेयर हमलों** के बढ़ने से कई व्यवसाय बिना तैयारी के फँस गए हैं (जैसे- **हाल ही में कैसियो रैनसमवेयर हमला**), जिसके परिणामस्वरूप बहुत बड़े वित्तीय नुकसान और परिचालन संबंधी व्यवधान हुए हैं।

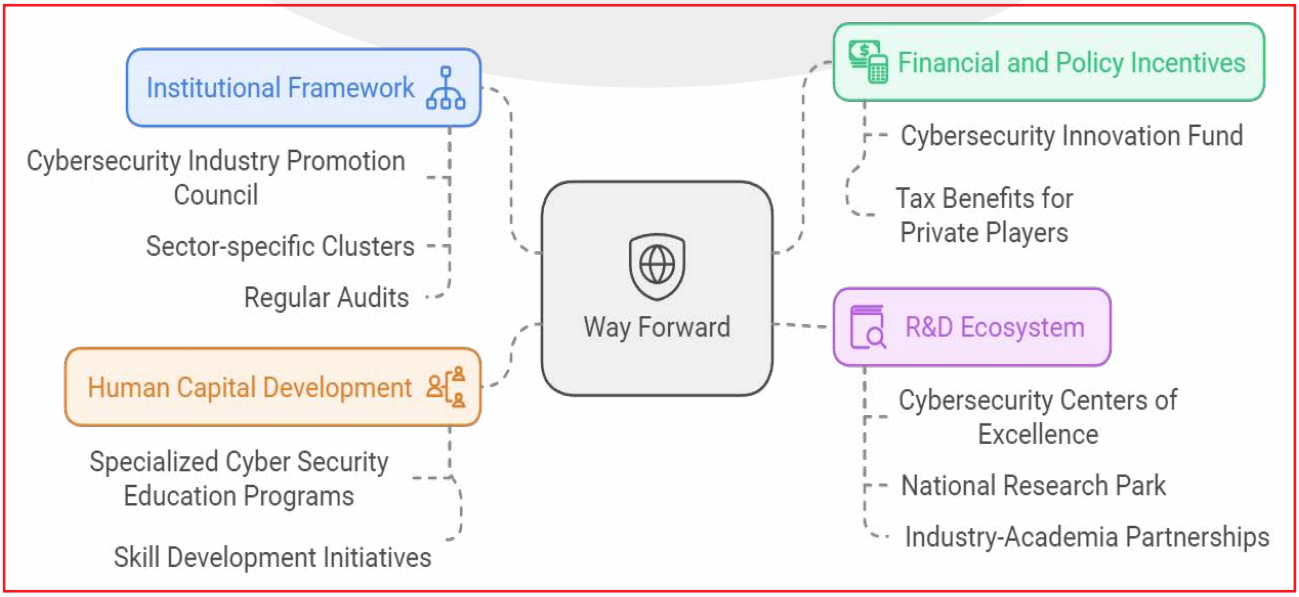

नोट :

निष्कर्ष:

भारत के साइबर सुरक्षा अवसंरचना के लिये निजी क्षेत्र की भागीदारी न केवल महत्त्वपूर्ण है, बल्कि अपरिहार्य भी है। जबकि चुनौतियाँ विद्यमान हैं, सरकारी पहलों और निजी क्षेत्र की क्षमताओं का संयोजन एक सुदृढ़ साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकता है। डेटा संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में **वैध चिंताओं को दूर करते हुए, एक सहयोगी परिवेश को प्रोत्साहित करने** पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।

जैवविविधता और पर्यावरण

प्रश्न : भारत के कई भाग में भूजल की कमी एक बढ़ती हुई चिंता है। इस समस्या में योगदान देने वाले कारकों का मूल्यांकन कीजिये और इस समस्या के समाधान हेतु संवहनीय जल प्रबंधन प्रथाओं पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- भारत में भूजल की कमी की सीमा पर प्रकाश डालते हुए उत्तर की भूमिका लिखिये
- भूजल ह्रास में योगदान देने वाले कारक बताइए
- प्रमुख संवहनीय जल प्रबंधन प्रथाओं पर प्रकाश डालिये
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये

परिचय:

भारत में भूजल ह्रास एक गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक चुनौती बनकर उभरी है, जिससे **जल सुरक्षा, कृषि संवहनीयता और समग्र आर्थिक विकास के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है।**

- भारत में कुल अनुमानित भूजल ह्रास **122-199 बिलियन मीटर क्यूब की सीमा में है।**

मुख्य भाग:

भूजल ह्रास में योगदान देने वाले कारक:

- **सिंचाई के लिये अत्यधिक दोहन: भारत में ताज़े पानी के उपयोग में कृषि का योगदान लगभग 80-90% है,** जबकि **सिंचाई की 60% आवश्यकता की पूर्ति भूजल से होती है।**
  - पंजाब में चावल-गेहूँ की गहन खेती के कारण जल स्तर **प्रति वर्ष 0.7-1.2 मीटर की दर से घट रहा है।**
  - केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार **भारत में मूल्यांकित 6,881 इकाइयों में से 1,186 का अत्यधिक दोहन हो रहा है,** जिसका मुख्य कारण कृषि उपयोग है।
- **जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण:** शहरी क्षेत्रों के तीव्र वर्द्धन के कारण घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिये जल की मांग में वृद्धि हुई है।
  - दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण के कारण वर्ष **2011-2020 के दौरान भूजल स्तर 24 मीटर तक गिर गया है।**
  - अनुमान है कि वर्ष 2036 तक भारत की शहरी जनसंख्या **600 मिलियन तक पहुँच जाएगी,** जिससे भूजल संसाधनों पर और अधिक दबाव पड़ेगा।
- **अकुशल जल उपयोग और वितरण:** च्यवन, अकुशल सिंचाई पद्धतियों और पुरानी आधारिक संरचना के कारण जल का ह्रास अधिक होता है।
  - मुंबई नगर में लगभग **30-35% जल आपूर्ति** च्यवन और चोरी के कारण नष्ट हो जाती है।
- **जलवायु परिवर्तन:** परिवर्तित वर्षा प्रारूप और वर्द्धित वाष्पीकरण दर भूजल पुनर्भरण को प्रभावित करती है।
  - **वर्ष 2018 में केरल में आई बाढ़ और उसके बाद अनावृष्टि की स्थिति** ने जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को प्रकट किया है।
  - भारतीय मौसम विभाग के अनुसार **1950 के दशक से औसत वार्षिक वर्षा में 6% की कमी आई है।**
- **विनियमन एवं प्रवर्तन का अभाव:** कमज़ोर भूजल कानून और निष्कर्षण दरों की अपर्याप्त निगरानी।
  - **कई राज्यों में भूजल विनियमन के लिये मॉडल विधेयक** के कार्यान्वयन के बावजूद , इसका प्रवर्तन एक चुनौती बना हुआ है।
  - वर्ष 2021 तक, केवल **19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भूजल प्रबंधन के लिये विधि का निर्माण किया है** और उन्हें केवल चार राज्यों में आंशिक रूप से कार्यान्वित किया गया है।

संवहनीय जल प्रबंधन संबंधी प्रथाएँ

- **उन्नत कृषि पद्धतियाँ:** जल-कुशल फसलों और सिंचाई विधियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

नोट :

- **तमिलनाडु में चावल गहनीकरण प्रणाली (SRI)** से जल का उपयोग 40% तक कम हो गया है, जबकि पैदावार में वृद्धि हुई है।

- **वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण:** बड़े पैमाने पर वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा सकता है।
  - **"जल शक्ति अभियान" का** उद्देश्य 256 जल-संकटग्रस्त ज़िलों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है, जो एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **मांग प्रबंधन और जल संरक्षण:** शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल-बचत प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
  - **बेंगलूरू** शहर ने **2,400 वर्ग फुट या उससे अधिक** छत वाले सभी भवनों के लिये वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है, जिसे अन्य शहरों में भी कार्यान्वित किया जा सकता है।
- **एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM)** पृष्ठीय और भूजल संसाधनों पर विचार करते हुए जल प्रबंधन के लिये समग्र दृष्टिकोण को अंगीकृत किया जा सकता है।
  - **राष्ट्रीय जल नीति 2012** में रेखांकित **एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM)** के सिद्धांतों को अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता है।
- **नियामक ढाँचे का सुदृढ़ीकरण:** भूजल विधि और प्रवर्तन प्रणाली को संवर्द्धित किया जा सकता है।
  - जल प्रबंधन हेतु एक समान राष्ट्रीय विधिक ढाँचा स्थापित करने हेतु प्रस्तावित राष्ट्रीय जल रूपरेखा विधेयक पर शीघ्रता से कार्य किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत में भूजल की कमी को दूर करने के लिये **संशोधित कृषि पद्धतियों, कुशल जल उपयोग, कृत्रिम पुनर्भरण, मांग प्रबंधन और सुदृढ़ विनियमों** को संयोजित करके बहुआयामी उपागमों की आवश्यकता है। इन संवहनीय जल प्रबंधन प्रथाओं को कार्यान्वित करके, भारत अपनी बढ़ती आबादी और अर्थव्यवस्था के लिये जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर सकता है, साथ ही भविष्य की पीढ़ियों के लिये इस महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित कर सकता है।

प्रश्न : "शहरी जैवविविधता संरक्षण उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि वन्य क्षेत्रों का संरक्षण।" महानगरीय क्षेत्रों में जैवविविधता के संरक्षण के संदर्भ में भारत द्वारा की गई पहलों का मूल्यांकन कीजिये। सटीक उदाहरण द्वारा समझाइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- पर्यावरण संरक्षण के लिये महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में शहरी जैवविविधता प्रबंधन पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- शहरी जैवविविधता प्रबंधन का महत्त्व बताइये।
- शहरी जैवविविधता संरक्षण के लिये भारत की पहलों पर प्रकाश डालिये।
- सफल उदाहरण और उनके प्रभाव का उल्लेख कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

नगरीय जैवविविधता प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण का एक महत्त्वपूर्ण घटक बनकर उभरा है, विशेषकर **तेज़ी से शहरीकरण करने वाले भारत जैसे देशों में।** महानगरीय क्षेत्रों में जैवविविधता का संरक्षण उतना ही आवश्यक है जितना कि वन्य क्षेत्रों का संरक्षण करना।

मुख्य भाग:

नगरीय जैवविविधता प्रबंधन का महत्त्व:

- **मानव कल्याण और प्रत्यक्ष प्रभाव:** वर्तमान में वैश्विक जनसंख्या का **55% से अधिक हिस्सा शहरी/महानगरीय क्षेत्रों में** रहता है, अनुमान है कि **वर्ष 2050 तक यह आँकड़ा 68% तक पहुँच जाएगा।**
  - इस तीव्र शहरीकरण से मानव स्वास्थ्य पर विभिन्न तरीकों से प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

नोट :

- नगरीय वृक्ष वायु में उपस्थित कणों को रोकने और गैस अवशोषण के माध्यम से गैसीय वायु प्रदूषण में सुधार करते हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य लाभ** भी उल्लेखनीय हैं; अध्ययनों से पता चलता है कि नगरीय हरित क्षेत्रों में **निवासियों के बीच तनाव का स्तर कम** होता है।

- **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ और आर्थिक लाभ:** नगरीय जैवविविधता अरबों डॉलर मूल्य की आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रदान करती है, जिसमें **नगरीय कृषि के लिये परागण**, **प्राकृतिक जल निस्पंदन और बाढ़ नियंत्रण** शामिल हैं।
  - उदाहरण के लिये, 125 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले **ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स** को **विश्व की सबसे बड़ी 'अपशिष्ट जल-आधारित जलकृषि प्रणाली'** होने का अद्वितीय गौरव प्राप्त है, जहाँ मत्स्यपालन और कृषि के लिये मलजल का पुनर्चक्रण किया जाता है।
- **शैक्षिक एवं अनुसंधान के अवसर:** नगरीय जैवविविधता एक **जीवंत प्रयोगशाला** के रूप में कार्य करती है, जो शैक्षणिक एवं अनुसंधान के अवसर प्रदान करती है।
  - यह **पर्यावरण शिक्षा, नागरिक विज्ञान पहल तथा अनुकूलन एवं आघातसहनीयता पर अध्ययन** को सुविधाजनक बनाता है।
- **प्रजाति संरक्षण और अनुकूलन अध्ययन:** नगरीय क्षेत्रों में प्राय: विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से **कुछ प्रजातियाँ विशेष रूप से नगरीय वातावरण में ही पनपती/विकसित होती हैं** एवं अन्य आवास के नष्ट होने से आश्रय पाती हैं।
  - **मुंबई के ठाणे क्रीक में प्रत्येक वर्ष हज़ारों फ्लेमिंगो** आते हैं। इसके अलावा, मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में निवास कर रहे **तेंदुए** सफल नगरीय अनुकूलन का उदाहरण हैं।
- **जलवायु परिवर्तन अनुकूलता:** नगरीय जैवविविधता भी जलवायु अनुकूलता को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाती है।
  - यह **प्राकृतिक शीतलन प्रभाव, बाढ़ शमन और कार्बन पृथक्करण** प्रदान करती है। उदाहरण के लिये, **चेन्नई के नगरीय मैंग्रोव** चक्रवातों के दौरान तटीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं।

नगरीय जैवविविधता संरक्षण के लिये भारत की पहल:

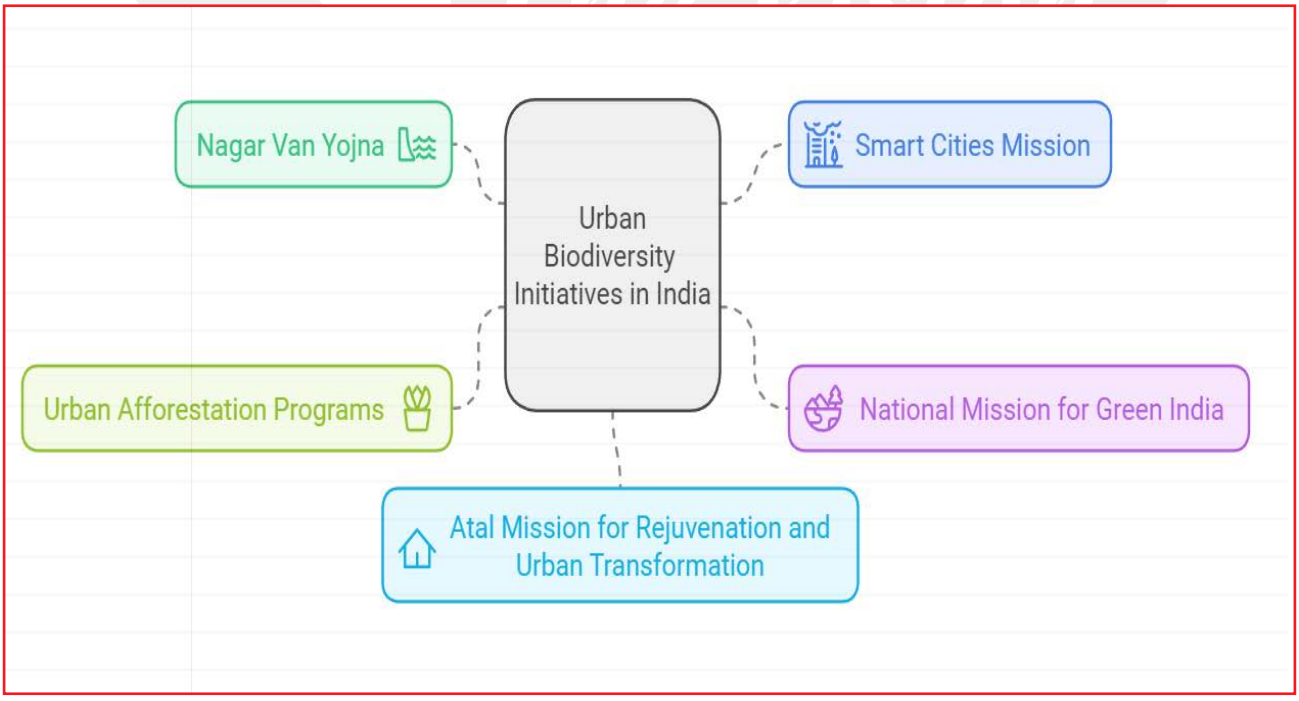

नोट :

सफल उदाहरण और उनका प्रभाव:

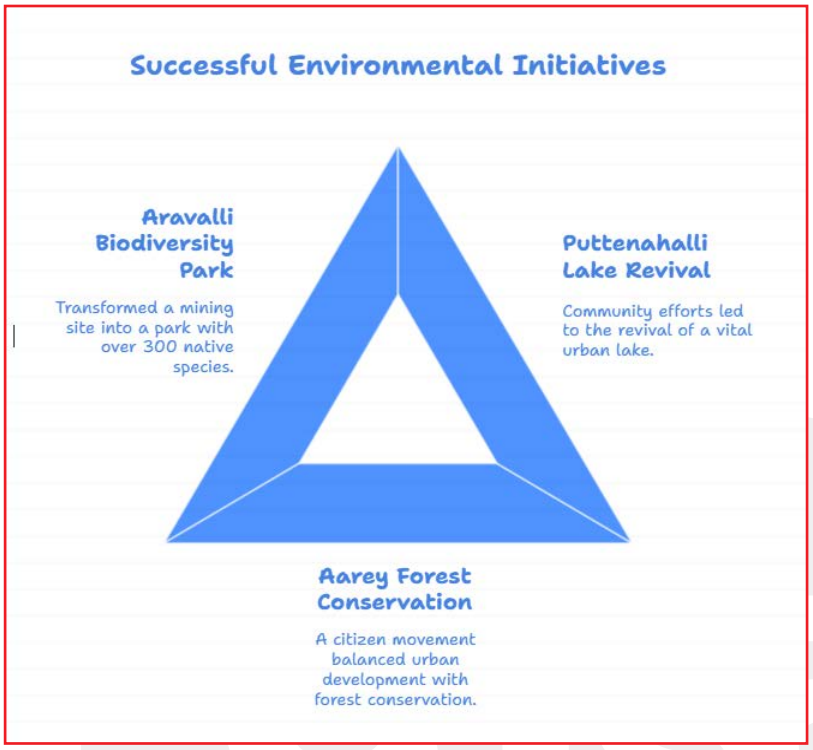

निष्कर्ष:

भारत की नगरीय जैवविविधता पहलों से ज्ञात होता है कि **शहरों को महत्त्वपूर्ण जैवविविधता क्षेत्रों के रूप में मान्यता** मिल रही है। मुंबई और बंगलुरु जैसे शहरों के सफल उदाहरण बताते हैं कि **उचित नियोजन, सामुदायिक भागीदारी और संस्थागत समर्थन** से विकास के साथ-साथ शहरी जैवविविधता संरक्षण हासिल किया जा सकता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रश्न : सिंथेटिक बायोलॉजी की अवधारणा को समझाइये। यह चिकित्सा, कृषि और पर्यावरण सुधार हेतु किस तरह आवश्यक परिवर्तन कर सकता है और इससे कौन-सी नैतिक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- सिंथेटिक बायोलॉजी की अवधारणा को परिभाषित करते हुए परिचय दीजिये।
- चिकित्सा, कृषि और पर्यावरण सुधार में इसके संभावित क्रांतिकारी अनुप्रयोग बताइये।
- इससे संबंधित नैतिक चिंताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सिंथेटिक बायोलॉजी एक अंत:विषय क्षेत्र है जो **जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी, आनुवंशिकी, रसायन विज्ञान** और **कंप्यूटर विज्ञान के मध्य संबंध स्थापित** करता है। इसमें जीवों को नई क्षमताएँ प्रदान करने के लिये उन्हें इंजीनियरिंग के तहत करके उपयोगी उद्देश्यों के लिये पुन: डिज़ाइन करना शामिल है।

- इसकी मूल अवधारणा यह है कि **आनुवंशिक अनुक्रमों को विनिमेय जैविक भागों** के रूप में माना जाए, जिन्हें कृत्रिम रूप से डिज़ाइन और संयोजित किया जा सकता है, ताकि नई जैविक प्रणालियों का निर्माण किया जा सके या मौजूदा प्रणालियों को संशोधित किया जा सके।

मुख्य भाग:

संभावित क्रांतिकारी अनुप्रयोग:

- **औषधि:**
  - **इंजीनियर्ड सेल थेरेपीज़:** विशिष्ट रोगों को लक्षित करने के लिये कस्टम-डिज़ाइन की गई कोशिकाएँ।
    - **उदाहरण:** कैंसर के उपचार के लिये **CAR-T सेल थेरेपी** एक प्रकार की सेलुलर इम्यूनोथेरेपी है जो मरीज़ की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करके T-कोशिकाओं में परिवर्तन करती है ताकि कैंसर कोशिकाओं को निरस्त करने में सक्षम हो सकें।
  - **सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स:** एंटीबायोटिक- प्रतिरोधी बैक्टीरिया से निपटने के लिये नए एंटीबायोटिक्स का डिज़ाइन तैयार करना।
    - **उदाहरण:** MIT के शोधकर्त्ताओं ने **हैलिसिन** नामक एक दवा की पहचान करने के लिये मशीन-लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग किया, जो **बैक्टीरिया की कई प्रजातियों को मारता** है।
  - **व्यक्तिगत चिकित्सा:** किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना के आधार पर उपचार तैयार करना।

नोट :

- **उदाहरण:** आनुवंशिक विकार वाले रोगियों के लिये **विशिष्ट प्रोटीन या एंज़ाइम का संश्लेषण** करना।

- **कृषि:**
  - **फसल का संवर्द्धन/अनुवांशिक रूपांतरण:** अधिक उपज, पोषक तत्त्व या कीटों और पर्यावरणीय तनावों के प्रति प्रतिरोध के लिये फसलों की इंजीनियरिंग।
    - **उदाहरण: गोल्डन राइस,** जिसे विकासशील देशों में विटामिन A की कमी को दूर करने के लिये बीटा-कैरोटीन के उत्पादन हेतु आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है।
  - **संधारणीय जैव ईंधन:** जैव ईंधन का कुशलतापूर्वक उत्पादन करने के लिये सूक्ष्मजीवों को डिज़ाइन करना।
    - **उदाहरण:** रूपांतरित शैवाल या बैक्टीरिया जो **सूर्य के प्रकाश और CO_2 को सीधे जैव ईंधन में परिवर्तित कर सकते हैं।**
  - **परिशुद्ध किण्वन:** पशुओं के बिना पशु प्रोटीन का उत्पादन।
    - **उदाहरण: परफेक्ट डे के पशु-मुक्त डेयरी प्रोटीन,** जो इंजीनियर्ड यीस्ट द्वारा उत्पादित होते हैं।

- **पर्यावरण सुधार:**
  - **जैवउपचार (बायोरिमेडिएशन):** प्रदूषकों को साफ करने के लिये रूपांतरित सूक्ष्मजीव।
    - **उदाहरण: *स्यूडोमोनास एरुगिनोसा*** जो पारे को गैर विषाक्त रूपों में परिवर्तित कर सकता है।
  - **जैवनिम्नीकरणीय सामग्री:** रूपांतरित/इंजीनियर्ड बैक्टीरिया का उपयोग करके नए जैवनिम्नीकरणीय प्लास्टिक का विकास करना।
    - **उदाहरण:** बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित **PHA (पॉलीहाइड्रॉक्सीएल्कानोएट) प्लास्टिक**, जो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है।

यद्यपि सिंथेटिक बायोलॉजी (संश्लेषित जीवविज्ञान) में अपार संभावनाताएँ हैं, फिर भी यह महत्त्वपूर्ण नैतिक चिंताएँ भी उत्पन्न करता है:

- **जैव सुरक्षा:** रूपांतरित जीवों के पर्यावरण में समावेश से और अवांछनीय पारिस्थितिक परिणाम उत्पन्न होने का जोखिम।
  - **उदाहरण: जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी** के बारे में चिंताएँ जो संभावित रूप से संपूर्ण वन्य आबादी को बदल सकती हैं।
- **जैव सुरक्षा:** जैव आतंकवाद या जैविक हथियारों के निर्माण के लिये सिंथेटिक बायोलॉजी का संभावित दुरुपयोग।
  - **उदाहरण: विलुप्त वायरस के पुनर्निर्माण** या मौजूदा **रोगजनकों की विषाक्तता को बढ़ाने** की संभावना।
- **शक्तिशाली निर्माता की भूमिका:** मनुष्य द्वारा निर्माता की भूमिका निभाने के संदर्भ में नैतिक और धार्मिक चिंताएँ।
  - **उदाहरण:** CRISPR तकनीक का प्रयोग करके मानव भ्रूण को संशोधित करने पर विचार।

निष्कर्ष:

सिंथेटिक बायोलॉजी स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण में वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिये एक प्रभावशाली टूलसेट प्रस्तुत करती है। हालाँकि इसकी परिवर्तनकारी क्षमता के साथ **जटिल नैतिक अवधारणाएँ भी जुड़ी** हैं, जिनके लिये **सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श और सुदृढ़ नियामक तंत्र की आवश्यकता** है।

प्रश्न : भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की एक रूपरेखा और उनके समक्ष चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। भारत में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ाने के उपाय सुझाइये। (250)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख चालकों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।
- भारत में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ाने के उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष बताइये।

परिचय :

भारत का नवाचार परिदृश्य उल्लेखनीय रूप से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जैसा कि वर्ष 2015 और 2022 के बीच वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वें स्थान से 40वें स्थान पर पहुँचने से स्पष्ट है।

शरीर :

भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख विकास चालक:

- **सरकारी पहल और नीतिगत समर्थन: 'डिजिटल इंडिया'** और **'स्टार्टअप इंडिया'** जैसे प्रमुख कार्यक्रमों ने तकनीकी नवाचार तथा उद्यमिता के लिये अनुकूल वातावरण तैयार किया है।
- **संपन्न स्टार्टअप इकोसिस्टम:** भारत में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 2,000 से बढ़कर वर्ष 2023 में लगभग 31,000 तक पहुँच जाएगी।

नोट :

- **अकादमिक-उद्योग सहयोग:** आईआईटी में अनुसंधान पार्कों और उद्योग प्रायोजित प्रयोगशालाओं की स्थापना, अकादमिक अनुसंधान और व्यावसायिक अनुप्रयोग के बीच की खाई को कम कर रही है।
  - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उद्योग-प्रासंगिक पाठ्यक्रम के लिये सरकार के प्रयासों से इस सहयोग को और अधिक मज़बूती मिलने की संभावना है।
- **नवप्रवर्तन केंद्रों का भौगोलिक विविधीकरण:** यद्यपि बेंगलूरू भारत की सिलिकॉन वैली बना हुआ है, फिर भी टियर-2 और टियर-3 शहरों में नवप्रवर्तन केंद्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
  - इंदौर, जयपुर और कोच्चि जैसे शहर स्टार्टअप्स तथा अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के लिये नए केंद्र के रूप में उभर रहे हैं।
- **मितव्ययी नवाचार और प्रतिवर्ती नवाचार:** भारत की अनूठी बाज़ार स्थितियाँ मितव्ययी नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले और कम लागत वाले समाधान तैयार हो रहे हैं, जिनका वैश्विक स्तर पर तेज़ी से उपयोग किया जा रहा है।
- **भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में चुनौतियाँ:** पेटेंटों का सीमित उपयोग और व्यावसायीकरण वर्ष 2023 में 100,000 से अधिक पेटेंट जारी होने के बावजूद, पेटेंटों का व्यावसायीकरण अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- **पेटेंटों का अल्प उपयोग और व्यावसायीकरण:** पेटेंट दाखिलों में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, वर्ष 2023 में 100,000 से अधिक पेटेंट प्रदान किये जाने के बावजूद, इन पेटेंटों का व्यावसायीकरण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- **अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास व्यय:** सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय मात्र 0.65% है, जो दक्षिण कोरिया (4.8%) और चीन (2.4%) जैसे देशों की तुलना में काफी कम है।
- **कमज़ोर शैक्षणिक-उद्योग संबंध:** भारत में शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के बीच सहयोग अभी भी अपर्याप्त है, जिससे ज्ञान और नवाचार के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है।
- **कौशल अंतराल और प्रतिभा प्रतिधारण:** बड़ी युवा आबादी होने के बावजूद, भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों में महत्त्वपूर्ण कौशल अंतराल का सामना करना पड़ रहा है।
  - जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी का विकास और उसका उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है, विश्व आर्थिक मंच का अनुमान है कि वर्ष 2025 तक 50% कर्मचारियों को प्रासंगिक बने रहने के लिये पुन: कौशल हासिल करने की आवश्यकता होगी।
- **जोखिम पूंजी तक सीमित पहुँच:** भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, डीप-टेक और हार्डवेयर स्टार्टअप के लिये जोखिम पूंजी तक पहुँच एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।
- **विनियामक बाधाएँ और व्यापार करने में आसानी:** हालाँकि भारत की व्यापार करने में आसानी की रैंकिंग में सुधार हुआ है, लेकिन विनियामक जटिलताएँ और बाधाएँ नवाचार के विकास में, विशेष रूप से उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में, रुकावट उत्पन्न कर रही हैं।

भारत में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ाने के लिये सुझाए गए उपाय:

- **पेटेंट व्यावसायीकरण को मज़बूत करना:** इसमें डेनमार्क के आईपी मार्केटप्लेस के समान एक राष्ट्रीय पेटेंट बाज़ार का निर्माण करना शामिल हो सकता है, जिसने अपनी स्थापना के बाद से कई प्रौद्योगिकी हस्तांतरणों को सुविधाजनक बनाया है।
- **अनुसंधान एवं विकास व्यय को बढ़ावा देना:** सरकार को 2% लक्ष्य तक पहुँचने के लिये स्पष्ट रोडमैप के साथ सार्वजनिक अनुसंधान एवं विकास व्यय को बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिये।
- **अकादमिक-उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना:** अकादमिक-उद्योग अंतर को पाटने के लिये, भारत को यह अनिवार्य करना चाहिये कि सभी केंद्रीय वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान अपने बजट का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा उद्योग-सहयोगी परियोजनाओं के लिये आवंटित करें।
- **कौशल अंतर को संबोधित करना:** कौशल अंतर को दूर करने के लिये, भारत को कौशल भारत के तहत एक अलग राष्ट्रीय डिजिटल कौशल मिशन शुरू करना चाहिये, जिसका उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों में पेशेवरों को कुशल बनाना है।
- **जोखिम पूंजी तक पहुँच बढ़ाना:** जोखिम पूंजी तक पहुँच में सुधार करने के लिये, भारत को अग्रणी प्रौद्योगिकियों में निवेश को उत्प्रेरित करने के लिये डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की स्थापना करनी चाहिये।
- **विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना:** विनियामक बाधाओं को दूर करने के लिये भारत को सभी क्षेत्रों में "विनियामक सैंडबॉक्स" दृष्टिकोण को लागू करना चाहिये।

नोट :

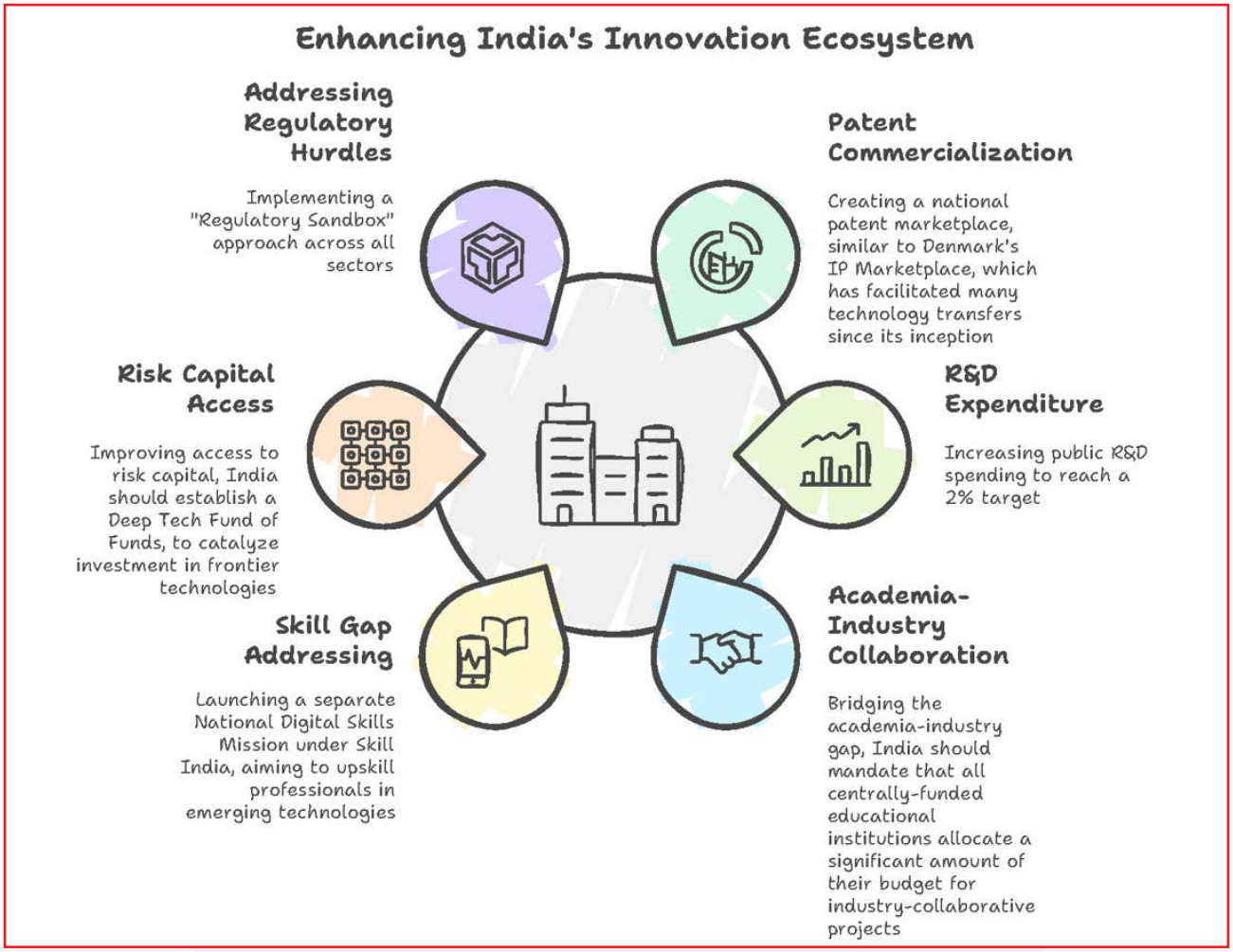

निष्कर्ष

भारत के नवाचार परिदृश्य ने सक्रिय सरकारी पहलों, एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और बढ़ते अकादमिक-उद्योग सहयोग के चलते उल्लेखनीय प्रगति की है। लक्षित सुधारों, मज़बूत साझेदारियों तथा उन्नत कौशल विकास के माध्यम से स्थायी चुनौतियों का समाधान कर, भारत वैश्विक नवाचार नेता के रूप में अपनी स्थिति को और मज़बूत कर सकता है।

■■■

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-4

केस स्टडी

प्रश्न : राजीव एक प्रतिष्ठित सरकारी अनुसंधान प्रयोगशाला में वरिष्ठ अभियंता हैं, जो संशोधित मौसम पूर्वानुमान और आपदा पूर्वानुमान के लिये अत्याधुनिक उपग्रह प्रौद्योगिकी के विकास का निरीक्षण करते हैं। परियोजना प्रमुख के रूप में, वह घटकों और सामग्रियों के चयन के लिये ज़िम्मेदार हैं। आपूर्तिकर्ता प्रस्तावों की समीक्षा करते समय, राजीव ने देखा कि उनकी बहन के संघर्षरत स्टार्टअप ने अभिनव समाधानों के साथ एक प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रस्तुत की है जो उपग्रह के प्रदर्शन को संवर्द्धित कर सकती है।

राजीव को पता है कि अपनी बहन की कंपनी को अनुबंध देने से वह दिवालिया होने से बच सकती है, परंतु इससे स्वजन-पक्षपात का प्रश्न भी उठ सकता हैं और चयन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा से समझौता हो सकता है। प्रयोगशाला प्रबंधन राजीव पर पूरा विश्वास करता है जो उसके निर्णय का समर्थन करेगा। अब वह अपने पेशेवर दायित्वों और अपनी बहन के व्यवसाय में सहायता करने की इच्छा के बीच दुविधा का सामना कर रहा है, यह जानते हुए कि उसके निर्णय का परियोजना की सफलता, उसके व्यक्तिगत संबंधों और सरकारी अनुबंध के नीतिपरक मानकों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?
2. इस मामले में नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?
3. इस मुद्दे के समाधान हेतु राजीव की क्रियाविधि क्या होनी चाहिये?

परिचय:

उपग्रह प्रौद्योगिकी विकास के प्रभारी वरिष्ठ अभियंता **राजीव को अपनी बहन के संघर्षरत स्टार्टअप को अनुबंध देने के बीच नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जो परियोजना को तो संवर्द्धित कर सकता है परंतु स्वजन-पक्षपात संबंधी चिंताएँ बढ़ा सकता है। उसे अपने पेशेवर कर्तव्यों, व्यक्तिगत संबंधों और सरकारी अनुबंध की सत्यनिष्ठता के मध्य संतुलन स्थापित करना होगा।**

मुख्य भाग:

1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?

हितधारक	परिस्थिति में रुचि/भूमिका
राजीव (वरिष्ठ अभियंता)	व्यावसायिक सत्यनिष्ठा को व्यक्तिगत निष्ठा के साथ संतुलन की स्थापना; अनुबंध पर नैतिक निर्णयन का कार्य
बहन का स्टार्टअप	एक संघर्षरत कंपनी जो अनुबंध से लाभांवित हो सकती है, जिससे उसका अस्तित्व तो सुनिश्चित हो सकता है, परंतु उसे स्वजन-पक्षपात के दावों का भी सामना करना पड़ सकता है।
अनुसंधान प्रयोगशाला	उच्च गुणवत्ता वाले उपग्रह घटकों के लिये पारदर्शी, निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु राजीव पर विश्वास किया जाता है।
सरकार (निधियन एजेंसी)	करदाताओं के धन का दक्ष, निष्पक्ष उपयोग तथा सार्वजनिक अधिप्राप्ति में नैतिक दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करना।
अन्य आपूर्तिकर्ता	अनुबंध के लिये प्रतिस्पर्द्धा, योग्यता और नवाचार के आधार पर निष्पक्ष मूल्यांकन की अपेक्षा।
परियोजना टीम/सहकर्मी	परियोजना की सत्यनिष्ठता और हितों के टकराव के बिना सफल परिणाम सुनिश्चित करने में रुचि।
सार्वजनिक/करदाता	सार्वजनिक संसाधनों के नैतिक उपयोग, सरकारी अनुबंधों में पारदर्शिता और उपग्रह परियोजना की सफलता की अपेक्षा।
राजीव का परिवार	राजीव से उनकी बहन के स्टार्टअप को सहयोग देने की व्यक्तिगत अपेक्षाएँ हो सकती हैं, जिसका उनके परिवार पर प्रभाव पड़ सकता है।
अंतिम उपयोगकर्ता (जैसे, आपदा राहत दल, नागरिक)	जीवन और संपत्ति को खतरे में डालकर सटीक मौसम पूर्वानुमान और आपदा की भविष्यवाणी के लिये उपग्रह पर निर्भर रहना पड़ता है।

नोट :

2. इस मामले में नैतिक दुविधाएँ क्या हैं ?

- **हितों का टकराव बनाम व्यावसायिक कर्तव्य:** राजीव को हितों के टकराव की एक पारंपरिक स्थिति का सामना करना पड़ता है, जहाँ उसका **व्यक्तिगत संबंध (बहन की कंपनी)** उसकी व्यावसायिक ज़िम्मेदारियों के साथ टकराता है।
  - निर्णयन में निष्पक्षता का नीतिपरक सिद्धांत **दांव पर है।** राजीव को अपने परिवार के संभावित लाभों के विरुद्ध सार्वजनिक हित के लिये वस्तुनिष्ठ निर्णयन के अपने कर्तव्य को संतुलित करना होगा।
- **स्वजन-पक्षपात बनाम योग्यता आधारित चयन:** स्वजन-पक्षपात की दुविधा तब उत्पन्न होती है जब **राजीव अपनी बहन की कंपनी को लाभ पहुँचाने पर विचार करता है।**
  - यह निष्पक्षता के नीतिपरक सिद्धांत और सरकारी अनुबंध में आमतौर पर अपेक्षित **योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया के साथ टकरा सकता है।**
  - राजीव को अपनी बहन की कंपनी द्वारा प्रस्तुत नवोन्मेषी समाधानों के विरुद्ध चयन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठता से संभावित समझौता करने के नैतिक निहितार्थों पर विचार करना होगा।
- **पारदर्शिता बनाम गोपनीयता:** राजीव **पारदर्शिता को लेकर दुविधा का सामना कर रहे हैं। सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता** के नीतिपरक सिद्धांत का सुझाव है कि उन्हें बोली लगाने वालों में से एक के साथ अपने संबंधों का प्रकट करना चाहिये।
  - हालाँकि, यह **बोली प्रक्रिया में गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता के साथ टकराव उत्पन्न करता है** और इससे उनकी बहन की कंपनी को अनुचित रूप से नुकसान हो सकता है।
- **उपयोगितावादी नैतिकता बनाम कर्तव्यपरायण नैतिकता:** उपयोगितावादी दृष्टिकोण से, राजीव **अपनी बहन की कंपनी को चुनने को उचित ठहरा सकते हैं** यदि वह वास्तव में सर्वोत्तम समाधान प्रदान करती है, जिससे संभावित रूप से बेहतर मौसम पूर्वानुमान और आपदा भविष्यवाणी **(अधिकतम संख्या के लिये सबसे अधिक लाभ) हो सकती है।**
  - हालाँकि, कर्तव्य-नैतिकता, **परिणामों की परवाह किये बिना नियमों और कर्तव्यों का पालन करने के महत्त्व पर बल देती है** और सुझाव देती है कि राजीव को स्वयं को इस निर्णय से पृथक कर लेना चाहिये।
- **व्यक्तिगत निष्ठा बनाम व्यावसायिक सत्यनिष्ठता** राजीव की अपनी बहन के प्रति निष्ठा और उसके व्यवसाय में सहायता करने की इच्छा, उसकी व्यावसायिक निष्ठा और अपनी भूमिका के प्रति प्रतिबद्धता के साथ टकराती है।
  - इससे पारिवारिक निष्ठा के गुण को पेशेवर मानकों के संधारण और सरकारी कार्य में अनुचितता की उपस्थिति से बचने **के नीतिपरक सिद्धांत के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाता है।**
- **अल्पकालिक लाभ बनाम दीर्घकालिक परिणाम:** अल्पकालिक विचार बनाम दीर्घकालिक परिणाम की दुविधा स्पष्ट है।
  - यद्यपि अपनी बहन की कंपनी को अनुबंध देने से **तात्कालिक समस्याएँ हल हो सकती हैं** (कंपनी को दिवालियापन से बचाया जा सकता है, संभावित रूप से नवीन प्रौद्योगिकी प्राप्त की जा सकती है), परंतु इससे **राजीव के करियर, प्रयोगशाला की प्रतिष्ठा** और सरकारी अनुबंध प्रक्रियाओं में जनता के विश्वास पर दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।
- **नैतिक स्वार्थ बनाम सामाजिक उत्तरदायित्व:** राजीव **नैतिक स्वार्थ पर विचार कर सकते हैं,** एक लोक सेवक के रूप में अपने व्यापक सामाजिक उत्तरदायित्व के विरुद्ध अपने स्वयं के हितों (अपनी बहन की सहायता करना, संभवत: उसकी सफलता से लाभ उठाना) को प्राथमिकता देते हैं।
  - यह दुविधा व्यक्तिगत लाभ के बिना किसी पूर्वाग्रह के सार्वजनिक हित की सेवा करने के **नैतिक दायित्व के विरुद्ध प्रकट करती है।**

3. इस मुद्दे के समाधान हेतु राजीव की क्रियाविधि क्या होनी चाहिये ?

- **तत्काल प्रकटीकरण**
  - राजीव को तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों और प्रयोगशाला के एथिक्स ऑफिसर को **हितों के टकराव की बात बतानी चाहिये।**
  - उन्हें बोली लगाने वाली कंपनी के साथ अपने संबंधों और चयन प्रक्रिया में अपनी भूमिका का **विस्तृत लिखित विवरण देना चाहिये।**
  - यह सरकारी अनुबंध में पारदर्शिता और निष्ठा के सिद्धांतों का अनुरक्षण करता है।
- **निर्णयन की प्रक्रिया से पृथक होना**
  - राजीव को इस विशेष अनुबंध के लिये **आपूर्तिकर्ता चयन प्रक्रिया से स्वयं को स्वेच्छा से पृथक कर लेना चाहिये।**
  - उन्हें अनुरोध करना चाहिये कि एक **स्वतंत्र पैनल या कोई अन्य वरिष्ठ अभियंता** बोलियों के मूल्यांकन का कार्य अपने

नोट :

नियंत्रण में ले ले, जिसमें उनकी बहन की कंपनी का प्रस्ताव भी शामिल है।

- इस कार्रवाई से चयन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठता भी बनी रहती है और किसी भी प्रकार की अनुचितता की आशंका नहीं रहती।

- **एक स्वतंत्र मूल्यांकन प्रक्रिया की स्थापना**
  - अपनी बहन की कंपनी के प्रस्ताव सहित **सभी बोलियों का मूल्यांकन करने के लिये एक निष्पक्ष समिति के गठन की** सिफारिश की जानी चाहिये।
  - निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये प्रारंभिक मूल्यांकन के दौरान **कंपनी की पहचान को छुपाने हेतु एक गुप्त समीक्षा प्रक्रिया को** कार्यान्वित करने का सुझाव दिया जा सकता है।
  - इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी बोलियों का मूल्यांकन केवल उनकी योग्यता और तकनीकी क्षमता के आधार पर किया जाएगा।
- **बिना किसी प्रभाव के प्रविधिक विशेषज्ञता का प्रावधान**
  - **नई चयन समिति के लिये प्रविधिक सलाहकार** के रूप में सेवा करने की पेशकश की जानी चाहिये, परंतु केवल अनुरोध किये जाने पर और स्पष्ट सीमाओं के साथ।
  - कोई भी निविष्टि आपूर्तिकर्ता चयन के लिये किसी भी सिफारिश के बिना **वस्तुनिष्ठ प्रविधिक मूल्यांकन तक सीमित होना चाहिये।**
  - इससे परियोजना को नीतिपरक मानकों का अनुरक्षण करते हुए राजीव की विशेषज्ञता का लाभ मिल सकेगा।
- **सभी क्रियाकलापों और संचारों का दस्तावेज़ीकरण**
  - इस स्थिति के संबंध में **की गई सभी कार्रवाइयों, किये गए संचार और लिये गए निर्णयों का विस्तृत रिकॉर्ड** बनाया जा सकता है।
  - यह दस्तावेज़ पारदर्शिता प्रदान करता है और बाद में प्रश्न उठने पर नीतिपरक आचरण के साक्ष्य के रूप में कार्य कर सकता है।
- **बहन के स्टार्टअप के लिये वैकल्पिक सहायता का अन्वेषण:** यद्यपि राजीव अपनी बहन के व्यवसाय के विषय में भी चिंतित है, इसलिये वह उसे सहायता प्रदान करने के लिये वैकल्पिक तरीकों का अन्वेषण कर सकता है, जैसे **परामर्श देना, नेटवर्किंग करना, या अन्य स्रोतों से धन संगृहीत करना।**
  - इन विकल्पों से किसी भी प्रकार के हितों के टकराव से बचा जा सकेगा तथा यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे।

निष्कर्ष:

उपरोक्त चरणों का अनुपालन करके, राजीव **पेशेवर सत्यनिष्ठता का अनुरक्षण करते हुए, निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए और सरकारी अनुबंध में पारदर्शिता बनाए रखते हुए इस नैतिक दुविधा को दूर कर सकते हैं।** यह उपागम उनकी पेशेवर ज़िम्मेदारियों को नीतिपरक विचारों के साथ संतुलित करता है तथा उनकी और प्रयोगशाला की प्रतिष्ठा दोनों का रक्षण करता है।

प्रश्न : डॉ. शर्मा, एक प्रसिद्ध जैव प्रौद्योगिकी कंपनी की वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, जो एक नए विषाणु संक्रामक रोग के तेज़ी से प्रसारित हो रहे प्रकार के उपचार हेतु एक दवा विकसित करने वाले अनुसंधान दल का नेतृत्व कर रही हैं। विश्वभर में और भारत में मामलों में वृद्धि के साथ, डॉ. शर्मा के दल पर दवा परीक्षणों में तेज़ी लाने का बहुत दबाव है। कंपनी महत्त्वपूर्ण बाज़ार क्षमता का लाभ उठाना चाहती है और प्रथम-प्रवर्तक का लाभ प्राप्त करना चाहती है।

टीम मीटिंग के दौरान, वरिष्ठ सदस्य क्लिनिकल ट्रायल में तीव्रता लाने और त्वरित मंज़ूरी प्राप्त करने के लिये लघु पथन का प्रस्ताव देते हैं। इनमें नकारात्मक प्रतिफलों को निष्कर्षित करने और चुनिंदा रूप से सकारात्मक प्रतिफलों की रिपोर्ट करने के लिये डेटा का छलसाधन, सूचित सहमति प्रक्रियाओं को उपपथन और स्वयं के द्वारा विकसित करने के बजाय प्रतिद्वंद्वी कंपनी के पेटेंट यौगिकों का उपयोग करना शामिल है। डॉ. शर्मा इन लघुपथन मार्गों से असहज महसूस करती हैं, परंतु उन्हें अनुभव होता है कि ऐसे साधनों का उपयोग किये बिना लक्ष्यों को प्राप्त करना असंभव है। अब उन्हें एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ रहा है जो बाज़ार के दबावों और उपचार की तत्काल आवश्यकता के विरुद्ध वैज्ञानिक सत्यनिष्ठता और रोगी सुरक्षा को चुनौती देता है।

1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?
2. डॉ. शर्मा को कौन-सी नीतिपरक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है?
3. इस परिदृश्य में डॉ. शर्मा को क्या कदम उठाना चाहिये?

परिचय:

डॉ. शर्मा, एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, जो तेज़ी से फैल रहे वायरल रोग के लिये दवा विकसित करने वाली टीम का नेतृत्व कर रही हैं। **परीक्षणों में तेज़ी लाने और अनुमोदन प्राप्त करने के भारी दबाव में,** उनके सहकर्मियों ने डेटा हेरफेर व सूचित सहमति को दरकिनार करने सहित अनैतिक शॉर्टकट का प्रस्ताव दिया है।

नोट :

- डॉ. शर्मा **वैज्ञानिक अखंडता को बनाए रखने और उपचार के लिये तत्काल बाज़ार की मांग को पूरा करने के बीच दुविधा में हैं।** उन्हें यह तय करना होगा कि नैतिकता को प्राथमिकता देनी है या व्यावसायिक दबावों के आगे झुकना है।

मुख्य भाग:

1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?

हितधारक	स्थिति में भूमिका/रुचि
डॉ. शर्मा (वरिष्ठ वैज्ञानिक)	वैज्ञानिक अखंडता को बनाए रखने और दवा विकास में तीव्रता लाने के दबाव में समझौता करने के बीच एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
खोजी दल	व्यावसायिक उपलब्धि और बाज़ार लाभ दोनों से प्रेरित होकर, समय-सीमा को पूरा करने के लिये डॉ. शर्मा पर अनैतिक शॉर्टकट अपनाने का दबाव डाला गया।
जैव प्रौद्योगिकी कंपनी	इसका उद्देश्य दवा की क्षमता का लाभ उठाना, शीघ्र बाज़ार अनुमोदन प्राप्त करना तथा लाभ बढ़ाने के लिये प्रथम प्रस्तावक का लाभ प्राप्त करना है।
मरीज़ (विश्वभर में और भारत में)	सुरक्षित और प्रभावी दवा के विकास पर निर्भर हैं तथा यदि नैदानिक अध्ययनों के साथ छेड़छाड़ की जाती है या आँकड़ों में हेराफेरी की जाती है, तो उन्हें हानि पहुँचने का खतरा है।
नियामक निकाय	औषधि परीक्षणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने का कार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिये ज़िम्मेदार।
प्रतिद्वंद्वी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी	बौद्धिक संपदा अधिकार खतरे में हैं तथा उसके पास ऐसे प्रस्तावित यौगिकों के पेटेंट हैं, जिनका अनधिकृत प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है।
वैज्ञानिक समुदाय	अनुसंधान और डेटा की अखंडता के लिये वैज्ञानिक समुदाय पर भरोसा किया जाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की हेराफेरी से वैज्ञानिक प्रगति में जनता का विश्वास कम होता है।
स्वास्थ्य रक्षक सुविधाएँ प्रदान करने वाले	यदि दवा सुरक्षा से समझौता किया जाता है तो मरीज़ों के उपचार के लिये ज़िम्मेदार स्वास्थ्य सेवा प्रदाता भी संभावित रूप से संकट में पड़ सकते हैं।
निवेशक/शेयरधारक	कंपनी की वित्तीय सफलता में रुचि लेने वाले निवेशक संभवत: दवा के शीघ्र जारी होने के लिये शॉर्टकट को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण	वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों ने बायोटेक कंपनियों की सही रिपोर्टिंग पर विश्वास करते हुए, सुरक्षित और प्रभावी उपचारों के साथ महामारी से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया।

2. डॉ. शर्मा को कौन-सी नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है?

- **वैज्ञानिक अखंडता बनाम शीघ्र परिणाम:** डॉ. शर्मा को वैज्ञानिक दृढ़ता और अखंडता बनाए रखने या औषधि विकास प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिये शॉर्टकट अपनाने के मध्य चयन करना चाहिये।
  - **डेटा/आँकड़ों में हेरफेर करना तथा चुनिंदा** परिणामों की रिपोर्टिंग करना वैज्ञानिक अनुसंधान के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन है तथा इससे अविश्वसनीय या खतरनाक परिणाम भी सामने आ सकते हैं।
- **रोगी सुरक्षा बनाम त्वरित औषधि वितरण:** संपूर्ण सुरक्षा परीक्षण सुनिश्चित करना तथा संभावित जीवनरक्षक औषधि को बाज़ार में शीघ्रता से जारी करना, दोनों ही बातें एक दूसरे से भिन्न हैं।
  - सूचित सहमति प्रक्रियाओं को दरकिनार करने से मरीज़ों को उनके उपचार और परीक्षणों में भागीदारी के बारे में **सूचित निर्णय लेने के अधिकार से वंचित** किया जाता है।
- **व्यावसायिक नैतिकता बनाम संगठनात्मक दबाव:** एक वैज्ञानिक के रूप में डॉ. शर्मा पर **शोध में नैतिक मानकों को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी** है। हालाँकि लक्ष्य और समय-सीमा को पूरा करने के लिये उन पर अपने संगठन का दबाव है।
  - इससे उसकी व्यावसायिक निष्ठा और एक कर्मचारी व टीम लीडर के रूप में उसकी भूमिका के बीच तनाव उत्पन्न होता है।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार बनाम सुविधा:** प्रतिद्वंद्वी कंपनी के पेटेंट यौगिकों का उपयोग करने का प्रस्ताव बौद्धिक संपदा

नोट :

अधिकार का उल्लंघन है और अनुचित प्रतिस्पर्द्धा के मुद्दे को उठाता है।

- इससे अनुसंधान में **वैधानिक और नैतिक सीमाओं का सम्मान करने** तथा द्रुत परिणाम प्राप्त करने के बीच दुविधा उत्पन्न होती है।

3. इस परिदृश्य में डॉ. शर्मा को क्या कदम उठाना चाहिये?

- **अनैतिक शॉर्टकट की अवमानना:** डॉ. शर्मा को **डेटा में हेरफेर करने, चुनिंदा परिणामों की रिपोर्ट करने, या सूचित सहमति प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के किसी भी प्रस्ताव को दृढ़ता से अस्वीकार करना चाहिये।**
  - ये कार्य मूलत: अनैतिक हैं और मरीजों को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- **प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिये नैतिक तरीकों का पता लगाना:** सुरक्षा मानकों पर समझौता किये बिना, **तत्काल उपचार के लिये त्वरित समीक्षा प्रक्रिया** स्थापित करने हेतु नियामक निकायों के साथ सहयोग करना चाहिये।
  - **परियोजना के लिये आवंटित संसाधनों में वृद्धि** करना चाहिये, जैसे अधिक शोधकर्त्ताओं को नियुक्त करना या प्रयोगशाला क्षमता का विस्तार करना।
  - जहाँ संभव और सुरक्षित हो, वहाँ **विभिन्न अनुसंधान चरणों का समानांतर प्रसंस्करण** क्रियान्वित किया जाना चाहिये।
  - **पारदर्शिता को प्राथमिकता: सभी परीक्षण परिणामों,** चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, का पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिये प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इससे वैज्ञानिक अखंडता और सार्वजनिक विश्वास बना रहता है।
- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** अनुसंधान और नैदानिक परीक्षणों को अनुकूलित करने के लिये उन्नत AI और डेटा एनालिटिक्स टूल को लागू करने की सिफारिश की जानी चाहिये।
- ये प्रौद्योगिकियाँ **डेटा संग्रहण को स्वचालित कर पूर्वानुमानात्मक मॉडलिंग को बढ़ा** सकती हैं तथा **प्रवृत्तियों की पहचान** कर सकती हैं, जिससे अंतत: अनुसंधान प्रक्रिया में तेज़ी आएगी।
- मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके, टीम विशाल डेटासेट का कुशलतापूर्वक विश्लेषण कर सकती है तथा कठोर गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए समय पर जानकारी सुनिश्चित कर सकती है।
  - **बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करना:** प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के पेटेंट प्राप्त यौगिकों को बिना अनुमति के उपयोग करने की किसी भी योजना से बचना चाहिये।
    - **इसके बजाय, यदि ये यौगिक महत्त्वपूर्ण** हों तो कानूनी सहयोग या लाइसेंसिंग समझौतों पर विचार करने की आवश्यकता है।
  - **हितधारकों के साथ स्पष्ट रूप से संवाद:** कंपनी के नेतृत्वकर्त्ताओं को दाँव पर लगे नैतिक मुद्दों और शॉर्टकट अपनाने के संभावित दीर्घकालिक परिणामों के बारे में समझाने की आवश्यकता है।
    - इस बात पर ज़ोर दिया जाना चाहिये कि ईमानदारी बनाए रखना **"कंपनी की प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण"** है।
- **मुखबिरी:** यदि कंपनी की ओर से दबाव असहनीय हो जाए, तो डॉ. शर्मा को **संभावित प्रतिशोध से बचाव के लिये मुखबिर सुरक्षा पर विचार** करना चाहिये।
- बाह्य नैतिकता समितियों या कानूनी सलाहकारों से सलाह लेने से बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहायता मिल सकती है।
- यह उपाय **नैतिक मानदंडों के संरक्षण की गारंटी** देता है और **डॉ. शर्मा को** अपने करियर या **ईमानदारी से समझौता किये बिना किसी भी अनैतिक व्यवहार या सुरक्षा चिंताओं की रिपोर्ट करने की अनुमति** देता है।
- **रोगी सुरक्षा और सहमति पर ध्यान देना:** यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सभी परीक्षण प्रतिभागियों को **पूरी जानकारी दी गई है और उन्होंने इसपर अपनी सहमति** दी है। **इस दिशा में** सुदृढ़ सुरक्षा निगरानी प्रोटोकॉल लागू करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

उपरोक्त दृष्टिकोण का पालन करके, डॉ. शर्मा **नैतिक विचारों, वैज्ञानिक अखंडता और दीर्घकालिक सोच के साथ उपचार की तत्काल आवश्यकता को संतुलित** कर सकती हैं। इस कार्यवाही का उद्देश्य रोगी सुरक्षा या वैज्ञानिक मानकों से समझौता किये बिना, नैतिक रूप से अनुसंधान प्रक्रिया को गति देना है। यह **केवल इस एक मामले को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि यह एक मिसाल कायम कर सकता है कि उनकी टीम और कंपनी भविष्य के नैतिक मुद्दों को किस प्रकार संभालती है।** यह दृष्टिकोण डॉ. शर्मा की पेशेवर अखंडता, कंपनी की प्रतिष्ठा की भी रक्षा करता है और अंतत: **एक सुरक्षित तथा प्रभावी उपचार के विकास को सुनिश्चित करके सार्वजनिक हित में** काम करता है।

प्रश्न : एक समर्पित IPS अधिकारी प्रिया, जो अपनी ईमानदारी के लिये जानी जाती है, को एक ऐसे ज़िले में पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है जहाँ अपराध दर बहुत अधिक है और राजनीतिक हस्तक्षेप भी बहुत

नोट :

अधिक है। बार-बार तबादलों का सामना करने के बावजूद, वह स्थानीय विधायक के मानव तस्करी गिरोह में संलिप्तता के सबूतों को उजागर करती है। विधायक के राज्य के गृह मंत्री के साथ प्रगाढ़ संबंध हैं, जिससे राजनीतिक दबाव के बिना काम करने के उसके प्रयास जटिल हो गए हैं।

प्रिया को एक वरिष्ठ पत्रकार अतिरिक्त आपत्तिजनक सूचना प्रदान करता है और अगर वह जाँच की पुष्टि करती है तो एक खुलासा प्रकाशित करने का प्रस्ताव देता है। वह संकेत देता है कि इससे उसका कॅरियर बेहतर हो सकता है और उसे एक प्रतिष्ठित पद मिल सकता है। हालाँकि प्रिया पत्रकार के उद्देश्य और समय से पहले विवरण लीक करके जाँच से समझौता करने तथा संभावित पेशेवर प्रतिशोध के जोखिम से सचेत हो गई है। अब उनके सामने एक दुविधा है कि क्या वे साहसिक कदम उठाएँ या जाँच की विश्वसनीयता बनाए रखें।

1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?
2. प्रिया के समक्ष नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?
3. एक सिद्धांतवादी पुलिस अधीक्षक के रूप में, इस स्थिति में प्रिया के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं तथा कौन-सा कदम सबसे उपयुक्त होगा?

परिचय:

एक आईपीएस अधिकारी **प्रिया**, राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच एक **स्थानीय विधायक की** मानव तस्करी के गिरोह में संलिप्तता का पता लगाती है। एक पत्रकार विधायक को दोषी ठहराने वाले साक्ष्य पेश करते हुए सुझाव देता है कि इस पर्दाफाश से प्रिया के कॅरियर बेहतर हो सकता है और उसे एक प्रतिष्ठित पद मिल सकता है। हालाँकि प्रिया संभावित पेशेवर प्रतिशोध, पत्रकार के इरादों और जाँच को खतरे में डालने के बारे में चिंतित है। वह **निर्णायक रूप से कार्य करने** और **जाँच की विश्वसनीयता की रक्षा करने के बीच** एक गंभीर **दुविधा** का सामना करती है।

मुख्य भाग:

1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?

हितधारक	भूमिका/रुचि
प्रिया (आईपीएस अधिकारी)	कानून और निष्ठा को कायम रखना, राजनीतिक दबाव तथा संभावित प्रतिशोध का सामना करना।
स्थानीय विधायक	मानव तस्करी गिरोह का कथित नेता, सत्ता और प्रभाव बनाए रखने को लेकर चिंतित।
राज्य के गृह मंत्री	विधायक का राजनीतिक सहयोगी, राजनीतिक संबंधों और अधिकार की रक्षा में रुचि रखने वाला।
वरिष्ठ पत्रकार	भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास, प्रिया के करियर को बढ़ावा देने के लिये व्यक्तिगत उद्देश्य हो सकता है।
मानव तस्करी के शिकार	अपराध से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित; सुरक्षा और न्याय के लिये कानून प्रवर्तन पर निर्भर।
स्थानीय समुदाय	अपराध दर से प्रभावित; सुरक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त शासन में रुचि।
पुलिस विभाग	संस्थागत प्रतिष्ठा दाँव पर; राजनीतिक दबावों के साथ जाँच की विश्वसनीयता को संतुलित करना।
मीडिया संगठन	कहानी प्रकाशित करने की संभावना; जवाबदेही के लिये भ्रष्टाचार को सार्वजनिक करने में रुचि।
राजनीतिक विरोधी	राजनीतिक लाभ के लिये स्थिति का फायदा उठा सकते हैं; विधायक और गृह मंत्री को कमज़ोर करने में रुचि रखते हैं।

2. प्रिया के सामने नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?

- **सार्वजनिक हित बनाम व्यावसायिक नैतिकता:** एक ओर, खुलासा प्रकाशित करने से मानव तस्करी को उजागर करके और MLA को जवाबदेह बनाकर **सार्वजनिक हित की पूर्ति** हो सकती है।
  - दूसरी ओर, प्रिया को **यह भी विचार करना आवश्यक है कि क्या पत्रकार के साथ सहयोग करना उसकी व्यावसायिक नैतिकता का उल्लंघन है**, क्योंकि इससे जाँच की अखंडता को खतरा हो सकता है और संवेदनशील सूचनाएँ उजागर हो सकती हैं।
- **विधि के प्रति निष्ठा बनाम राजनीतिक दबाव:** प्रिया **कानून को बनाए रखने** और **न्याय सुनिश्चित करने के लिये बाध्य** है।
  - हालाँकि विधायक और गृह मंत्री के राजनीतिक संबंध **उनके प्रयासों में एक बड़ी बाधा** उत्पन्न करते हैं।
  - यह दुविधा उसे एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्य और शक्तिशाली राजनीतिक हस्तियों की अवहेलना के

नोट :

संभावित नतीजों के बीच संघर्ष से निपटने के लिये बाध्य करती है।

- **ईमानदारी बनाम कैरियर में उन्नति:** पत्रकार के खुलासे के माध्यम से कॅरियर में उन्नति की संभावना प्रिया के लिये आकर्षक है।
  - इससे यह **नैतिक प्रश्न उठता है कि क्या उसे अपने व्यावसायिक विकास को प्राथमिकता देनी चाहिये** या अपनी ईमानदारी को बनाए रखते हुए ऐसे किसी भी कार्य से बचना चाहिये जो उसके मूल्यों या जाँच से समझौता कर सकता हो।
- **गोपनीयता बनाम पारदर्शिता:** पत्रकार द्वारा आपत्तिजनक जानकारी प्रकाशित करने की पेशकश, **चल रही जाँच में गोपनीयता की आवश्यकता** और शासन में पारदर्शिता की मांग के बीच तनाव उत्पन्न करती है।
- **उपयोगितावादी दृष्टिकोण बनाम कर्त्तव्यपरायण नैतिकता:** प्रिया के सामने यह दुविधा है कि क्या उसे उपयोगितावादी दृष्टिकोण के आधार पर कार्य करना चाहिये- **जहाँ अंत साधन को सही ठहराता है** - पत्रकारों के साथ अधिक अच्छे के लिये सहयोग करके, या कर्त्तव्यपरायण नैतिकता का सख्ती से पालन करना चाहिये, **जहाँ उसके कार्यों की सहीता कानून** और उसके पेशेवर कर्त्तव्यों का पालन करने पर आधारित है।
- प्रिया को यह तय करना होगा कि क्या उसे कर्त्तव्यपरायण होकर नैतिकता का पालन करना चाहिये, जिसमें कानून और उसके पेशेवर दायित्वों के अनुसार कार्य करना ही **नैतिक रूप से सही होने का एकमात्र तरीका** है, या उपयोगितावादी दृष्टिकोण पर कार्य करना चाहिये, जिसमें पत्रकार के साथ व्यापक हित के लिये काम करना **साधनों को उचित ठहराया जाता है।**
- **विश्वसनीयता बनाम हेरफेर:** पत्रकार की पेशकश **विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाती है।** प्रिया को यह समझना होगा कि **क्या पत्रकार वास्तव में न्याय चाहता है या उसके पीछे कोई गुप्त उद्देश्य है,** जिससे उसके लिये **यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि हेरफेर के बिना कैसे आगे बढ़ना है।**

3. एक सिद्धांतवादी पुलिस अधिकारी के रूप में, इस स्थिति में प्रिया के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं तथा कौन-सा कदम सबसे उपयुक्त होगा?

प्रिया के लिये उपलब्ध विकल्प:

- **आंतरिक रूप से गहन जाँच की जाए:**
  - **कार्रवाई:** प्रिया **स्थापित पुलिस प्रक्रियाओं के माध्यम से साक्ष्य एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है** तथा बाह्य पक्षों को समय से पहले शामिल किये बिना जाँच की विश्वसनीयता को बनाए रख सकती है।
  - **निहितार्थ:** यह दृष्टिकोण **विधायक के खिलाफ सबूतों की गोपनीयता को बनाए रखता है** और बाह्य दबाव को कम करता है। हालाँकि इसमें समय लग सकता है और राजनीतिक हस्तक्षेप से इसे विफल किया जा सकता है।
- **पत्रकारों से सावधानीपूर्वक समन्वय किया जाए:**
  - **कार्रवाई:** प्रिया पत्रकार से मिलकर दी गई सूचना की वैधता का आकलन कर सकती हैं और पत्रकार के उद्देश्यों को समझ सकती हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर सकती हैं कि कोई संवेदनशील विवरण लीक न हो।
  - **निहितार्थ:** इससे **उन्हें राजनीतिक प्रतिष्ठान पर दबाव बनाने के लिये जनहित का लाभ उठाने में मदद** मिल सकती है। हालाँकि अगर इस मामले का प्रबंधन अनुचित तरीके से किया गया तो इससे जाँच प्रभावित होने का जोखिम है।
- **कानूनी और संस्थागत सहायता प्राप्त की जाए:**
  - **कार्रवाई:** प्रिया अपनी जाँच को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिये कानूनी सलाहकारों या **पुलिस विभाग या न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श कर सकती है।**
  - **निहितार्थ:** यह रास्ता उसे **संस्थागत समर्थन प्रदान कर सकता है,** प्रतिशोध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हुए उसके कानूनी रुख को सुदृढ़ कर सकता है। हालाँकि समर्थन जुटाने में समय लग सकता है।
- **भ्रष्टाचार निरोधक निकायों को निष्कर्षों की रिपोर्ट दी जाए:**
  - **कार्रवाई:** यदि साक्ष्य पुख्ता हैं, तो प्रिया स्वतंत्र जाँच सुनिश्चित करने के लिये स्थानीय राजनीतिक संरचनाओं को दरकिनार करते हुए **भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी या न्यायिक प्राधिकरण से संपर्क** कर सकती हैं।
  - **निहितार्थ:** यह दृष्टिकोण उन्हें राजनीतिक प्रतिक्रिया से बचा सकता है और विधायक को जवाबदेह बना सकता है। फिर भी, यह **राजनीतिक सहयोगियों से प्रतिशोध को भी भड़का सकता है, जिससे उनकी स्थिति जटिल हो सकती है।**

कार्रवाई के दौरान:

आंतरिक रूप से गहन जाँच तथा पत्रकार के साथ सावधानीपूर्वक समन्वय किया जाए।

नोट :

- गहन आंतरिक जाँच करने से प्रिया को साक्ष्य की अखंडता और गोपनीयता बनाए रखने में मदद मिलती है।
  - उन्हें **विधायक के खिलाफ व्यापक सबूत जुटाने के लिये सावधानीपूर्वक काम करना चाहिये**, साथ ही **सभी निष्कर्षों का दस्तावेज़ीकरण करना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।** इससे संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप के खिलाफ उनका मामला मज़बूत होगा।
- इसके साथ ही, पत्रकार के साथ सावधानीपूर्वक बातचीत करने से **उसके निष्कर्षों के व्यापक निहितार्थों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिल सकती है।**
  - उन्हें **स्पष्ट सीमाएँ स्थापित करनी चाहिये, ताकि कोई भी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक न हो।** ऐसा करके, प्रिया जाँच की सुरक्षा करते हुए पत्रकार की पहुँच का लाभ उठा सकती हैं।
- इसके अलावा, प्रिया को **कानूनी सलाह लेने और** संस्थागत सहायता के विकल्प तलाशने पर विचार करना चाहिये, जिससे उसे किसी भी संभावित राजनीतिक प्रतिक्रिया का मुकाबला करने के लिये अतिरिक्त सुरक्षा और संसाधन मिल सकें।
  - यह समग्र दृष्टिकोण **ईमानदारी, पारदर्शिता और प्रभावी कानून प्रवर्तन के बीच संतुलन स्थापित करता है** तथा यह सुनिश्चित करता है कि उनकी गतिविधियाँ न्याय के लक्ष्य के साथ-साथ उनके सिद्धांतों के अनुरूप हों।

निष्कर्ष:

प्रिया को **गहन जाँच करने और विश्वसनीय सहकर्मियों के साथ सहयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये**, साथ ही राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करने के लिये कानूनी मार्गदर्शन भी प्राप्त करना चाहिये। अपने विभाग में **पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा** देकर, वह अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकती है तथा **मानव तस्करी नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में प्रभावी** ढंग से काम कर सकती है, साथ ही अपनी पेशेवर ईमानदारी को भी बनाए रख सकती है।

प्रश्न : प्रिया सिंह एक आईएएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में राजनीतिक रूप से संवेदनशील ज़िले में ज़िला अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। एक गंभीर महामारी के प्रकोप के दौरान, उनके ज़िले को जीवन रक्षक टीकों की सीमित आपूर्ति ही प्राप्त होती है। आधिकारिक दिशा-निर्देशों में टीकाकरण के लिये स्वास्थ्य कर्मियों और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता देने का आदेश दिया गया है।

हालाँकि स्थानीय विधायक, जो सत्ताधारी पार्टी से संबंधित है, मांग करता है कि 40% टीके उसके निर्वाचन क्षेत्र में "प्राथमिक तौर पर वितरण" के लिये भेजे जाएँ। अगर प्रिया ऐसा नहीं करती है तो वह उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाने की धमकी देता है। इसके अलावा, प्रिया का पति विधायक के निजी सचिव के रूप में कार्यरत है, जिससे वह एक चुनौतीपूर्ण और कठिन व्यक्तिगत स्थिति में फँस जाती है क्योंकि विधायक उसके पति की नौकरी को खतरे में डाल रहा है।

दुविधा तब और बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि विधायक इन टीकों का उपयोग केवल अपने पार्टी कार्यकर्त्ताओं और समर्थकों को वितरित कर राजनीतिक लाभ पहुँचाने हेतु करना चाहते हैं, जिससे संभवत: अन्य क्षेत्रों में अधिक सुभेद्य नागरिकों तक उनकी पहुँच सीमित हो सकती है।

1. इस मामले में शामिल हितधारकों का अभिनिर्धारण कीजिये।
2. इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिये।
3. प्रिया के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं और उसे इस स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाने चाहिये?

परिचय:

ज़िला कलेक्टर के रूप में कार्यरत IAS अधिकारी प्रिया सिंह पर **एक स्थानीय विधायक महामारी के दौरान उपलब्ध टीकों का 40% हिस्सा अपने राजनीतिक समर्थकों को देने के लिये** दबाव डालता है। **अगर वह मना करती है तो वह उसे झूठे भ्रष्टाचार के आरोपों में फँसाने की धमकी भी देता है,** जिससे उसकी स्थिति और जटिल हो सकती है क्योंकि उसका पति विधायक का निजी सचिव है। प्रिया को पता चलता है कि विधायक की योजना अन्य क्षेत्रों में कमज़ोर नागरिकों को खतरे में डालती है, जिससे **नैतिक शासन और व्यक्तिगत दबाव के बीच टकराव** उत्पन्न होता है।

मुख्य भाग:

1. इस मामले में शामिल हितधारकों का अभिनिर्धारण कीजिये।

हितधारक	भूमिका और रुचि
प्रिया सिंह, IAS अधिकारी	निष्पक्ष वैक्सीन वितरण सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार ज़िला कलेक्टर।
स्वास्थ्यकर्मी और वरिष्ठ नागरिक	आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार वैक्सीन के प्राथमिकता वाले प्राप्तकर्त्ता।
स्थानीय विधायक और उनका निर्वाचन क्षेत्र	राजनीतिक लाभ के लिये टीके के दुरुपयोग की मांग करने वालाजनप्रतिनिधि, जिससे समतामूलक वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

नोट :

सरकार और स्वास्थ्य अधिकारी	जो सभी कमज़ोर समूहों में निष्पक्ष टीका वितरण सुनिश्चित करने के लिये दिशा-निर्देश और नीतियाँ निर्धारित करते हैं।
प्रिया का जीवनसाथी	विधायक का निजी सचिव जिससे प्रिया को निर्णय लेने में व्यक्तिगत चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
ज़िले में आम जनता	इसमें वे नागरिक भी शामिल हैं जो असुरक्षित हैं लेकिन विधायक के निर्वाचन क्षेत्र से बाहर हैं।

2. इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिये।

- **सत्ता का दुरुपयोग बनाम नैतिक शासन:** राजनीतिक लाभ के लिये विधायकों द्वारा टीकों को अन्यत्र भेजने की मांग **सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण है, जो लोक कल्याण को कमज़ोर करती है।**
  - इसके विपरीत, नैतिक शासन को कायम रखने के अपने कर्त्तव्य को पूरा करने के लिये प्रिया को व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा समुदाय की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी होगी।
- **व्यक्तिगत निष्ठा बनाम व्यावसायिक कर्त्तव्य:** विधायक के साथ प्रिया के पति के संबंध के कारण **विधायक की अनुचित मांगों को पूरा करने के लिये** प्रिया पर **दबाव बन रहा है,** जिससे उसकी नैतिक स्थिति जटिल हो गई है।
  - हालाँकि एक **IAS अधिकारी के रूप में उसके पेशेवर कर्त्तव्य के** लिये लोक सेवा के प्रति निष्पक्षता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि व्यक्तिगत जोखिम पर भी।
- **न्यायसंगत वितरण बनाम राजनीतिक लाभ:** नैतिक अनिवार्यता यह है कि आवश्यकता के आधार पर टीकों का वितरण किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि कमज़ोर वर्ग को प्राथमिकता दी जाए।
  - इसके विपरीत, विधायक द्वारा अपने समर्थकों को लाभ पहुँचाने की मंशा **न्यायसंगत वितरण को खतरे में डालती है,** जो राजनीतिक निष्ठा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संघर्ष को उजागर करती है।
- **व्हिसल-ब्लोइंग बनाम व्यक्तिगत सुरक्षा: विधायक की अनैतिक मांगों की रिपोर्ट करना,** सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने और भ्रष्टाचार को उजागर करने के **प्रिया के नैतिक दायित्व के अनुरूप** है।
  - हालाँकि यह **विकल्प उसके कॅरियर** और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न करता है, जिससे एक कठिन नैतिक दुविधा की स्थिति बन जाती है।
- **नैतिक ज़िम्मेदारी बनाम कॅरियर को जोखिम:** प्रिया के सामने यह नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि संकट के दौरान कमज़ोर आबादी तक टीके का वितरण हो।
  - हालाँकि विधायक के खिलाफ रुख अपनाने से **उसका कॅरियर खतरे में पड़ सकता है** तथा व्यक्तिगत परिणामों के मद्देनज़र नैतिकता को प्राथमिकता देने की चुनौती पर बल दिया जा सकता है।

3. प्रिया के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं और उसे इस स्थिति से किस प्रकार निपटना चाहिये?

विकल्प 1: विधायक की मांग का अनुपालन

- **लाभ:** इससे **संभावित व्यक्तिगत और व्यावसायिक नुकसान से बचा जा सकता है,** जैसे झूठे आरोप तथा उसके जीवनसाथी के रोज़गार पर पड़ने वाला प्रभाव।
- **विपक्ष:** यह उनकी **निष्ठा और जवाबदेही से समझौता** करता है, सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है तथा कमज़ोर आबादी की तुलना में राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देकर सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डालता है।

विकल्प 2: दिशा-निर्देशों को दृढ़ता से कायम रखना और विधायक की मांग को अस्वीकार करना

- **पक्ष: कर्त्तव्य के प्रति पालन, नैतिक अखंडता को प्रदर्शित करता है** और स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के अनुसार समान वैक्सीन वितरण सुनिश्चित करता है।
- **विपक्ष: विधायक की ओर से संभावित प्रतिकूल प्रतिक्रिया,** जिसमें **झूठे आरोप और उसके पति पर संभावित दबाव शामिल है,** जिससे व्यक्तिगत तनाव एवं व्यावसायिक बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

विकल्प 3: उच्च अधिकारियों को मामले की रिपोर्ट करना

- **लाभ:** इससे वरिष्ठ अधिकारियों को अनुचित राजनीतिक दबाव से निपटने, **पारदर्शिता सुनिश्चित करने** और **विधायक के साथ सीधे टकराव के जोखिम को कम करने में मदद** मिलती है। इससे जवाबदेही भी उच्च स्तर पर स्थानांतरित हो सकती है।
- **विपक्ष:** यदि विधायक आगे भी राजनीतिक प्रभाव डालता है तो विवाद बढ़ने का खतरा है; प्रशासन के भीतर और अपने पति/पत्नी के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है।

नोट :

विकल्प 4: समझौता करने के लिये विधायक से वार्ता

- **लाभ:** दिशा-निर्देशों से अत्यधिक विचलन किये बिना विधायक के निर्वाचन क्षेत्र के लिये **संभावित रूप से कम वैक्सीन आवंटन पर सहमति देकर तनाव कम किया जा सकता है।**
- **विपक्ष: इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों और नैतिक मानकों के साथ समझौता हो सकता है** तथा राजनीतिक दबाव के आगे झुकना पड़ सकता है।

स्थिति से निपटने के लिये अनुशंसित कार्यवाही:

विकल्प 4: विधायक को रचनात्मक संवाद में शामिल करना

- **साझा लक्ष्यों पर ज़ोर देना: विधायक की अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के प्रति चिंता को स्वीकार करना** और इस बात पर प्रकाश डालना कि **व्यापक टीकाकरण सुनिश्चित करने से उसके समर्थकों सहित सभी को लाभ** होगा।
  - इस बात पर बल देना कि सफल महामारी प्रबंधन से उसकी राजनीतिक स्थिति मज़बूत होगी।
  - **एक समझौते का प्रस्ताव:** विधायक के निर्वाचन क्षेत्र के सबसे कमज़ोर वर्ग के लिये टीकों के एक मामूली आवंटन का सुझाव देना, जो समग्र रूप से समान वितरण को बनाए रखने पर निर्भर हो।
    - उदाहरण के लिये, यह **प्रस्ताव रखना चाहिये कि टीकों का एक निश्चित प्रतिशत विशेष रूप से विधायक के क्षेत्र के लिये आवंटित किया जा सकता है,** साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अधिकांश टीके अन्य कमज़ोर आबादी को दिये जाएँ।
- **अपने जीवनसाथी से वार्ता करना:**
  - **राजनीतिक गतिशीलता पर चर्चा करना:** स्थिति और विधायक के साथ हुए समझौते के बारे में अपने पति के साथ खुली वार्ता की जा सकती है।
    - सुनिश्चित किया जा सकता है कि वह व्यावसायिक कर्त्तव्य और व्यक्तिगत संबंधों के बीच संतुलन को समझती है।
  - **समर्थन के लिये सहयोग करना:** साथ मिलकर, वे **विधायक के दबाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी राजनीतिक प्रभाव से निपटने के लिये रणनीति बना सकते हैं** तथा यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रिया का कॅरियर और उसके पति की स्थिति दोनों अप्रभावित रहें।
- **परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन करना:**
  - **वैक्सीन वितरण पर नज़र रखना:** वैक्सीन वितरण प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी करने के लिये एक तंत्र स्थापित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सहमत दिशा-निर्देशों का पालन करता है।
    - किसी भी उत्पन्न होने वाली चिंता का **नियमित मूल्यांकन से** शीघ्र समाधान करने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष:

इस व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाकर, प्रिया **नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए और जन कल्याण सुनिश्चित करते हुए राजनीतिक दबावों से निपट सकती हैं।** यह रणनीति वैक्सीन वितरण की अखंडता से समझौता किये बिना विधायक के राजनीतिक हितों को समायोजित करने की अनुमति देती है। अंततः यह **हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, जनता का विश्वास बढ़ाता है और सुशासन के सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है,** जिससे समुदाय तथा राजनीतिक परिदृश्य दोनों को लाभ होता है।

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न : "नीतिपरक नेतृत्व के लिये प्रायः कठोर निर्णयन की आवश्यकता होती है जो अल्पावधि में अलोकप्रिय हो सकते हैं लेकिन दीर्घावधि में लाभकारी होते हैं।" प्रासंगिक उदाहरणों के साथ इस कथन पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- दिये गए कथन को उचित ठहराते हुए नीतिपरक नेतृत्व के महत्त्व का उल्लेख करते हुए अपने उत्तर की भूमिका लिखिये
- अल्पकालिक चुनौतियों को दीर्घकालिक सामाजिक लाभ के साथ संतुलित करने से संबंधित प्रमुख तर्क प्रस्तुत कीजिये
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये

भूमिका:

नीतिपरक नेतृत्व सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में सुशासन और ज़िम्मेदार प्रबंधन की आधारशिला है। इसमें नैतिक सिद्धांतों, निष्पक्षता और व्यापक कल्याण के आधार पर निर्णयन शामिल है, भले ही ये विकल्प तुरंत लोकप्रिय या लाभप्रद न हों।

मुख्य भाग:

नीतिपरक नेतृत्व: अल्पकालिक चुनौतियों का दीर्घकालिक सामाजिक लाभ के साथ संतुलन:

- **अल्पकालिक लाभों की अपेक्षा दीर्घकालिक लाभों को प्राथमिकता:** नीतिपरक नेता अल्पकालिक व्यवधानों के बावजूद दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित निर्णय लेते हैं।

नोट :

- **डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वर्ष 1991 का आर्थिक उदारीकरण** शुरू में अलोकप्रिय था, परंतु इसने भारत को वैश्विक बाज़ारों के लिये खोल दिया, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक विकास संवर्द्धित हुआ।

- **समानता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन** नैतिक नेतृत्व निष्पक्षता और समानता को अग्रेषित करने के लिये सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती देता है।
  - **वर्ष 2019 में तीन तलाक के उन्मूलन को** रूढ़िवादी समूहों के विरोध का सामना करना पड़ा, परंतु इससे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हुई तथा लैंगिक न्याय और संवैधानिक समानता को प्रोत्साहन मिला।

- **भावी पीढ़ियों के लिये पर्यावरणीय उत्तरदायित्व:** नीतिपरक निर्णय अल्पावधि में उद्योगों के लिये असुविधा उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु पर्यावरणीय संवहनीयता सुनिश्चित कर सकते हैं।
  - वर्ष **2022 में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध को** उद्योग जगत द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा, परंतु यह प्रदूषण को कम करने और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- **राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता:** नेता राजनीतिक रूप से जोखिम भरे निर्णय ले सकते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता सुनिश्चित करते हैं।
  - **वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा सिक्किम के एकीकरण को** अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ा, परंतु इससे भारत के सामरिक हितों की सुरक्षा हुई और क्षेत्र के विकास में योगदान मिला।

- **दीर्घकालिक दक्षता के लिये स्थापित प्रणालियों में सुधार:** नैतिक निर्णयों के लिये प्राय: अधिक निष्पक्षता और दक्षता के लिये दीर्घकालिक प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता होती है।
  - वर्ष 2016 की **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) ने**, चूककर्त्ताओं और बैंकों के प्रारंभिक प्रतिरोध के बावजूद, ऋण अनुशासन तथा संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के त्वरित समाधान को प्रोत्साहित किया है।

- **उद्योग जगत के विरोध के विरुद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य का रक्षण:** नीतिपरक नेतृत्व में ऐसे निर्णय शामिल होते हैं जो सार्वजनिक कल्याण की रक्षा करते हैं, भले ही उन्हें शक्तिशाली लॉबी के विरोध का सामना करना पड़े।
  - तंबाकू उद्योग के कड़े प्रतिरोध के बावजूद, **तंबाकू उत्पादों पर चित्रात्मक चेतावनियों के कार्यान्वयन का** उद्देश्य धूम्रपान से संबंधित बीमारियों को कम करना और भावी पीढ़ियों की रक्षा करना है।

निष्कर्ष:

भारत में सतत् संवृद्धि और विकास के लिये नैतिक नेतृत्व महत्त्वपूर्ण है जो अल्पकालिक लोकप्रियता की तुलना में दीर्घकालिक लाभों को प्राथमिकता देता है। यद्यपि ऐसे निर्णयों को शुरुआती प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, परंतु वे प्राय: पूरे समाज के लिये अधिक महत्त्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम प्रस्तुत करते हैं।

प्रश्न : "पारंपरिक ज्ञान का व्यावसायीकरण बौद्धिक संपदा अधिकारों और सांस्कृतिक संरक्षण के विषय में प्रश्न खड़े करता है।" वैज्ञानिक प्रगति को प्रोत्साहित करते हुए स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों की सुरक्षा में नीतिपरक विचारों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- पारंपरिक ज्ञान के व्यावसायीकरण से उत्पन्न जटिल नीतिपरक दुविधा का उल्लेख करते हुए अपने उत्तर की भूमिका लिखिये
- भारत में स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों की सुरक्षा में प्रमुख नीतिपरक विचार प्रस्तुत कीजिये
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये

भूमिका:

पारंपरिक ज्ञान का व्यावसायीकरण, जो प्राय: स्वदेशी समुदायों के भीतर पीढ़ियों से चला आ रहा है, एक जटिल नीतिपरक दुविधा प्रस्तुत करता है। जबकि यह **आर्थिक संवृद्धि और वैज्ञानिक उन्नति के अवसर प्रदान करता है,** यह बौद्धिक संपदा अधिकारों और सांस्कृतिक संरक्षण के विषय में चिंताएँ भी उत्पन्न करता है।

मुख्य भाग:

भारत में स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के संरक्षण में नीतिपरक विचार:

- **जैवपूर्वेक्षण और जैवस्वापहरण संबंधी चिंताएँ:** यदि स्वदेशी ज्ञान और संसाधनों का बिना सहमति के दोहन किया जाता है, तो जैवपूर्वेक्षण जैवस्वापहरण में परिवर्तित हो सकता है।
  - **वर्ष 1997** में, राइसटेक इंक को अमेरिका में **बासमती चावल की किस्मों** पर पेटेंट प्रदान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारत को अपनी पारंपरिक चावल किस्मों की रक्षा के लिये कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी।

- **पारंपरिक ज्ञान और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन:** जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में स्वदेशी ज्ञान का उपयोग **नीतिपरक रूप से किया जाना चाहिये,** स्थानीय समुदायों के साथ उचित मान्यता और लाभ-साझाकरण सुनिश्चित करना चाहिये।

नोट :

- मेघालय में **खासी समुदाय सदियों से जीवित जड़ सेतुओं का निर्माण करता रहा है।**
- इन संरचनाओं का अब संवहनीय आधारिक संरचना के विकास के लिये अध्ययन किया जा रहा है, विशेष रूप से बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में, जिससे **समुदाय को श्रेय दिये जाने के विषय में चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं।**

- **आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन और लाभ-साझाकरण:** स्वदेशी ज्ञान से संबंधित आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग करने के लिये **उचित मुआवज़े और लाभ-साझाकरण की आवश्यकता होती है।**
  - **नीम के वृक्ष** के मामले में, नीम आधारित उत्पादों पर कई पेटेंट दायर किये गए, जिसके कारण कई विधिक मामले दायर किये गए और अंततः **यूरोपीय पेटेंट कार्यालय ने** अमेरिकी पेटेंट को निरस्त कर दिया, **जिससे भारतीय किसानों के पारंपरिक ज्ञान की पुष्टि हुई।**
- **डिजिटल दस्तावेज़ीकरण और ज्ञान डेटाबेस:** डिजिटल भंडार पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करने में सहायता करते हैं, परंतु अभिगम्यता और नियंत्रण के संबंध में चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं।
  - **भारत की पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL) में** पारंपरिक चिकित्सा पर प्रचुर ज्ञान मौजूद है।
  - यद्यपि इससे ज्ञान के दुरुपयोग को रोका गया है, फिर भी प्रश्न यह है कि **अभिगम्यता को कौन नियंत्रित करता है और डेटाबेस को किस प्रकार नियंत्रित किया जाना चाहिये।**
- **अंतर-पीढ़ीगत ज्ञान हस्तांतरण बनाम औपचारिक शिक्षा:** औपचारिक शिक्षा प्रणालियाँ प्रायः पारंपरिक ज्ञान के हस्तांतरण को नष्ट कर देती हैं, जिससे पीढ़ियों के बीच अंतराल उत्पन्न होता है।
  - **नीलगिरी** के **टोडा समुदाय** में, आधुनिक शिक्षा और शहरीकरण के कारण पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान के साथ युवाओं की भागीदारी में कमी आई है, जिससे सांस्कृतिक प्रथाओं की निरंतरता को खतरा उत्पन्न हो गया है।
- **औषधीय पादपों का संरक्षण और संवहनीय उपयोग:** पारंपरिक औषधियों के व्यावसायीकरण से मूल्यवान पादपों के संसाधनों का अतिदोहन हो सकता है।
  - **कैंसर के उपचार में उपयोग किये जाने वाले हिमालयी यू के अत्यधिक दोहन के** कारण संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा मिला, जो अब स्थानीय समुदायों के सहयोग से संवहनीय दोहन और खेती पर केंद्रित हैं।
- **व्यावसायीकरण में ऐतिहासिक गलत प्रस्तुति:** पारंपरिक सांस्कृतिक तत्वों का व्यावसायीकरण करने से गलत प्रस्तुति हो सकती है और ऐतिहासिक महत्त्व की हानि हो सकती है।
  - भारतीय ब्रांडिंग में **हिटलर की छवि का दुरुपयोग** इस बात पर प्रकाश डालता है **कि जब ऐतिहासिक तत्वों को महत्त्वहीन या गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो व्यावसायीकरण में दुरुपयोग किस प्रकार नुकसान पहुँचा सकता है।**

निष्कर्ष:

स्वदेशी ज्ञान का व्यवसायीकरण नीतिपरक हो सकता है यदि यह **सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान करता है, साझेदारी को संवर्द्धित करता है और उचित लाभ सुनिश्चित करता है। सरकारों, निगमों और शोधकर्ताओं को एक विधिक ढाँचा निर्मित करने, स्वदेशी समुदायों को शामिल करने और सांस्कृतिक संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिये** मिलकर कार्य करना चाहिये। यह उपागम **आर्थिक विकास को सांस्कृतिक संरक्षण के साथ संतुलित कर सकता है।**

प्रश्न : व्यक्तिगत गोपनीयता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व पर सोशल मीडिया के नीतिपरक प्रभावों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- इस बात पर प्रकाश डालते हुए उत्तर की भूमिका लिखिये कि किस प्रकार सोशल मीडिया हमारे जीवन में अंतर्विष्ट हो रहा है।
- व्यक्तिगत गोपनीयता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व पर सोशल मीडिया के नीतिपरक निहितार्थ बताइए।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं, **जो संचार, सूचना साझाकरण और मनोरंजन जैसे कई लाभ प्रदान करते हैं।** यद्यपि, उनके तीव्र विकास और व्यापक अंगीकरण से व्यक्तिगत गोपनीयता तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व से संबंधित गंभीर नीतिपरक चिंताएँ भी उत्पन्न हुई हैं।

मुख्य भाग:

सोशल मीडिया के नीतिपरक निहितार्थ:

- **व्यक्तिगत गोपनीयता**
  - **डेटा उल्लंघन और पहचान की चोरी:** सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर डेटा उल्लंघनों की बढ़ती संख्या के कारण

नोट :

संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा हो रहा है, जिससे व्यक्ति पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य नुकसानों के प्रति सुभेद्य हो गया है।

- वर्ष 2018 में, **CBI (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने 5.62 लाख भारतीय फेसबुक उपयोगकर्त्ताओं** के व्यक्तिगत डेटा को अवैध रूप से संगृहित करने और उसका दुरुपयोग करने के लिये **कैम्ब्रिज़ एनालिटिका** के विरुद्ध मामला दर्ज किया।

- **एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह:** सोशल मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा उपयोग किये जाने वाले एल्गोरिदम **पूर्वाग्रहों को अविरत बनाते हैं**, जिससे कुछ दृष्टिकोणों का प्रवर्द्धन और अन्य का दमन हो सकता है।
  - इसका व्यक्तिगत गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
  - वर्ष 2019 के भारतीय आम चुनावों के दौरान, बीबीसी द्वारा किये गए शोध में पाया गया कि **ट्विटर का एल्गोरिदम अधिक ध्रुवीकरणकारी राजनीतिक सामग्री को प्रवर्द्धित करता है।**
- **अवेक्षण पूंजीवाद:** कई सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का व्यवसाय मॉडल **"अवेक्षण पूंजीवाद" पर आधारित है,** जहाँ लक्षित विज्ञापन के माध्यम से उपयोगकर्त्ता डेटा का मुद्रीकरण किया जाता है।
  - इससे यह चिंता उत्पन्न होती है कि किस सीमा तक व्यक्तियों पर निगरानी रखी जा रही है तथा व्यावसायिक लाभ के लिये उनका दोहन किया जा रहा है।
- **डीपफेक और गलत सूचना: डीपफेक, हेरफेर किये गए वीडियो या छवियों** का प्रसार, जिनका उपयोग गलत सूचना प्रसारित करने या व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाने के लिये किया जा सकता है, सोशल मीडिया से संबंधित एक और नैतिक चिंता है।
  - **आमिर खान और रणवीर सिंह** जैसे बॉलीवुड अभिनेता वर्ष **2024 के भारतीय चुनाव** के दौरान डीपफेक का विषय रहे हैं।

- **सार्वजनिक उत्तरदायित्व**
  - **राजनीतिक छलसाधन:** सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप को सक्षम करने और गलत राजनीतिक सूचना प्रसारित करने का आरोप लगाया गया है।
    - **इससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सत्यनिष्ठता सुनिश्चित करने में सोशल मीडिया कंपनियों की भूमिका** पर प्रश्न उठते हैं।
  - **ऑनलाइन संतापन और साइबर धमकी: सोशल मीडिया ऑनलाइन संतापन और साइबर धमकी** के लिये अनुकूल वातावरण का निर्माण कर सकता है, जिससे व्यक्तियों और समुदायों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
    - **प्लेटफॉर्म तीसरे पक्ष के अभिकर्त्ता** के रूप में कार्य करते हैं तथा स्वयं को किसी भी उत्तरदायित्व से बचाते हैं।
  - **सरकारी अतिक्रमण:** सरकारें नागरिकों पर निगरानी रखने, असहमति का दमन करने और दुष्प्रचार करने के लिये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकती हैं।
    - **रूस पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह वर्ष 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों** से पहले मतदाताओं को गुप्त रूप से प्रभावित करने के लिये अमेरिकी सोशल मीडिया के प्रमुख व्यक्तित्वों की सहायता ले रहा है।
    - इससे सरकार की अतिक्रमण की संभावना और लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण की चिंता उत्पन्न होती है।
  - **कंटेंट मॉडरेशन की कमी: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रायः हानिकारक कंटेंट को प्रभावी ढंग से अनुशोधित करने में संघर्ष करते हैं। ट्विटर कंटेंट मॉडरेशन नीतियों** को लेकर विवाद, जैसा कि **यूरोपीय संघ** द्वारा उठाया गया है, इस मुद्दे की गंभीरता को प्रकट करता है।

निष्कर्ष:

सोशल मीडिया के नीतिपरक निहितार्थ जटिल और बहुआयामी हैं। यद्यपि ये प्लेटफॉर्म **कई लाभ प्रदान करते हैं, परंतु** वे व्यक्तिगत गोपनीयता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व के लिये महत्त्वपूर्ण जोखिम भी उत्पन्न करते हैं। इन चिंताओं को दूर करने के लिये **सोशल मीडिया कंपनियों, सरकारों और व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए एक सहयोगी प्रयास और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021** के दृढ़ कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

प्रश्न : नैतिक विवेकशून्यता की अवधारणा और लोक सेवा परिदान पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा कीजिये। इस तरह की विवेकशून्यता के समाधान हेतु संगठनों द्वारा नीतिपरक जागरूकता का संवर्द्धन कैसे किया जा सकता है? (150 शब्द)

नोट :

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- नैतिक विवेकशून्यता को परिभाषित करके अपने उत्तर की भूमिका लिखिये।
- जन (नागरिक) सेवा प्रदायगी पर नैतिक विवेकशून्यता के संभावित प्रभाव बताइए।
- नैतिक विवेकशून्यता को रोकने के लिये नीतिपरक जागरूकता को संवर्द्धित करने के मार्ग सुझाइए।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

नैतिक विवेकशून्यता एक ऐसी मानसिक स्थिति को संदर्भित करता है, जिसमें व्यक्ति या संगठन **नीतिपरक दुविधाओं या नैतिक दोषों को पहचानने या स्वीकार करने में विफल हो जाते हैं। इस घटना के जन (नागरिक) सेवा प्रदायगी पर महत्त्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार, अदक्षता और जनता के विश्वास में कमी** आ सकती है।

मुख्य भाग:

जन (नागरिक) सेवा प्रदायगी पर नैतिक विवेकशून्यता के संभावित प्रभाव:

- **भ्रष्टाचार और अदक्षता: जब व्यक्ति या संगठन नैतिक रूप से विवेकशून्य होते हैं, तो वे रिश्वतखोरी, गबन और भाई-भतीजावाद जैसे** भ्रष्ट आचरण में संलिप्त होने के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं।
  - इससे **जन (नागरिक) सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है**, क्योंकि संसाधनों का कुप्रबंधन होता है और प्राथमिकताएँ विकृत हो जाती हैं।
- **लोक विश्वास की हानि:** नैतिक विवेकशून्यता सरकारी संस्थाओं और लोक सेवकों में जनता के विश्वास को समाप्त कर सकती है।
  - जब लोगों को यह अनुभव होता है कि सत्ता में बैठे लोग **नैतिक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं,** तो वे **भ्रमित हो सकते हैं और राजनीतिक प्रक्रिया से विमुख हो सकते हैं।**
- **नकारात्मक सामाजिक और आर्थिक परिणाम:** नैतिक विवेकशून्यता के नकारात्मक सामाजिक और आर्थिक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इससे असमानता, निर्धनता और सामाजिक अशांति उत्पन्न हो सकती है।
  - उदाहरण के लिये, **स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कारण** सुभेद्य आबादी को चिकित्सा देखभाल तक अपर्याप्त पहुँच मिल सकती है, जबकि शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कारण बच्चों के लिये शिक्षा के अवसरों में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

नैतिक विवेकशून्यता को रोकने के लिये नीतिपरक जागरूकता का संवर्द्धन

नैतिक विवेकशून्यता को रोकने और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित जन (नागरिक) सेवा प्रदायिता सुनिश्चित करने के लिये संगठन कई कदम उठा सकते हैं:

- **नीतिपरक प्रशिक्षण और शिक्षा: कर्मचारियों को नीतिपरक सिद्धांतों, मूल्यों और निर्णयन** पर प्रशिक्षण प्रदान करने से उन्हें एक सुदृढ़ नीतिपरक दिशा-निर्देश विकसित करने में सहायता मिल सकती है।
  - यह प्रशिक्षण अविरत होना चाहिये तथा संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिये।
- **नीतिपरक नेतृत्व:** सत्यनिष्ठता और उत्तरदायित्व की संस्कृति का निर्माण करने के लिये नीतिपरक नेतृत्व आवश्यक है।
  - **नेताओं को नीतिपरक व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिये** तथा अपने कर्मचारियों के बीच नीतिपरक आचरण के लिये स्पष्ट अपेक्षाएँ निर्धारित करनी चाहिये।
- **नैतिक संहिता और नीतियाँ: स्पष्ट नैतिक संहिताओं और नीतियों** का विकास और कार्यान्वयन कर्मचारियों को नीतिपरक दुविधाओं से निपटने में मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।
  - इन संहिताओं की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिये तथा संगठन और उसके वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिये उन्हें अद्यतन किया जाना चाहिये।
- **नीतिपरक सूचना प्रणाली: गुप्त सूचना प्रणाली** स्थापित करने से कर्मचारियों को प्रतिफल के भय के बिना अनैतिक व्यवहार की सूचना देने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है।
  - ये प्रणाली सुलभ और पारदर्शी होने चाहिये तथा अन्वेषण शीघ्रता और निष्पक्षता से किया जाना चाहिये।
- **नीतिपरक संपरीक्षा और मूल्यांकन:** नियमित नीतिपरक संपरीक्षा और मूल्यांकन संगठनों को संभावित नैतिक जोखिमों की पहचान करने और उनका समाधान करने में सहायता कर सकते हैं।
  - निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिये ये संपरीक्षण **स्वतंत्र तृतीय पक्षों द्वारा किये जाने चाहिये।**
- **नीतिपरक चिंतन और चर्चा:** कर्मचारियों के लिये नीतिपरक चिंतन और चर्चा में सम्मिलित होने के अवसर उत्पन्न करने से

नोट :

नैतिक जागरूकता और उत्तरदायित्व की संस्कृति को संवर्द्धित किया जा सकता है।

- यह **कार्यशालाओं, सेमिनारों या अनौपचारिक चर्चाओं के माध्यम से किया जा सकता है।**

निष्कर्ष:

इन कार्यनीतियों को कार्यान्वित करके, **संगठन नैतिक जागरूकता की संस्कृति को संवर्द्धित कर सकते हैं और नैतिक विवेकशून्यता को जन (नागरिक) सेवा प्रदायिता को कमज़ोर करने से रोक सकते हैं।** जब लोक सेवक नैतिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं और सत्यनिष्ठता के साथ कार्य करते हैं, तो वे जनता का विश्वास और सम्मान अर्जित कर सकते हैं तथा अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज में योगदान दे सकते हैं।

प्रश्न : 'वसुधैव कुटुंबकम्' का सिद्धांत भारतीय दर्शन की गहन और मूलभूत अवधारणा है। बढ़ते वैश्विक ध्रुवीकरण के युग में, भारत की विदेश नीति को आयाम देने में इसकी प्रासंगिकता और नैतिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- वसुधैव कुटुंबकम् वाक्यांश के अर्थ पर प्रकाश डालते हुए परिचय दीजिये।
- भारत की विदेश नीति में 'वसुधैव कुटुंबकम्' की प्रासंगिकता और नैतिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

'वसुधैव कुटुंबकम्' वाक्यांश **महोपनिषद् जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ से लिया गया है, "जो अंतर्संबंध, पारस्परिक सम्मान और सामूहिक कल्याण पर बल देते हुए** एक समग्र विश्वदृष्टिकोण को समाहित करता है।"

- जैसे-जैसे वैश्विक ध्रुवीकरण तीव्र होता जा रहा है, यह सिद्धांत अधिक प्रासंगिक होता जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग, शांति और सतत् विकास को बढ़ावा देने में भारत की विदेश नीति की रूपरेखा को आयाम दे रहा है।

मुख्य भाग:

भारत की विदेश नीति में 'वसुधैव कुटुंबकम्' की प्रासंगिकता और नैतिक निहितार्थ:

- **सार्वभौमिक बंधुत्व और वैश्विक सहयोग: 'वसुधैव कुटुंबकम्'** (विश्व एक परिवार है) का सिद्धांत सार्वभौमिक बंधुत्व पर ज़ोर देता है, जो नैतिक रूप से भारत को वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिये बाध्य करता है।
  - यह सिद्धांत **राष्ट्रीय हितों की संकीर्ण धारणा को चुनौती** देता है और **विदेश नीति के प्रति अधिक समावेशी दृष्टिकोण** को प्रोत्साहित करता है।
  - **उदाहरण:** भारत की कोविड-19 वैक्सीन कूटनीति, जिसमें उसने **'वैक्सीन मैत्री' पहल के तहत कई देशों को वैक्सीन की आपूर्ति** की, इस नैतिक रुख का उदाहरण है।
- **संघर्ष समाधान और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व:** यह अवधारणा **शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व** और **संघर्ष के अहिंसक समाधान को बढ़ावा** देती है, जो बढ़ते ध्रुवीकरण के युग में विशेष रूप से प्रासंगिक है।
  - **उदाहरण: रूस-यूक्रेन संघर्ष** पर भारत का रुख, जहाँ उसने **शांतिपूर्ण वार्ता का आह्वान करते हुए दोनों पक्षों के साथ राजनयिक संबंध** बनाए रखे हैं, इस सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है।
    - **रूस की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के मतदान** के प्रति भारत का तटस्थ रहना, जबकि इसके **साथ ही यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान करना,** रिश्तों में संतुलन लाने और शांति को बढ़ावा देने के प्रयास को दर्शाता है।
- **सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर: 'वसुधैव कुटुंबकम्' अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हार्ड पावर के नैतिक विकल्प** के रूप में सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है।
  - **उदाहरण:** संयुक्त राष्ट्र में **भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस** को बढ़ावा देना इस सिद्धांत की अभिव्यक्ति है।
- **पर्यावरण संरक्षण:** यह सिद्धांत **'वसुधैव कुटुंबकम्' के विचार को वास्तविक दुनिया तक विस्तारित** करता है तथा वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति नैतिक दायित्व को दर्शाता है।
  - **उदाहरण: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भारत का नेतृत्व** और उसकी **'पंचामृत प्रतिबद्धता'** इस नैतिक रुख को प्रदर्शित करती है।
    - जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्रिय भूमिका निभाकर भारत **वैश्विक 'परिवार' के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी** स्वीकार करता है।
- **मानवीय सहायता और आपदा राहत:** यह सिद्धांत नैतिक रूप से भारत को **अपनी सीमाओं से परे मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिये बाध्य** करता है।

नोट :

- **उदाहरण:** वर्ष 2015 में **नेपाल में आए भूकंप** के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया तथा वर्ष 2022 में **आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका को दी गई सहायता** इस नैतिक दृष्टिकोण का उदाहरण है।

- **आर्थिक सहयोग और विकास:** 'वसुधैव कुटुंबकम्' नैतिक रूप से समावेशी आर्थिक नीतियों का समर्थन करता है जो अन्य देशों, विशेष रूप से कम विकसित देशों की विकास-आवश्यकताओं पर विचार करती हैं।
  - **उदाहरण: ग्लोबल साउथ के समर्थक** के रूप में **भारत की भूमिका** इस सिद्धांत को दर्शाती है। ये साझेदारियाँ शोषणकारी संबंधों के बजाय **आपसी लाभ पर केंद्रित** हैं।

निष्कर्ष:

यद्यपि **'वसुधैव कुटुंबकम्'** भारत की विदेश नीति के लिये एक मज़बूत नैतिक आधार प्रदान करता है, बढ़ते वैश्विक ध्रुवीकरण के युग में इसका अनुप्रयोग **कई नैतिक चुनौतियाँ** प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय हितों और वैश्विक शक्ति गतिशीलता की वास्तविकताओं के साथ इस समावेशी, सहकारी सिद्धांत को संतुलित करने के लिये सावधानीपूर्वक नैतिक विचार की आवश्यकता है।

प्रश्न : लोक सेवा प्रवचन में प्राय: ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को एक-दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन अवधारणाओं के मध्य सूक्ष्म अंतर की जाँच कीजिये और यह समझाइये कि नैतिक शासन के लिये उनके क्या निहितार्थ हैं? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- सत्यनिष्ठा और निष्ठा को परिभाषित करते हुए परिचय दीजिये।
- लोक सेवा में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के बीच अंतर तथा इसके निहितार्थ बताइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

लोक सेवा में, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी मौलिक मूल्य हैं, जिनका उल्लेख प्राय: एक साथ किया जाता है, लेकिन उनके अर्थ अलग-अलग होते हैं।

- जबकि दोनों का उद्देश्य **नैतिक शासन को बनाए रखना** है, ईमानदारी **प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही के सख्त पालन** पर बल देती है, जबकि **अखंडता** किसी व्यक्ति की ओर से **ईमानदारी तथा नैतिक व्यवहार के प्रति नैतिक प्रतिबद्धता** है, भले ही उस पर कोई नियम न हो।

मुख्य भाग:

लोक सेवा में ईमानदारी और निष्ठा:

- **कार्यक्षेत्र और अनुप्रयोग:**
  - **ईमानदारी: मुख्य रूप से प्रक्रियाओं और संस्थागत आचरण** से संबंधित है। यह सुनिश्चित करता है कि तंत्र पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से काम करें।
  - **सत्यनिष्ठा: व्यक्ति के नैतिक और आचारिक ढाँचे** पर केंद्रित है तथा यह सुनिश्चित करता है कि वे बाह्य दबाव या वैधानिक कमियों के बावजूद, सही आचरण से विचलित न हों।
  - **उदाहरण: ईमानदारी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये अनुबंधों और निविदाओं का विवरण प्रकाशित करना** शामिल हो सकता है, जबकि सत्यनिष्ठा किसी अधिकारी को **रिश्वत लेने से इंकार करने तथा भ्रष्टाचार से बचने के लिये बाध्य** करेगी, भले ही प्रक्रिया में व्यक्तिगत लाभ के अवसर क्यों न हों।
- **निवारक बनाम व्यक्तिगत नैतिक आचरण:**
  - **ईमानदारी:** यह एक **निवारक उपाय** के रूप में कार्य करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक संस्थाएँ नैतिक प्रक्रियाओं का पालन करें और कदाचार को रोकें।
  - **सत्यनिष्ठा:** यह अधिक **व्यक्तिगत और आंतरिक** है तथा इसमें अपेक्षा की जाती है कि लोक सेवक अपनी नैतिक प्रतिबद्धता के अनुरूप, विपरीत परिस्थितियों में भी नैतिक रूप से कार्य करें।
  - **उदाहरण: भारत में सूचना का अधिकार (RTE)** अधिनियम नागरिकों को सरकारी अभिलेखों तक पहुँच की अनुमति देकर शासन में ईमानदारी को बढ़ावा देने का एक साधन है।
    - दूसरी ओर, यदि कोई **अधिकारी किसी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दिये गए व्यक्तिगत लाभ को अस्वीकार कर देता है,** जबकि वह जानता है कि उसे पकड़ा नहीं जाएगा, **बनाम व्यक्तिगत जवाबदेही।**
  - **ईमानदारी: आचरण के स्पष्ट, अवलोकनीय मानकों को कायम रखकर** और कदाचार को रोककर सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक है।
  - **सत्यनिष्ठा:** व्यक्तिगत दायित्व से संबंधित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यक्ति निरंतर नैतिक रूप से आचरण करे, भले ही उसके कार्य अवलोकनीय हों या विनियमित हों।

नोट :

- **उदाहरण: MGNREGA जैसे सरकारी कार्यक्रमों में** ऑडिट के पारदर्शी संचालन में ईमानदारी स्पष्ट है।
  - **ईमानदारी का उदाहरण** वह ज़िला अधिकारी है जो **व्यक्तिगत लाभ के लिये आँकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करता,** यहाँ तक कि उन स्थितियों में भी जहाँ जाँच न्यूनतम होती है।

- **अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक नैतिक प्रभाव:**
  - **ईमानदारी:** इसके तत्काल परिणाम हो सकते हैं, जैसे सरकारी कार्यों में **पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से जनता का विश्वास** बनाए रखना।
  - **सत्यनिष्ठा:** नैतिक शासन के लिये दीर्घकालिक निहितार्थ हैं, नैतिक ज़िम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना जो लोक प्रशासन में निरंतर नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देता है।
  - **उदाहरण: वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेल भ्रष्टाचार** मामले में, **अनियमितताओं की लेखापरीक्षा में पारदर्शिता,** ईमानदारी का एक उदाहरण था।
    - भविष्य में इसी प्रकार की गड़बड़ियों को रोकने में सत्यनिष्ठा बनाए रखने वाले अधिकारी का स्थायी प्रभाव **ईमानदारी के दीर्घकालिक लाभों** को दर्शाता है।

- **प्रणालीगत बनाम व्यक्तिगत नैतिक शासन:**
  - **ईमानदारी: इसे कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं** के माध्यम से संस्थागत बनाया जा सकता है जो सार्वजनिक व्यवहार में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं।
  - **सत्यनिष्ठा: इसे पूरी तरह से संस्थागत नहीं बनाया जा सकता,** बल्कि इसे नैतिक प्रशिक्षण और व्यक्तिगत नैतिक प्रतिबद्धता के माध्यम से व्यक्तियों में विकसित किया जाना चाहिये।
  - **उदाहरण: केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)** भ्रष्टाचार को रोकने और लोक कार्यालयों में दायित्व लागू करने के लिये तंत्र को संस्थागत बनाकर ईमानदारी सुनिश्चित करता है।
    - **दिल्ली मेट्रो परियोजना** के नेतृत्व के दौरान अपने **नैतिक आचरण के लिये जाने जाने वाले ई. श्रीधरन** जैसे अधिकारी की व्यक्तिगत ईमानदारी दर्शाती है कि **नैतिक सिद्धांतों** के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता कितनी आवश्यक है, यहाँ तक कि पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाली प्रणालियों के भीतर भी।

निष्कर्ष:

जबकि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा **दोनों ही नैतिक शासन में योगदान** करते हैं, उनके **निहितार्थ अलग-अलग हैं**। ईमानदारी सुनिश्चित करती है कि शासन प्रणाली पारदर्शी रूप से संचालित हो, लेकिन **सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करती है कि प्रणाली के भीतर व्यक्ति निरंतर नैतिक मानदंडों का पालन करें**। साथ में, वे **नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास की नींव** बनाते हैं, सार्वजनिक सेवा में जवाबदेही, निष्पक्षता एवं नैतिक नेतृत्व सुनिश्चित करते हैं।

प्रश्न : "करुणा के अभाव में सहिष्णुता, उदासीनता का कारण बनती है।" समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति लोक सेवकों की ज़िम्मेदारी के परिप्रेक्ष्य में, इस कथन की विस्तृत समीक्षा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- कथन का औचित्य सिद्ध करते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- समाज के कमजोर वर्गों के प्रति लोक सेवकों की भूमिका बताइये।
- शासन में करुणा के महत्त्व पर प्रकाश डालिये।
- उदासीनता के परिणाम की चर्चा कीजिये।
- करुणामय शासन को बढ़ावा देने के लिये आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

"करुणा के अभाव में सहिष्णुता उदासीनता को जन्म दे सकती है" यह कथन मानवीय अंत:क्रिया के एक महत्त्वपूर्ण पहलू को रेखांकित करता है, विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति **लोक सेवकों की ज़िम्मेदारियों के संदर्भ** में।

- यद्यपि सहिष्णुता एक सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के लिये आवश्यक है, लेकिन यह करुणा के गुण के बिना अपर्याप्त है।

मुख्य भाग:

समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति लोक सेवकों की भूमिका:

- **नीति कार्यान्वयन:** लोक सेवक **मनरेगा जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये ज़िम्मेदार** हैं, जो ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देता है।
- **अधिकारों का प्रवर्तन:** उन्हें सीमांत समूहों की रक्षा करने वाले कानूनों का प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिये जैसे कि **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015,** जो कठिन परिस्थितियों में बच्चों की रक्षा करता है।
- **संसाधन आवंटन:** लोक सेवकों को संसाधनों के उचित वितरण का कार्य सौंपा गया है, जैसे कि **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY),** जिसका उद्देश्य गरीब वर्ग को किफायती आवास उपलब्ध कराना है।

नोट :

- इस कार्यक्रम में, लोक सेवक यह सुनिश्चित करने के लिये काम करते हैं कि सबसे कमज़ोर समुदायों को आवास लाभ मिले।

- **निगरानी और मूल्यांकन:** उन्हें सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की निगरानी करनी चाहिये। उदाहरण के लिये **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** और विशेष रूप से **आयुष्मान भारत योजना** में, लोक सेवक स्वास्थ्य सेवा वितरण का मूल्यांकन करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि **जनजातीय आबादी जैसे सीमांत समूहों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त हो सकें।**

लोक शासन में करुणा की भावना का महत्त्व:

- **निर्णय लेने में सहानुभूति:** दयालु लोक सेवक सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर विचार करते हैं। उदाहरण के लिये, **कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, कई राज्य अधिकारियों ने शहरों में फँसे प्रवासी श्रमिकों को भोजन वितरण** जैसे राहत उपाय शुरू किये, जो उनके संघर्षों के प्रति मात्र सहिष्णुता से परे सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं।
- **समुदायों के साथ जुड़ाव:** वे निर्णय लेने में समुदायों को सक्रिय रूप से शामिल करते हैं। उदाहरण के लिये, **स्वच्छ भारत मिशन में भागीदारी उपागम** ने स्थानीय समुदायों को स्वच्छता आवश्यकताओं की पहचान करने के लिये शामिल किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि ऐसे कार्यक्रम विशिष्ट स्थानीय चुनौतियों का समाधान करते हैं।
- **विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करना:** करुणा की भावना लोक सेवकों को सीमांत वर्गों के लिये कार्यक्रम तैयार करने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिये, **'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना** का उद्देश्य लैंगिक अनुपात में सुधार करना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों के सामने आने वाली लिंग-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान हो सके।
- **समावेशिता को बढ़ावा देना: दयालु शासन समावेशिता को बढ़ावा देता है, जैसा कि दिव्यांग जनों का अधिकार अधिनियम, 2016** के कार्यान्वयन में देखा गया है, जहाँ लोक सेवकों ने सुलभता प्रदान करने और समान अवसरों के प्रावधान सुनिश्चित करने के लिये नि:शक्तता अधिकार कार्यकर्त्ताओं के साथ मिलकर काम किया।
- **गरिमा को बढ़ावा देना:** कमज़ोर वर्गों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करके, लोक सेवक गरिमा को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिये, **मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन के दौरान** अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि सभी बच्चों को, चाहे वे किसी भी जाति या पृष्ठभूमि के हों, भोजन मिले, जिससे समुदाय और अपनेपन की भावना को बढ़ावा मिलता है।

उदासीनता के परिणाम:

- **बढ़ती असमानताएँ:** उदासीनता मौजूदा असमानताओं को और बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिये, अगर सरकारी कर्मचारी अनावृष्टि के दौरान सीमांत किसानों की दुर्दशा को नज़रअंदाज़ करते हैं, तो हस्तक्षेप की कमी के कारण **गरीबी और किसानों की आत्महत्याएँ बढ़ सकती हैं।**
- **भागीदारी में कमी:** जब सीमांत समुदायों को लगता है कि उनकी अनदेखी की जा रही है, तो उनकी भागीदारी कम हो जाती है। उदाहरण के लिये, **चुनावों में सीमांत समुदायों की कम भागीदारी** प्राय: वंचितता और लोक सेवकों द्वारा उपेक्षा की भावना का ही परिणाम है।
- **सामाजिक अशांति: उदासीनता सामाजिक अशांति को उत्पन्न कर सकती है, जैसा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)** के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में देखा गया, जहाँ सीमांत वर्गों ने महसूस किया कि सरकार द्वारा उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और उनकी उपेक्षा की जा रही है, जिसके कारण पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए।
- **कार्यक्रमों की विफलता:** करुणामाय भावना के बिना, कल्याणकारी कार्यक्रम विफल हो सकते हैं। नौकरशाही की उदासीनता के कारण **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को** लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ऐसे मामले सामने आए जहाँ पात्र परिवारों को उनके अधिकार नहीं मिले, जिससे **भूख और गरीबी और बढ़ गई।**

करुणामय शासन को बढ़ावा देना

- **संवेदनशीलता प्रशिक्षण: मिशन कर्मयोगी** के एक भाग के रूप में **सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमों** को लागू करना चाहिये।
- **सामुदायिक सहभागिता पहल:** संवाद के लिये अनिवार्य मंच विकसित किये जाने चाहिये, जैसे कि **'जन सुनवाई' (सार्वजनिक सुनवाई)** जहाँ नागरिक अपनी शिकायतें सीधे लोक सेवकों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें, जिससे जवाबदेही को बढ़ावा मिले। इन पहलों ने स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने में मदद की है।
- **फीडबैक तंत्र:** फीडबैक सिस्टम स्थापित किये जाने चाहिये जिससे वंचित समूहों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने का मौका मिले। **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 'शिकायत**

नोट :

निवारण तंत्र' लाभार्थियों को सीधे अधिकारियों को अपनी समस्याओं की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है, जिससे जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।

- **सहयोगात्मक भागीदारी:** गैर सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी को प्रोत्साहित किये जाने चाहिये। उदाहरण के लिये, सरकार और **गूंज** जैसे संगठनों के बीच सहयोग से सीमांत समुदायों को संसाधनों के वितरण में सुविधा होती है, जिससे प्रभावी कार्यान्वयन के लिये स्थानीय अंतर्दृष्टि का लाभ उठाया जा सकता है।

निष्कर्ष:

करुणा के बिना सहिष्णुता प्रभावी शासन और सामाजिक न्याय के लिये अपर्याप्त आधार है। लोक सेवकों को **न केवल विविधता को स्वीकार करना चाहिये बल्कि सीमांत समूहों की ज़रूरतों को समझने और उनका समाधान करने के लिये भी सक्रिय रूप से प्रयास करना चाहिये।** करुणा और सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा देकर, लोक सेवक सभी के लिये अधिक न्यायसंगत एवं समावेशी समाज की स्थापना में मदद कर सकते हैं।

प्रश्न : "परिवार नैतिकता की पहली पाठशाला बना हुआ है, लेकिन अन्य सामाजिक संस्थाएँ इसकी भूमिका को निरंतर चुनौती दे रही हैं।" समकालीन समाज में नैतिक शिक्षा की बदलती प्रवृत्तियों का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- नैतिकता और बदलती गतिशीलता की पहली पाठशाला के रूप में परिवार की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- अन्य सामाजिक संस्थाओं के उत्थान पर गहन अध्ययन कीजिये।
- नैतिक शिक्षा की बदलती गतिशीलता में योगदान देने वाले कारक बताइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सदियों से, परिवार **नैतिक मार्गदर्शन और समाजीकरण का प्राथमिक स्रोत रहा है**। माता-पिता आमतौर पर बच्चों को नैतिक सिद्धांतों से परिचित कराने वाले पहले व्यक्ति होते हैं, उन्हें **सही और गलत, करुणा, ईमानदारी तथा सम्मान के बारे में सिखाते हैं।** हालाँकि समकालीन समाज में नैतिक शिक्षा में परिवार की भूमिका को **अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा चुनौती** दी जा रही है।

शरीर:

अन्य सामाजिक संस्थाओं का उदय

- **स्कूल: स्कूल छात्रों को नैतिकता, नागरिकता और सामाजिक ज़िम्मेदारी** के बारे में सिखाकर नैतिक शिक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **सहकर्मी समूह:** सहकर्मी समूह युवा लोगों के नैतिक विकास पर शक्तिशाली प्रभाव डाल सकते हैं।
  - **बच्चे और किशोर प्राय: मार्गदर्शन व अनुमोदन के लिये अपने साथियों की ओर रुख करते हैं** और इससे उनके मूल्य उनके सामाजिक समूह के मानदंडों एवं अपेक्षाओं से प्रभावित हो सकते हैं।
- **मीडिया: टेलीविज़न, फिल्में और सोशल मीडिया** सहित मीडिया बच्चों को नैतिक दुविधाओं तथा नैतिक मुद्दों की एक विस्तृत शृंखला से अवगत कराता है।
  - यद्यपि मीडिया सूचना और शिक्षा का एक मूल्यवान स्रोत हो सकता है, लेकिन यह **हानिकारक रूढ़िवादिता** को भी **प्रबल** कर सकता है तथा **नकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा** दे सकता है।

नैतिक शिक्षा की बदलती गतिशीलता में योगदान देने वाले कारक

नैतिक शिक्षा पर सामाजिक संस्थाओं के बढ़ते प्रभाव में कई कारकों ने योगदान दिया है:

- **वैश्वीकरण और सांस्कृतिक विविधता: समाजों के** बढ़ते **अंतर्संबंध ने विभिन्न संस्कृतियों और मूल्यों के प्रति अधिक जागरूकता उत्पन्न की है**। इससे परिवारों को अपने बच्चों के लिये एक सुसंगत नैतिक ढाँचा प्रदान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **पारिवारिक संरचना में परिवर्तन: पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं, जैसे कि एकल परिवार, के पतन के** कारण बच्चों द्वारा अपने माता-पिता के साथ व्यतीत किये जाने वाले समय में कमी आई है।
  - परिणामस्वरूप, माता-पिता को अपने बच्चों में अपने आदर्शों को स्थापित करने के अवसर कम होते जाएंगे।
- **उपभोक्ता संस्कृति का उदय: उपभोक्तावाद और भौतिक सफलता** पर ज़ोर, **परोपकारिता, उदारता एवं सामुदायिक भावना** जैसे पारंपरिक मूल्यों को कमज़ोर कर सकता है।
- **तकनीकी उन्नति:** तकनीक के व्यापक उपयोग, विशेष रूप से सोशल मीडिया ने **बच्चों को एक-दूसरे के साथ और उनके आस-पास की दुनिया के साथ समन्वय के तरीके को**

नोट :

परिवर्तित कर दिया है। नैतिक विकास के लिये इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव हो सकता है।

निष्कर्ष:

नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये परिवार और सामाजिक संस्थाएँ **मिलकर काम** कर सकती हैं। **परिवार नैतिक विकास के लिये आधार** प्रदान कर सकते हैं, जबकि सामाजिक संस्थाएँ अभिगम और विकास के लिये पूरक अवसर प्रदान कर सकती हैं। **सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर**, हम यह सुनिश्चित करने में सहयोग कर सकते हैं कि युवा लोग न्यायपूर्ण और दयालु समाज के लिये आवश्यक नैतिक मूल्यों एवं चरित्र लक्षणों का विकास करें।

■■■

दृष्टि The Vision

नोट :

निबंध

1. आज हम जिन दीवारों का निर्माण करते हैं वहीं भविष्य में सेतु का कार्य करती हैं।
2. नवाचार की सीमाओं का मानचित्रण कल्पना के विस्तार द्वारा किया जाता है।
3. एक वृक्ष केवल ऊर्ध्वमुखी रूप में विकसित नहीं होता, बल्कि उसकी जड़े भी उतनी ही गहरी होती है।
4. परिवर्तन एक अनवरत् प्रक्रिया है, जो आकस्मिक नहीं होती है।
5. जड़त्व की प्रवृत्ति अप्रगतिशील होने का पर्याय है।
6. एक उन्नत शिखर के निर्माण में आरोहण और अपरदन दोनों का महत्त्व है।
7. जीवन का अर्थ है 'दुख भोगना' और जीवित रहने से तात्पर्य है 'उस दुख में अर्थ खोजना'।
8. जीवन का वास्तविक अर्थ उन पेड़ों को रोपना है, जिनकी छाया में बैठने की आप स्वयं आशा नहीं करते।

■■■

दृष्टि The Vision

नोट :